खण्ड-173, अंक-4
गुरूवार, 27 वैशाख, शक संवत् 1878
(17 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 173 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १७ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१७६)

1. अक्षयवरसिंह, श्री
2. अज़ीज़ इमाम, श्री
3. अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
4. अमृतनाथ मिश्र, श्री
5. अवधेशप्रतापसिंह, श्री
6. अशरफ़ अली ख़ां, श्री
7. इरतज़ा हुसैन, श्री
8. उदयभानसिंह, श्री
9. उमाशंकर मिश्र, श्री
10. उम्मेदसिंह, श्री
11. उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
12. ऐज़ाज़ रसूल, श्री
13. कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
14. कालीचरण टंडन, श्री
15. किन्दरलाल, श्री
16. किशनस्वरूप भटनागर, श्री
17. कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
18. कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
19. केवलसिंह, श्री
20. केशव पांडेय, श्री
21. कैलाश प्रकाश, श्री
22. गंगाधर जाटव, श्री
23. गंगाधर शर्मा, श्री
24. गंगाप्रसाद, श्री
25. गजेन्द्रसिंह, श्री
26. गज्जू राम, श्री
27. गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
28. गिरजारमण शुक्ल, श्री
29. गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
30. गुलजार, श्री
31. गोवर्धन तिवारी, श्री
32. गौरीराम, श्री
33. घनश्यामदास, श्री
34. चन्द्रहास, श्री
35. चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
36. छेदालाल चौधरी, श्री
37. जगतनारायण, श्री
38. जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
39. जगन्नाथप्रसाद, श्री
40. जगन्नाथबख्शदास, श्री
41. जगन्नाथमल्ल, श्री
42. जगपतिसिंह, श्री
43. जोरावर वर्मा, श्री
44. टीकाराम, श्री (बदायूं)
45. टीकाराम, श्री (हरदोई)
46. डालचन्द, श्री
47. ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
48. तिरमलसिंह, श्री
49. तुलाराम, श्री
50. तुलाराम रावत, श्री
51. तेजप्रतापसिंह, श्री
52. तेजबहादुर, श्री
53. त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
54. दयालदास भगत, श्री
55. दाऊदयाल खन्ना, श्री
56. दीपनारायण वर्मा, श्री
57. देवराम, श्री
58. देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
59. द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
60. धर्मसिंह, श्री
61. नरदेव शास्त्री, श्री
62. नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
63. नवलकिशोर, श्री
64. नारायणदास, श्री

65 नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
66 नेत्रपाल सिंह, श्री
67 नौरंगलाल, श्री
68 पातीराम, श्री
69 पुत्तूलाल, श्री
70 पुद्दनराम, श्री
71 पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
72 प्रभाकर शुक्ल, श्री
73 फज़लुल हक़, श्री
74 फतेहसिंह राणा, श्री
75 बनारसीदास, श्री
76 बलदेवसिंह आर्य, श्री
77 बाबूनन्दन, श्री
78 बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
79 बेचनराम, श्री
80 बेचनराम गुप्त, श्री
81 बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
82 बैजूराम, श्री
83 ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
84 भगवतीदीन तिवारी, श्री
85 भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
86 भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
87 भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
88 मक़सूद आलम खां, श्री
89 मंगलाप्रसाद, श्री
90 मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
91 मलखानसिंह, श्री
92 महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
93 मान्धातासिंह, श्री
94 मिहरबानसिंह, श्री
95 मुज़फ्फर हसन, श्री
96 मुन्नूलाल, श्री
97 मुश्ताक़ अली खां, श्री
98 मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
99 मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
100 मुहम्मद नबी, श्री
101 मुहम्मद नसीर, श्री
102 मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
103 मुहम्मद शाहिद फारूक़ी, श्री
104 मोहनलाल, श्री
105 मोहनसिंह शाक्य, श्री
106 यमुनासिंह, श्री
107 यशोदादेवी, श्रीमती
108 रघुनाथप्रसाद, श्री
109 रघुराज सिंह, श्री
110 रतनलाल जैन, श्री
111 राजकुमार शर्मा, श्री
112 राजवंशी, श्री
113 राजाराम मिश्र, श्री
114 राजाराम शर्मा, श्री
115 रामअनन्त पांडेय, श्री
116 रामअवधसिंह, श्री
117 रामकृष्ण जैसवार, श्री
118 रामगुलामसिंह, श्री
119 रामजीलाल सहायक, श्री
120 रामदास रविदास, श्री
121 रामनरेश शुक्ल, श्री
122 रामभजन, श्री
123 रामराज शुक्ल, श्री
124 रामलखन, श्री
125 रामवचन यादव, श्री
126 रामसुन्दर पांडेय, श्री
127 रामसुभग वर्मा, श्री
128 रामसेवक यादव, श्री
129 रामस्वरूप भारतीय, श्री
130 रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
131 रामहरख यादव, श्री
132 रामहेतसिंह, श्री
133 रामेश्वरलाल, श्री
134 लक्ष्मणराव कदम, श्री
135 लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
136 लालबहादुरसिंह, श्री
137 लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
138 वंशनारायणसिंह, श्री
139 वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
140 वसी नक़वी, श्री
141 विद्यावती राठौर, श्रीमती
142 विश्राम राय, श्री
143 वीरसेन, श्री
144 वीरेन्द्रशाह, राजा
145 व्रजवासीलाल, श्री
146 व्रजविहारी मिश्र, श्री
147 शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
148 शिवनाथ काटजू, श्री
149 शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
150 शिवराजबलीसिंह, श्री
151 शिवराम पाण्डेय, श्री
152 शिवरामराय, श्री
153 शिववक्षसिंह राठौर, श्री
154 शिवस्वरूपसिंह, श्री
155 शुकदेवप्रसाद, श्री
156 श्यामसनोहर मिश्र, श्री

57 श्यामलाल, श्री
58 श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
59 श्रीचन्द्र, श्री
60 श्रीपति सहाय, श्री
61 सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
62 सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
63 सत्यनारायणदत्त, श्री
64 सालिगराम जायसवाल, श्री
65 सावित्रीदेवी, श्रीमती
66 सियाराम गंगवार, श्री
67 सीताराम, डाक्टर
68 सुखीराम भारतीय, श्री
69 सुन्दरलाल, श्री
70 सुरुजूराम, श्री
71 सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
72 सुल्तान आलम खां, श्री
73 सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
74 सेवाराम, श्री
75 हमीद खां, श्री
76 हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १७ मई, १९५६

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये।]

*३–५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[४ मई, १९५६ को प्रश्न ३२–३४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

आजमगढ़ जिले के देहाती क्षेत्र को बिजली देने का आयोजन

*६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के देहाती क्षेत्र को बिजली देने का कार्यक्रम कब तक कार्यान्वित होगा तथा बिजली देने का क्या आधार होगा?

वित्त मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—आजमगढ़ के देहाती क्षेत्रों को बिजली देने का कार्य मऊ वाष्प बिजली गृह के अगले साल बन जाने पर शुरू होगा और तभी नये कनेक्शनों को स्वीकृति करने का आधार भी निश्चित किया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मऊ पावर हाउस के किस महीने तक बन जाने की सम्भावना है?

श्री धर्मसिंह—महीने के बारे में तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है लेकिन १९५७ के बीच तक इसके बन जाने की सम्भावना है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि जो पावर हाउस बनाया जा रहा है उसकी अभी नींव ही डाली जा रही है?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं। उसका काफी हिस्सा बन गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इससे बिजली गांवों को दी जायगी या कस्बों को दी जायगी?

श्री धर्मसिंह—वह जैसा कि मैंने अर्ज किया और प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है कि इसके बनने के बाद ही यह निश्चिय किया जायगा।

*७—८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, आलमबाग, लखनऊ के छात्रों की हड़ताल

*९—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ के आलमबाग स्थित सिविल इंजीनियरिंग स्कूल के ११ लड़कों को १३-३-५६ की रात में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के फलस्वरूप उस स्कूल में १४ और १५ मार्च दोनों दिन पूर्ण हड़ताल रही और छात्रों ने कौंसिल हाउस के सामने प्रदर्शन भी किये?

*१०—यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरी घटना पर सदन में प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—१३ मार्च की रात को सिविल इंजीनियरिंग स्कूल का कोई विद्यार्थी गिरफ्तार नहीं किया गया। पूरी घटना इस प्रकार बताई जाती है। १३ मार्च की शाम को सिविल इंजीनियरिंग स्कूल के एक छात्र व एक दूकान के एक कर्मचारी के बीच कुछ झगड़ा हुआ जिसमें कुछ मारपीट भी हो गई जिसके फलस्वरूप उपरोक्त छात्र को चोट आ गई। लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस अथवा किसी अन्य अधिकारी को नहीं दी गई। १४ मार्च को प्रातःकाल ४००-५०० छात्र जिनमें कुछ के पास हाकी व डन्डे भी थे, उपरोक्त दूकान के पास पहुंचे, और इस दूकान को बन्द पाकर उन्होंने पड़ोस की अन्य दूकानों पर हमले करने शुरू कर दिए व दूकानों को क्षति पहुंचाई और कुछ दूकानदारों को चोट भी आई। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व तोड़-फोड़ करने वाले ९ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप सिविल इंजीनियरिंग स्कूल के छात्रों ने अपनी कक्षायें छोड़ दीं व आलमबाग थाना तथा जिलाधीश के निवासस्थान पर प्रदर्शन किए। १५ मार्च को पुनः उक्त स्कूल के सब छात्र अपनी कक्षा में नहीं गये और उन्होंने विधान भवन के सामने प्रदर्शन किये।

नौतनवां, जिला गोरखपुर में रेलवे लाइन पर धातु के गोले मिलना

*११—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के नौतनवां में रेलवे लाइन पर अति भयानक विस्फोटक पदार्थ पुलिस को हाल में प्राप्त हुये हैं?

कारावास उप मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—कुछ धातु के गोले प्राप्त हुये हैं जिनके विषय में इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्ज द्वारा जांच हो रही है।

*१२-१४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले में एक सर्राफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गाय द्वारा खाया जाना

*१५—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार को इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि रायबरेली जिले में एक सर्राफ जो मृत पाया गया था, की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिविल सर्जन रायबरेली के यहां से १९५५ में गुम हो गई थी?

श्री मुजफ्फर हसन—यह रिपोर्ट पुलिस अस्पताल से सिविल सर्जन के यहां ले जाते समय चपरासी से रास्ते में गिर गई थी।

*१६—श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है कि उक्त सिविल सर्जन ने यह रिपोर्ट दी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक गाय द्वारा खा ली गई है?

श्री मुजफ्फ़र हसन---लोगों के बयान से ऐसा सन्देह हुआ कि गिरने पर उसे गाय ने खा लिया।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गायब हो जाने के बाद सिविल सर्जन रायबरेली ने सूचना दी कि वह गायब हो गई है। यदि हां, तो कितने दिनों के बाद ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---उसी दिन सिविल सर्जन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इत्तिला दी।

श्री रामेश्वरलाल---जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जो गायब हो गई है वह इसीलिये गायब कराई गई कि जो उस व्यक्ति का हत्यारा था उसके बारे में लोगों को पता न लग सके ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---यह सही नहीं है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट गायब हुई है उसके बारे में जांच किस के द्वारा कराई गई है ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---इसके बारे में सिविल सर्जन ने इन्क्वायरी की और पुलिस ने भी इन्क्वायरी की।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर रिपोर्ट दी गई है कि रिपोर्ट गाय ने खा ली ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---वाकया यह है कि जिस दिन रिपोर्ट वहां से लेकर चपरासी सिविल सर्जन आफिस में चला तो पानी बहुत जोर के साथ बरस रहा था उसने उस रिपोर्ट को कोट में छिपा लिया। पानी से बचने के लिये ऐसा समझा जाता है कि रास्ते में या अस्पताल में पहुंच कर उसने एक शेड में पनाह ली और कोट वगैरा खोला तो वह गिर गई। उसने फौरन तलाश की और एक आदमी ने यह बतलाया कि शेड के पास एक गाय कुछ कागज चबा रही थी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिविल सर्जन साहब जिस वक्त अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिख रहे थे उस वक्त उन्होंने उसकी कोई कापी अपने यहां नहीं रखी थी ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---वहां पर तरीका यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार करके अस्पताल में सिविल सर्जन छोड़ कर चले जाते हैं और बाद में वह उनके पास भेजी जाती है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट खो देने के बारे में जांच सिविल सर्जन ने की और जो पुलिस ने की, उन दोनों में मतभेद है ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---कोई मतभेद नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस मरे हुए आदमी के संबंध में पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी कि वह किस तरह से मरा ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---इसके बारे में दो आदमियों पर शक किया गया था और वह दोनों गायब हो गये। उनकी तलाश वगैरह रखी गई और कोई ऐसा सबूत नहीं पाया गया कि वह मुकदमा चलाया जा सके।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या सरकार आइन्दा के लिये कोई ऐसा आदेश देगी कि जब इस किस्म की रिपोर्ट लिखी जाय तो उनकी एक नकल सिविल सर्जन या जो डाक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लिखता है वह अपने पास रखे ?

श्री मुज़फ़्फ़र हुसन---यह रायबरेली में जो तरीका था उसमें अब यह तय हुआ है कि सिविल सर्जन उस रिपोर्ट को अपने साथ ले जाय और साथ ही यह भी तय हुआ है कि चपरासी को एक बैग दिया जाय कि वह उसमें कागजात को हिफाजत से ले जा सके ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि पोस्ट मार्टम करने और उसकी रिपोर्ट बनाने का यह रायबरेली का विशेष तरीका है या सारे प्रान्त का यही तरीका है ?

श्री मुज़फ़्फ़र हुसन---मेरे सामने रायबरेली की फाइल है और उसी के आधार पर मैं यह जबाब दे रहा हूं ।

बहराइच जिले में थाना फखरपुर की इमारत के लिए स्वीकृत धन

*१७---**श्री सियाराम चौधरी** (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में फखरपुर थाना की इमारत बनाने को सरकार द्वारा कितना रुपया और कब स्वीकार हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला बहराइच में थाना फखरपुर की नई इमारत के लिये सरकार द्वारा ४५,०००) रु० स्वीकृत किया गया ।

*१८---**श्री सियाराम चौधरी** (अनुपस्थित)---उक्त इमारत में कितनी प्रगति हुई है और यह इमारत किसके द्वारा बनवाई जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस इमारत के विस्तृत प्लान तथा एस्टीमेट् तैयार न हो सकने के कारण निर्माण कार्य में अभी तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है । निर्माण कार्य सरकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है ।

*१९---**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---[२९ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती जिले में माल और फौजदारी के विचाराधीन मुकदमे

*२०---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बस्ती के Judicial Officers के कोर्टों में Revenue और Criminal विभाग के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---६६४ माल के तथा ६२७ फौजदारी के मामले विचाराधीन हैं ।

*२१-२२---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---[३१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

दादूपुर खटाना, जिला बुलन्दशहर में कुएं की खुदाई में अशर्फियां मिलना

*२३---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम दादूपुर खटाना, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में एक कुये की खुदाई के समय कुछ पुराने सिक्के व अशर्फियां पाई गईं ? यदि हां, तो कितने-कितने और वे अब कहां जमा हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कहा जाता है कि कुछ अशर्फियां मिली थीं जिन्हें कुआं खोदने वालों व खेत के मालिकों ने ले लिया। उनके विरुद्ध ट्रेजर ट्रोव ऐक्ट (Treasure Trove Act) की धारा २० के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है।

*२४-२६---श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---[११ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२८---श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---[१४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९---श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में कत्ल की घटनायें

*३०---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १ जनवरी, ५६ से १५ अप्रैल, १९५६ तक कितने कत्ल हुये और किन हथियारों द्वारा और थानेवार कत्लों की संख्या क्या है ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---१० कत्ल हुये जिनमें फरसा, गंड़ासा, भाला, करौली और लाठी का प्रयोग किया गया। कत्लों की थानेवार सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१३ पर)

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो व्यक्ति लाठी द्वारा मारा गया है वह दिन में मारा गया है या रात में ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---यह तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद---यह जो बल्लम द्वारा ज्यादा कत्ल हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---ऐसा कोई सवाल इस वक्त सामने नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५६ से १५ अप्रैल, सन् ५६ तक कत्ल होने वालों की संख्या क्या है ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---यह तो सवाल के जवाब में बतला दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---जवाब में तो यह नहीं बतलाया गया है सूची में दिया गया होगा।

श्री अध्यक्ष---कत्लों की संख्या १० बतला दी गयी है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या यह सही है कि जनवरी सन् ५६ से अप्रैल, ५६ तक जो कत्ल हुये वह भाले आदि से अधिक हुये और फायर आर्मस् से कम हुये इसका क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---इसका कारण तो यही हो सकता है कि भाले वगैरह रखने की आजादी है और फायर आर्म्स इतने ज्यादा फ्रीली मिलते नहीं हैं।

बदायूं में बिजली की दर

*३१—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं शहर में बिजली की दर सूबे के अन्य शहरों से ज्यादा है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ठेकेदारों को जो बिजली दी जाती है, उसकी यूनिट की क्या दर है ?

श्री धर्मसिंह—वह तो भिन्न-भिन्न कम्पनी की भिन्न-भिन्न यूनिट की दरें हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं में बिजली किस दर पर दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह—लाइट और फैन के लिये ८ आना पर यूनिट है जिसमें डिस्काउन्ट भी होता है । पावर के बहुत से रेट यूनिटों के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं ।

*३२-३३—श्री टीकाराम—[३१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

हमीरपुर जिले में डाकों की घटनाएं

*३४—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में जनवरी सन् ५५ से लेकर मार्च सन् ५६ तक डाके पड़े ? सबसे अधिक किस थाने में यह कांड हुये, कितने का पता चला और कितने का नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—२१ डाके पड़े । सबसे अधिक डकैतियां मौदहा और जलालपुर थानों में हुई । १८ का पता चला और ३ का नहीं ।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन डाकों में कितने आदमियों का कत्ल हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ३ डकैतियों का पता नहीं चल सका उसका कारण क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उसका कारण तो यही है कि उसका पता नहीं चला ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन तीन डकैतियों का पता नहीं चल सका वह कहां की डकैती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तफसील भी मेरे पास नहीं है ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मन्त्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि पता न चलने का तात्पर्य यह तो नहीं है कि थाने में रिपोर्ट ही नहीं हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा नहीं है ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कत्लों का पता चला उनमें कितने आदमी गिरफ्तार किये गये और गिरफ्तार हुये कितने आदमियों को सजा हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह सब इत्तिला मेरे पास नहीं है ।

ग्राम अतर्रा, जिला बांदा में थाने की आवश्यकता

*३५--श्री मन्नीलाल गुरुदेव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अतर्रा, जिला बांदा में वह नया थाना खोले जाने का विचार रखती है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं ।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव--क्या सरकार को ज्ञात है कि अतर्रा एक टाउन एरिया है, गल्ले की बहुत बड़ी मंडी है जिसके कारण बहुत बड़े-बड़े व्यापारी वहां आते हैं, इन कारणों को देखते हुए क्या सरकार वहां पर थाना खोलने पर विचार करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस पर विचार हो रहा है ।

गोंडा में पुलिस और विद्यार्थियों के बीच संघर्ष

*३६--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा शहर में ७ अप्रैल, १९५६ को पुलिस और विद्यार्थियों में झगड़ा हो गया था ? यदि उत्तर हां में, तो झगड़े का क्या कारण था ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं ।

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किस आफीसर के द्वारा यह जांच कराकर सरकार ने जवाब दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--वहां के लोकल अधिकारियों के जरिये से यह जांच करायी गयी ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या यह सत्य है कि सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस ने खुद आकर पुलिस और विद्यार्थियों में समझौता कराया ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं जवाब दे चुका हूं कि उस तारीख को ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी प्रश्न कर्त्ता माननीय गंगा प्रसाद जी के नोटिस को सूचना समझ कर फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैंने बताया कि उस तारीख को ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या उस तारीख के इधर उधर कोई वकाया हुआ है और क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--चार तारीख को ऐसा वाकया हुआ था ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्रीजी इस बात की जानकारी कराने की कृपा करेंगे कि माननीय गंगा प्रसाद जी उस झगड़े में शामिल थे या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चार तारीख को जो झगड़ा हुआ, वह वही झगड़ा था जिसके बारे में सवाल किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां, मैंने तो कहा कि ४ तारीख को यह वाकया हुआ ।

श्री जगन्नाथमल्ल--क्या सरकार झगड़े का कारण बतलाने की कृपा करेगी जो चार तारीख को हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन---झगड़े का कारण यह था कि एक चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ था। तीन चार विद्यार्थी वहां खड़े हो गये। ट्रैफिक रुक रहा था कान्सटेबिल ने रिक्वेस्ट की कि हट कर खड़े हो, लेकिन वह नहीं माने। जब ज्यादा भीड़ वहां इकट्ठी हो गयी और ट्रैफिक रुकने लगा तो कान्स्टेबिल ने उनको हटाने की कोशिश की और झगड़ा होने लगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि जो हाथापायी हुई या झगड़ा हुआ उसमें विलयर ज्यादती पुलिस की थी ?

श्री मुजफ्फर हसन---बिल्कुल नहीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या इसके माने यह है कि सारी ज्यादती विद्यार्थियों की हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन---जो वाकया मैंने बतलाया उससे यह बात जाहिर है।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या यह जो झगड़ा हुआ उसमें किसी को चोट भी आयी ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसमें कोई खास चोट नहीं आयी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके फरमायेंगे कि खास चोट और आम चोट में क्या फर्क है ?

श्री अध्यक्ष---यह आप बहस कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---आम चोट में जो खरोंच, मारपीट के मामूली जख्म आते हैं वे कितने विद्यार्थियों को आये ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह कुछ नहीं हुआ।

गोंडा में रोडवेज कर्मचारियों और दूकानदारों में झगड़ा

*३७---**श्री गंगाप्रसाद**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा शहर में मार्च, १९५६ में रोडवेज कर्मचारियों और दूकानदारों में झगड़ा हुआ था, इस झगड़े का क्या कारण था और कितने व्यक्तियों को इसमें चोट आई और कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। इसका कारण यह बताया जाता है कि दूकानदार लोग यह चाहते थे कि बस नियत अड्डे पर जो उनकी दूकानों के सामने पड़ता था, न खड़ी हुआ करे। झगड़े में ६ व्यक्तियों के चोटें आईं। इस संबंध में १ व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और ६ स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुये।

श्री गंगाप्रसाद---क्या यह सत्य है कि जो बस का अड्डा है वह किसी दूकान के सामने नहीं है बल्कि वह किनारे पर पड़ता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह वाकया है, वह तो दूकानों के सामने पड़ता है और इसी वजह से झगड़ा हुआ और अगर ऐसा न होता तो झगड़े का सवाल पैदा ही न होता।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि उन दूकानों के मालिक का क्या नाम है ?

श्री मुजफ्फर हसन---नाम इस वक्त मिल नहीं रहा है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर केस चल रहा है उन्हीं की वह दूकानें हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि जब हम उन को यकीन दिलाते हैं कि वहां फाटक के सामने कोई दूकान वगैरा बाकई में नहीं है और रोडवेज स्टैंड से बाहर आ कर ऐसी कार्यवाही वहां के लोगों ने की...

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं, यह प्रश्न नहीं है ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि आइन्दा इस तरह का कोई झगड़ा न हो, इसलिए या तो दुकानों को वहां से हटा दिया जाय या बस स्टैंड को ?

श्री मुजफ्फर हसन---जब-जब वह दूकानदार एतराज करते थे तो बस के लोगों ने उनसे यही कहा कि यह बातें आप जो हमारी अथारिटीज हैं उन से कहिए, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की या दरख्वास्त नहीं दी बल्कि झगड़ने को तैयार हो गए और झगड़ा इसी बात पर हुआ ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस झगड़े में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वह एक ही तरफ की हुई हैं या दोनों तरफ के लोगों की ?

श्री मुजफ्फर हसन---वह तो जिन लोगों ने मारपीट की थी उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन कर्मचारियों को चोट लगी, इसकी कोई रिपोर्ट सरकार के पास है ?

श्री मुजफ्फर हसन---२ ड्राइवर्स को, १ कनडक्टर को, १ किसी और को इस तरह से ३-४ आदमियों के चोट लगीं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि रोडवेज वालों पर जब हमला हुआ और उन को दूकानदारों ने मारा तो क्या वह उस वक्त हाथ नीचे किए खड़े रहे ?

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह मामला इस वक्त अदालत में है ।

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---तब मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो दुकानें हैं वह रोडवेज की जमीन पर हैं या उस के अलावा हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---दूकानें अलग हैं और रोडवेज सड़क पर चलती हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दूकानदारों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं वह किस दफा में हुई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---दफा १४७ और ३२३ में ।

*३८-४०---**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)---[३१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

सचिवालय में पुनर्संगठन कमिश्नर की नियुक्ति

*४१---**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फरुखाबाद)---क्या यह सत्य है कि सचिवालय (secretariat) के पुनर्गठन (re-organisation) के वास्ते किसी खास अधिकारी (officer) की नियुक्ति की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन---विशेष कर सचिवालय के पुनर्गठन के लिये कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है । सचिवालय की शाखाओं का पुनर्गठन, पुनर्गठन कमिश्नर को, जिनकी नियुक्ति अक्तूबर, १९५५ में की गयी थी, सौंपे गये कार्यों में से एक है ।

*४२—श्री सुल्तान आलम खां—यदि हाँ, तो इसकी रिपोर्ट (report) कब तक आयेगी और क्या विधान सभा को इस पर विचार करने का मौका मिलेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस समय पुनर्गठन कमिश्नर के हाथ में कलेक्टरियों, खजानों तथा तहसीलों के पुनर्गठन का कार्य है जिनकी रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ऐसी रिपोर्ट पर जो आम तौर से कार्यवाही होती है, की जायगी ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि सवाल नं० ४१ में जिन रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर का जिक्र किया गया है उनके फरायज रिआर्गनाइजेशन के अलावा और क्या-क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—रिआर्गनाइजेशन का काम ही उनके सुपुर्द है ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी यह सिर्फ शाखों में जैसा जवाब में दिया गया है उन्हीं में हो रहा है या सेक्रेटेरियट एज ए होल रिआर्गनाइजेशन हो रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उनके कामों में शाखों का रिआर्गनाइजेशन भी है, एज ए होल तो नहीं है । अभी उन्होंने उस काम को लिया भी नहीं है । अभी जैसा बतलाया कलेक्टरी की ओर काम ले रखा है ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह सही है कि उनका जो काम है उसमें यह काम भी शामिल है कि इस सूबे की तहसीलों में जो रद्दोबदल आइन्दा किया जा सकता है या किया जायगा उसपर भी गौर किया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो काम वह शाखाओं में कर रहे हैं उनके काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने बताया कलेक्टरी के बारे में कुछ तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट दी है और बहुत काम अभी पड़े हुए हैं ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि सेक्रेटेरियट के पुनर्गठन के बारे में अपनी राय देने के लिये सरकार ने एक अमेरिकन फर्म को नियुक्त किया है जिसने कि बम्बई में इस तरह की रिपोर्ट दी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर की रिपोर्ट आ जायगी तो वह इस सदन के सामने रक्खी जायगी गौर करने के लिये या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने अपने जवाब में बतलाया है ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में जो आम तौर से कार्यवाही होती है की जायगी ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार बतलायेगी कि आम तौर पर ऐसे मामलों पर जो कार्यवाही होती है उसमें इस सदन के सामने रिपोर्ट का रक्खा जाना भी शामिल है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं यह कह नहीं सकता ।

फीरोजाबाद पुलिस स्टेशन का कार्य-क्षेत्र

*४३—श्री गंगाधर जाटव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि फीरोजाबाद पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के जिम्मे ११६ मौजे और २५६ मजरे और फिरोजाबाद नगर इस सब क्षेत्र की रक्षा का भार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*४४—श्री गंगाधर जाटव—क्या सरकार जरायम की रोकथाम के लिये पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में एक अतिरिक्त थाना कायम करने का विचार रखती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार इस सम्बन्ध में विभाग से उचित जानकारी प्राप्त कर इस विषय में विचार करेगी ।

*४५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

सचिवालय के विशेषाधिकारी

*४६—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी सचिवालय के अन्तर्गत सम्पूर्ण विभागों में कितने विशेषाधिकारी (O.S.D.) पृथक-पृथक कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय सचिवालय के सम्पूर्ण विभागों में कूल १४ विशेषाधिकारी कार्य कर रहे हैं। उनकी पृथक-पृथक कार्य ग्रहण करने की तिथि उनके नामों के सम्मुख संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

*४७—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि मन्त्रियों के P. A. जो अब रिटायर हो गये हैं उनकी संख्या इन विशेषाधिकारियों में कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे विशेषाधिकारियों की संख्या केवल ४ हैं ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रादेशिक सहकारी संघ द्वारा कृषि यन्त्रों का वितरण

२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रादेशिक सहकारी संघ ने पिछले दो वर्षों में किन-किन जिला सहकारी संघों को कौन-कौन और कुल कितने मूल्य के कृषि यंत्रों का वितरण किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—प्रादेशिक सहकारी संघ ने पिछले दो वर्षों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, एटा, मथुरा, फरुखाबाद, इटावा मुरादाबाद, बाराबंकी, अलीगढ़, गोंडा, सुल्तानपुर, उन्नाव, बनारस, हरदोई, बरेली, आगरा, मैनपुरी, बुलन्दशहर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर और बलिया के जिला सहकारी संघ को कृषि यंत्र वितरित किये। इन वितरित कृषि यंत्रों का मूल्य लगभग एक लाख निन्नानबे रुपये के है ।

प्रादेशिक सहकारी संघ द्वारा अम्बर चर्खे के वितरण की मांग

३---श्री उमाशंकर---क्या सरकार प्रादेशिक सहकारी संघ द्वारा सहकारी समितियों को अम्बर चर्खा वितरित कराने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो यह काम कब से शुरू होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सहकारी संघ द्वारा सहकारी समितियों को अम्बर चर्खा वितरित कराने के विषय में अभी तक सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बस्ती जिले में रक्षा समितियों की स्थापना

४---श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के किन-किन गांवों में रक्षा समितियां काम कर रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सभी ग्रामों में ।

बिक्री कर विधेयक तथा श्री राजनारायण के अनशन के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव एक श्री रामेश्वर लालजी ने और दूसरा श्री टीका राम जी ने भेजा है और वह इसी बिक्री कर के सम्बन्ध में उनकी जो शिकायत है उस सम्बन्ध में है, और एक श्री राजनारायण जी के अनशन के बारे में भी है। तो यह विषय काम रोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता है जो सदन में कोई भी विधेयक पारित होता है वह तो सदन की राय से ही पारित होता है और उसके ऊपर विचार हो कर ही होता है । इसलिये उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव द्वारा विवाद उठाया नहीं जा सकता ।

दूसरे जो अनशन की, एक प्रस्ताव में, बात उठाई गई है वह भी इस विधेयक के सम्बन्ध में ही है। कल शाम इस सदन ने जो निश्चय किया उसके खिलाफ है । उस निश्चय के हो जाने के बाद श्री राजनारायण जी ने अनशन करने का यहां ऐलान किया था। तो ऐसी अवस्था में सदन के किसी कार्य के विरूद्ध और उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिये काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता । यह अवैध है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

जौनसार-भाबर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि जौनसार-भाबर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ जनवरी, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ जनवरी, १९५६ की बैठक में पारित किया था राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २४ मार्च, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का ११वां अधिनियम बन गया ।

विरोधी दल द्वारा सभा त्याग

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, अब आगे की कार्यवाही शुरू होने जा रही है तो चूंकि हम लोगों ने पहले से निश्चय कर रखा है.....

श्री अध्यक्ष—आपके चले जाने से ही आपके निश्चय का पता लग जायगा। कहने की आवश्यकता नहीं है।

*उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

†श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

इस विधेयक पर बहस हो चुकी इतनी, जिससे कि काफी मालूमात या जानकारी इस बात की मिल सके कि किस किस तरफ किस किस्म के ख्यालात इस बिल के बाबत हैं जो कुछ मैंने यहां के वादविवाद के बीच में सुना उसको नोट करके और उसका क्लासीफिकेशन करके मैं जिस नतीजे पर पहुंचा उस नतीजे की रोशनी में मैं आज अपनी इस गुजारिश में जो अब करने वाला हूं कुछ बातें इस सदन के सामने रखूंगा जिनसे इस गरज से नहीं उन बातों का जवाब हो जाय, बल्कि इस गरज से कि इस बिल की जो पोजीशन है वह साफ हो जाय। कुछ बातों के मुताल्लिक जो पहले कही गई हैं और अपोजिशन की तरफ से कही गईं उनका मैं चर्चा अपनी इस तकरीर में करूंगा।

पहली बात तो यह कही गई कि आर्डिनेन्स जारी हुआ। और इसके मुताल्लिक मैं सदन के सामने पूरी बात रख चुका कि उस वक्त बाजार में जो कुछ हो रहा था उसकी बिना पर इस की जरूरत महसूस हुई सख्त कि बिक्री-कर टैक्स लग जाय फौरन और उसकी सूरत जहां तक कि हमारी राज्य की गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है सिवा इसके और कोई नहीं हो सकती थी कि उसका आर्डिनेन्स जारी किया जाय। टैक्सों के मुताल्लिक इस किस्म की सूरतें पेश आती हैं। अगर हर टैक्स के मुताल्लिक नहीं तो कितने ही टैक्स इस किस्म के हो सकते हैं जिनमें से एक बिक्री भी है कि उसमें लगने से पहले लोगों को उसका हाल मालूम न हो और वह बिलकुल छिपा रहे। और सब मुल्कों में है यह बात। चुनांचे इस जरूरत को महसूस करके हमारी केन्द्रीय सरकार ने एक कानून पास कर रखा है उसका ऐक्ट मेरे पास है और उसमें तो ज्यादा वक्त लगेगा। अगर मैं उसको पढ़ूं। उस ऐक्ट का नम्बर अभी बतलाये देता हूं जो केन्द्रीय सरकार का है उसको पढ़ने से यह बात मालूम होगी कि केन्द्रीय सरकार ने इस जरूरत को महसूस करके कि बगैर इत्तिला बाहर हुए कि क्या हो रहा है टैक्स लग जाय। उसके बाद जो कुछ भी होता रहे यहां कानून के बारे में उस पर बहस हो और वह पास हो बाद को, लेकिन उस वक्त लग जाय। इस बात को महसूस करते हुए एक ऐक्ट के जरिये से मुस्तकिल अख्तियार ले रखा है इस बात का कि जिस वक्त वह चाहें टैक्स लगा दें। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बजट या इस साल का उसी वक्त फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तरफ से ऐलान हुआ फलां फलां चीज के ऊपर टैक्स लगने का और एक्साइज के बढ़ने का। उसके लिए कोई आर्डिनेन्स लाया गया हो या कोई ऐक्ट पहले से पास किया जाता यह नहीं हुआ और यकलख्त सारे मुल्क को खबर हुई और उसके मुताल्लिक शिकायत भी हुई कि कुछ बातें लीक करके कहीं पहुंच गईं। वह तो एक अलग

---

*२७ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।
†वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बात रही । मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि इस चीज को छिपा रखने के लिए सेन्टर ने तो इसका कानून बना लिया और वह कानून है ऐक्ट नं० १६ आफ १९३१, यह बना हुआ है। इसके पढ़ने से मालूम होगा कि.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब आपने उस कानून को रखा है तो सदन की मालूमात के लिये उसका कुछ थोड़ा सा खुलासा भी तो आ जाना चाहिए ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बता दूं ? मैंने तो इसलिये उसका नहीं जिक्र किया कि वक्त न लगे। अच्छी बात है। इसका क्लाज है ।

"Where a Bill to be introduced in the Central Legislature on behalf of Government provides for the imposition or increase of a duty of customs or excise, the Central Government may cause to be inserted in the Bill a declaration that it is expedient in the public interest that any provision of the Bill relating to such imposition or increase shall have immediate effect under this Act."

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मैं निवेदन करूंगा कि आप मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करें कि वह जरा ऐक्ट का नाम भी पढ़ दें। उन्होंने नाम नहीं बताया, नंबर बता दिया ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ऐक्ट का नाम है : "दी प्राविजनल कलेक्शन आफ टैक्सेज ऐक्ट, १९३१ । ऐक्ट नम्बर नं० xvi आफ १९३१ ।"

मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर होनी चाहिये कि अगर उसको जरूरत महसूस हो किसी टैक्स के मुताल्लिक इस क़िस्म की तो वह उसको उस तरीके से पास कर सके। हमारे पास इस क़िस्म का कोई ऐक्ट नहीं है और हमको जो इमकान या तरीका हासिल हो सकता है वह यही हो सकता है कि अगर हम उस पोजीशन को बचाना चाहते हैं तो हम आर्डिनेंस लगा देंगे। चुनांचे हमने आर्डिनेंस लगा दिया। अब आर्डिनेंस लाना वह कांस्टीट्यूशन के मुताबिक था या नहीं, मैं इसकी बहस को नहीं छेड़ता। इसमें इस चीज के ऊपर पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है इसी हाउस के अन्दर और मेरी तो राय है कि उसमें किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं था। बहरहाल मैं तो उसकी जरूरत बताने पर इक्तफा करता हूं उसके दूसरे ऐस्पेक्ट्स पर कोई झगड़ा नहीं करता हूं। कुछ बातें कही गयीं फिजूल खर्ची की, मैंने तो पहले भी यह अर्ज किया कि हो सकता है कि फिजूल खर्ची हो और उसके लिये जितना उस को कम किया जाय वह कम किया जा सके ऐसा इन्तजाम किया जाय। तो मैंने अपनी तरफ से यह ऐलान किया यहां कि एक तो कमेटी आलरेडी बैठी हुई है तो ऐसे तमाम खर्चों की पोजीशन को एग्जामिन कर रही है इस राज्य के अन्दर, और वह कमेटी कुछ इस सम्बन्ध में अपने फैसले दे देगी। दूसरे मैंने यह भी बात कही थी कि कुछ इस क़िस्म की मशीनरी बनाने की भी फ़िक्र है जिससे हम मुस्तकिल तौर पर चेक रख सकें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ क़िस्म के खर्चों का, जिस जिस के लिए चाहें, तो उसके लिये एक मुस्तकिल इन्तजाम हो जाय—उसके लिए भी मैंने अर्ज कर दिया था। तो यह बात तो नहीं है कि मैंने या गवर्नमेंट ने इस बात को रिकग्नाइज नहीं किया कि फिजूल खर्चों को रोकना चाहिये और उसके लिए जो कुछ करना चाहिए, जो जरूरी है उसको करने से मना कर दिया हो कि नहीं करना चाहिए, तब तो यह बात दरमियान में आ सकती है वरना नहीं आती।

तीसरी क बात कही गयी एवेजन की। एवेजन तो होता है—बहुत हो या थोड़ा हो। मैं तो इसी नजर से देखता हूं कि एवेजन नहीं होना चाहिये और जिन साहबान ने एवेजन की शिकायत की, मैं यह नहीं कहता कि वह ग़लत शिकायत है, उसके अन्दर बहुत शिकायत हो सकती है। तो अब इन्तजाम करने की जरूरत है कि एवेजन न हो, जहां तक मुमकिन हो एवेजन

न हो सके, और यह भी मैंने अपनी पहली तकरीर में अर्ज कर दिया था कि एवजन को रोकने के लिए जहां तक कि इस बिल का ताल्लुक है जो इस वक्त सदन के सामने है, जिसको कि मैंने पारित करने के लिए पेश किया है, इसके अन्दर तो एक क्लाज मौजूद है। उसके अन्दर लिखा हुआ है कि चेक पोस्ट्स कायम की जायं और उनके जरिये से जितनी भी रुकावटें हो सकती हैं की जायं, और यह भी अर्ज किया था कि मैं इतने पर ही इक्तफाक नहीं करता हूं कि हमने चेक-पोस्ट्स कायम कर दिये, बल्कि और भी जो समझ में आयेगा जो हमारे लिए करना जरूरी हो, वह भी इसके अलावा किया जायगा जितना कि ह्यूमनली पासिबिल हो सकता है। तो एवेजन से तो मैं खुद बचना चाहता हूं कि न हो और वह तो गवर्नमेंट के कायदे की बात है, गवर्नमेंट को उससे ज्यादा पैसा मिलता है।

इसके अलावा शिकायत हुई कि कुछ अधिकारियों में भ्रष्टाचार है और कहा गया कि मशीनरी को ठीक किया जाय। खैर, अब भ्रष्चाटार का ज्ञान जो है, कि ऐक्चुअल क्या पोजीशन है उसको छोड़ कर के मैं कहता हूं कि कहीं भ्रष्टाचार भी होता है और उससे मैं इनकार कर दूं वह भी गलत हो सकता है, और कोई दूसरा उसको पाजिटिवली अफर्म करे कि वह सारी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, वह भी गलत हो सकता है। बात अपनी जगह पर जितनी भी ठीक हो वही रखनी चाहिये कि अगर वह है तो रोकना चाहिये और अगर नहीं है तो हमारे पास ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि अगर पैदा हो जाय तो रोका जा सके और हो सके तो पैदा न हो, इस तरह का इन्तजाम हमको अपनी तरफ से करना चाहिये। जो भी इन्तजाम जरूरी हो वह इन्तजाम किये जाते हैं और जितने कानून बनते हैं उनको बनाते इस वक्त इस बात का लिहाज रखा जाता है कि कोई कानूनकी दफा ऐसी बनायी न जाय कि जिसके जरिये से किसी को मौका मिलता हो करप्शन करने का, तो जहां तक मुमकिन हो उस किस्म के कानून या तो बनाये न जायं और अगर बनाये जायं तो उसके साथ किसी किस्म का सेफगार्ड रखा जाय, जिससे भ्रष्टाचार होने का इमकान कम हो जाय या दूर हो जाय। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, जो इनसान से मुमकिन है वही किया जा सकता है, और मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं उससे ज्यादा कोई इन्सान नहीं कर सकता। यह तो भ्रष्टाचार हो गया। अब एक बात कही गई जुडीशियल मशीनरी की बाबत। मैं अपनी पहली तकरीर में अर्ज किया था कि जुडीशियल मशीनरी इस वक्त इस ऐक्ट में प्रोव्राइडेड है। उसको यहां के लीडर्स जिनसे वास्ता डिपार्टमेंट का पड़ता है और जिनके लिए वह जुडीशियल मशीनरी बनी हुई है वे इस पर मुत्तफिक हैं कि यह मशीनरी यहां हिन्दुस्तान के दीगर सूबों की मशीनरी से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी किसी क़िस्म की तब्दीलियों की जरूरत है, उन्होंने जो मुझसे कहा और मैंने यह अर्ज किया कि इस जुडीशियरी मशीनरी को हम पूरी तरह से रिएक्जामिन करा रहे हैं और जो कुछ तब्दीली उसमें जरूरी और मुनासिब मालूम होगी और वह उस वक्त जब कि पूरी अलग से अगली स्कीम आ रही है वह चीज सामने आयेगी और उस वक्त भी वह तब्दीली सामने आयेगी। बहरहाल वह चीज गवर्नमेंट के ध्यान में है और जो कुछ गवर्नमेंट की अकल में आयेगा वह उसके मुताल्लिक करेगी।

एक बात यह कही गयी कि इस राज्य की सरकार में और केन्द्रीय सरकार में इस बिल के ऊपर इख्तिलाफ था। मैं नहीं समझा कि वह कौन सा इख्तिलाफ था। यही नहीं बल्कि यह भी कहा गया कि जो इजाजत केन्द्रीय सरकार से आई वह डिफेक्टिव थी। मैंने तो यह सुना नहीं कि क्या डिफेक्ट है, लेकिन उसका जवाब इतना तो दे सकता हूं कि हाई कोर्ट ने उस क्वश्चन को एक्जामिन कर लिया है कि वह जो एसेंट थी प्रेसीडेंट की वह एसेंट जायज थी, लीगल और वैलिड थी। उसके ऊपर हाई कोर्ट का फैसला है कि हमें इजाजत सही मिली है और उसमें कोई लीगल डेफीशियेंसी नहीं है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार और हमारे बीच इख्तिलाफ का क्या प्वाइंट है वह मेरे सामने नहीं आया। कोई प्वाइंट था तो यही हो सकता है था कि एक स्टेटमेंट छप गया था उसमें दूसरी बात छप गयी थी। तो उसमें जो बात निकली वह तो सब को मालूम है। उससे कुछ

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

गलतफ़हमी थी लेकिन उसके बाद वह ठीक हो गई और जो सही पोजीशन थी वह सामने आ गई और उसका नतीजा यह निकाला जा सकता है कि न उनके अन्दर और न हमारे अन्दर कोई बात इख्तिलाफ की है।

दूसरी बात यह है कि फूड डिपार्टमेंट को वहां मौका नहीं दिया गया उसके देखने का, तो अव्वल तो यह बात कि वहां अगर ऐसा हुआ तो इससे स्टेट से क्या मतलब है। मेरा तो यह काम नहीं है कि मैं उनको यह सजेस्ट करता फिरूं कि फलां डिपार्टमेंट को भेजो और फलां को भेजो। जो कुछ ओसीजर उनका हो वह उन्होंने अडाप्ट कर के काम किया होगा। लेकिन उससे हमारे ऊपर इल्जाम नहीं पैदा होता। अब जो एक सेल्स टैक्स कमेटी बनी हुई है उसमें मशविरा नहीं किया ऐसी बात कही गई। अब एक बात अर्ज करूं कि मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब वह कानून लाया जायगा तो उससे पहले उस हाउस को कान्फीडेन्स में लिया जायगा और उससे मशविरा किया जायगा। यह मैंने अपनी तकरीर में कहा था और आज उसके खिलाफ कर दिया। उसके मुताल्लिक़ तो यह है और मैं हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि वह अपनी स्पीच मैंने पढ़ कर सुना दी थी कि मैंने क्या कहा था। उसके बाद जिन साहब ने एतराज किया उनकी स्पीच में से भी निकाल कर मैंने बतला दिया कि उन्होंने यह कहा था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह हुआ, मैं उसके मुताल्लिक ज्यादा कहना इसलिए नहीं चाहता कि वक्त लगेगा और वे बातें पूरे तौर पर सामने आ चुकी हैं। जवाब मैं उसका पूरा दे चुका हूं। उस वक्त जो मैंने हाउस में कहा था उसकी खिलाफवर्जी मैंने कतअन नहीं की है।

अब रही सेल्स कमेटी से मश्विरा लेने की बात। अब सोचा जाय कि मैं इस बात से तो डरूं कि इस लेजिस्लेचर में पहले से वह चीज न आ जाय, यकलख्त आये और उसी चीज को मैं किसी कमेटी से बुला कर उससे मशविरा लूं। इसके मुताल्लिक एक फ़ारसी का शेर है, जिसका अर्थ है कि वह भेद जिसको एक महफ़िल की शहफ़िल बैठ कर बनाती है वह कैसे छिप सकता है। मेरा तो उस चीज को छिपाना मक़सद था लेकिन बजाय इसके मैं कमेटियों को दावत देता और कहता कि आओ कमेटियो, यह देखो और इस पर मशविरा दो।

दूसरी बात मैं पहले कह चुका था कि सेल्स टैक्स कमेटी के जो टर्म्स आफ़ रेफ़रेन्स हैं, ८, १० हैं शायद आज वह इस वक्त मेरे पास नहीं कल तो रखे थे। उनको कोई देखे तो उनसे यह मालूम होगा कि कहां तक इस टैक्स का लगाना उसके टर्म्स आफ़ रेफ़रेन्स के अन्दर शामिल है और उसके मश्विरा के बगैर मुझको टैक्स लगाना जेबा नहीं था। यह बात उससे कायम नहीं होती बिल्कुल।

अब कहते हैं कि यहां दूसरे टैक्स हैं और नहीं हैं तो फ़लां हैं, उनसे पूरा करो। उस तकरीर में से एक बात तो यह निकली, जो उन्होंने फ़रमाया वह मैंने सुना और उस फ़रमाने का नतीजा यह निकला कि यू० पी० को केन्द्रीय सरकार से रुपया और क्यों नहीं मिल सकता। हमारे लीडर आफ़ दी अपोजीशन की तकरीर में यह बात थी कि फलां स्टेट का इतना था, फलां का इतना था और यू० पी० का इतना था और वह जो मैंने पहले प्लान बनाया था उसका भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि यह समझ में नहीं आता कि बाकी रुपया, जिसका हम इन्तजाम कर रहे हैं यह हमको केन्द्रीय सरकार से क्यों नहीं मिल सकता। तो अगर उस रुपये को केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर ले ले तो उसका नतीजा और कुछ तो हो नहीं सकता है सिवाय इसके कि जो टैक्सेज केन्द्रीय सरकार के हाथ से लगे हुये हैं या तो उनको बढ़ाये न या नये टैक्स लगाये। हां, अगर उन्होंने किसी को जो उसकी डिमांड थी वह पूरा का पूरा दे दिया हो और उससे यह नहीं कहा हो कि तुमको अपने यहां से इतने रुपये का इन्तजाम करना है और यू० पी० को न दिया होता तो भी कोई माने रखने वाली बात होती। लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर बर्डेन कहां डाला जाय कोई खास फ़र्क उससे पड़ने वाला नहीं है। आखिर सेंटर उस रुपये को हासिल करेगा तो उसके पास भी तो जो जरिया हासिल करने के हैं वह या तो कर्जा ले या टैक्स लगाये। अगर सेंटर टैक्स लगाता है तो यहां के रहने वाले लोग उसके दायरे में

आते हैं उन पर लगेगा। तो न्यू टैक्सेशन से तो हम सेन्टर से मिलने की हालत में भी बच नहीं सकते। रकम तो बड़ी भारी है जो सरप्लस है। मैं गिनाता नहीं हूं। कल के अखबार में भी छपा है और उससे पहले भी सामने आ चुकी है। कितने अरबों का मामला है, जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। यह कहते हैं कि वहां से हासिल करो और एक और सूरत उन्होंने बतलाई और वह यह कि जितनी शुगर मिल्स हैं उनके ऊपर क्यों नहीं लगाते हो। उनके ऊपर केन्द्रीय सरकार का लगा हुआ और हमारा भी लगा हुआ है। यह नहीं है कि न लगा हो। सेस हमारा लगा हुआ है और ऐक्साइज उनका लगा हुआ है। इन्कम टैक्स भी सरकार का लगा हुआ है। इसके बावजूद भी उनके ऊपर बढ़ाऊं तो उसका नतीजा यही हुआ कि शकर जो यहां के रहने वालों में से ६०, ६५ फीसदी लोग खाते हैं और गांवों में भी लोग शकर खाने वाले हैं मैं अपनी तरफ की जानता हूं, गोरखपुर और देवरिया वगैरह के गांवों की बात नहीं कह सकता -- अगर शुबह से लेकर शाम तक आप तीन बार उसके घर जाइये तो वह चाय आपके लिए हाजिर करेगा। दूध भी, चाय भी और चीनी भी सब मौजूद होगा। यह बात नहीं है कि गांव का आदमी गुड़ ही खाता हो और शकर न खाता हो। जब किसी चीज के लिए कहा जाता है गरां न करो तो मैं शकर गरां क्यों करूं। क्या इससे असर नहीं पड़ता है। जो पहले लगा हुआ था उससे ज्यादा लगाया जा चुका है जब वह बढ़ाया जा चुका है तो और बढ़ाया जाना मैं गैर मुनासिब समझता हूं।

तीसरी बात यह है कि इसके न लगाने में मैं अपना कसूर मानता हूं लेकिन जितना रुपया इससे मिलता वह तो सबको मालूम है। इसके ऊपर कुछ बढ़ाते और उससे जो आमदनी होती उससे जरूरत पूरी नहीं हो सकती थी। तो फिर कहां इजाफा किया जाय ?

चौथी बात यह कही गयी कि ऐक्सपेंडीचर टैक्स लगा दिया जाय। जितने आदमी ज्यादा खर्च करेंगे उनके ऊपर ज्यादा लगेगा। खर्च की एक लिमिट हो जायगी कि इतने खर्च तक वह टैक्स से मुस्तसना रहेगा। बाकी जो ज्यादा खर्च करेंगे उनके ऊपर लगाया जायगा। मैं इसके मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता हूं कि अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन मेरा वैसे जवाब यह है कि मैं या यू० पी० की गवर्नमेंट वह कर सकती है जो कर सकने का अधिकार उसे कांस्टीट्यूशन की रू से है। अगर नहीं कर सकता हूं तो नहीं कहा जा सकता है कि तुम फलां काम करो। चुनांचे यह कांस्टीट्यूशन का मामला है। जो साहबान चाहें देख लें। लिस्ट वन सेंटर की है जिन पर वह टैक्स लगा सकती है और लिस्ट दो स्टेट्स की है जिन पर वह टैक्स लगा सकती है। अगर हम कानूनन कोई टैक्स लगा सकते थे तो हम गौर कर सकते थे और नहीं लगा सकते हैं तो नहीं गौर करेंगे। इस में यह भी कहा गया कि जहां तक गल्ले का ताल्लुक है यह कहा गया कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने जरूर कहा है कि इसके ऊपर सिंगल प्वाइंट टैक्स नहीं होना चाहिए और गल्ला इससे एक्जेम्प्ट रहना चाहिये और वह गल्ला मुस्तसना रहना चाहिये। सफा ६५ पर उन्होंने तवज्जह दिलाई इस बारे में। यह हो सकता है कि मैं कम पढ़ा होऊं और मैं इबारत को न समझ पाया होऊं, लेकिन मैंने तो यह पढ़ लिया। उस इबारत में पहले तो उन्होंने वह बात कही जिसे कि आप ने पढ़ा, लेकिन इसके बाद ही एक बात है। मैं कहीं से एक फिकरा अर्ज करूं और उसके बाद और उसके पहले जो लिखा है उसको छोड़ जाऊं जब कि उसको मिला कर पढ़ने से उस के माने बदल जाते हों तो इसके क्या माने हैं। जो उसमें ५ नम्बर का पैराग्राफ है उसको मिला कर अगर उस इबारत को पढ़ा जाय तो उससे उसके माने साफ वाजे हो जायंगे। उनका कहने का मकसद यह है कि हर स्टेट किस चीज पर टैक्स लगे या न लगे, इस चीज को वह खुद तजवीज करे। यह पहला फिकरा है उनका कि हर स्टेट अपनी लिस्ट खुद बनाये और एक्जेम्प्शन्स क्या होंगे उनको वही तजवीज करे। लेकिन यह लिखा कि एक्जेम्प्शन्स में जो सब से पहली ग्लेयरिंग चीज आ सकती है वह चीज गल्ला है। गल्ले को सब से पहले मुस्तसना होना चाहिये। यह इबारत में लिखा है। यह उनकी राय नहीं है। "इट इज नाट दि ओपीनियन आफ़ दि कमीशन इटसेल्फ" (स्वयं कमीशन की ऐसी राय नहीं है।) लेकिन जो

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जनरल खयाल हो सकता है लोगों का उस जनरल खयाल को उस मौके पर उन्होंने जाहिर किया और जाहिर करने के बाद कहा कि हर स्टेट को अपना अपना मौका होगा और लिस्ट जो बनेगी वह स्टेट खुद ही बनायेगी। "दैट इज लेफ्ट एंटायरली टु दि डिस्क्रिशन आफ़ दि स्टेट गवर्नमेंट" (उस को पूर्ण रूप से राज्य सरकार स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है) उन्होंने किसी को उस पर मजबूर नहीं किया है कि फलां चीज पर लगाना और फलां चीज पर नहीं लगाना। और मैं समझता हूं कि वह चीज मुनासिब भी हो नहीं सकती।

उन्होंने यह भी शिकायत की कि इस टैक्स के बढ़ाने या नयी चीजों पर टैक्स लगाने का असर यह होता है कि यह लो यह इनकम ग्रुप पर पहुंचता है। किसी टैक्स को लो इनकम ग्रुप तक पहुंचाना चाहिये या नहीं यह खुद में एक मसला है और इस पर आप की कुछ राय हो सकती है, मेरी कुछ राय हो सकती है और किसी दूसरे की कुछ राय हो सकती है। मैंने भी कुछ पढ़ा है, "नाट इन कनेक्शन विद दिस बिल" लेकिन दुनिया के बड़े बड़े आथर्स ने जो किताबें टैक्सेशन के बाबत लिखी हैं, उनके हिसाब से मैं अर्ज करता हूं। हर मुल्क के रहने वालों की हालत में फर्क होता है। अमरीका है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, हर जगह टैक्सेस लगे और उनके यहां टैक्सेस के प्रिंसिपल्स कायम होते आये, ऐडम्स के जमाने से लेकर अब तक कायम होते आये, तो उनमें टैक्सेज का जितना ज्यादा दायरा बन सके उतना ही ज्यादा उचित समझा जाता है कि टैक्सेस ऐसे हों कि जो ज्यादा आदमियों को घेरते हों। आज अगर इस स्टेट के अन्दर कोई टैक्स ८५ लाख आदमियों के लिये ६ लाख आदमियों पर लगाया जाता है और कोई टैक्स ऐसा है कि जो उतने ही आदमियों के लिये १६ लाख आदमियों पर लगाया जाता है, तो यह १६ लाख आदमियों वाला टैक्स ६ लाख आदमियों वाले टैक्स से ज्यादा बेहतर समझा जाता है।

दूसरा सवाल जो हो सकता है वह इस बात की शिकायत हो सकती है कि उसके पे करने की कैपिसिटी है या नहीं। अब जहां उसके खुद बेचने का ताल्लुक है उसकी कैपिसिटी का उसमें कोई सवाल नहीं है। जो खुद बेचने वाला है वह तो अनाज बेचेगा तो उसको अपने पास से देने का सवाल नहीं है। वह अपने पास से टैक्स हरगिज नहीं देगा। तो फिर कैपिसिटी का सवाल कहीं भी नहीं है। सवाल कैपिसिटी का उन लोगों का आता है जो उस चीज को कंज्यूम करेंगे। वह बेचनेवाला उन खरीदारों को एक रुपये की चीज एक रुपये ६ पाई में बेचेगा।

जहां तक काश्तकार के बेचने का ताल्लुक है उसे तो कोई टैक्स नहीं है। जो कानून हमने बनाया है उसमें जो काश्तकार बेचेगा उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके आगे जो बिक्री होगी उस पर लगेगा और जो उसको शरह अदा कर पड़ती है उसकी कीमत पर उसका असर पड़ेगा। उसको अगर फ्लेक्चुएली देखा जाय तो वह भार जो अदा कर पड़ता है वह ऐसा नहीं है जिसको आम आदमी बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने नजदीक यह नहीं समझता हूं कि वह आदमी उसको बरदाश्त नहीं कर सकता है। दूसरे आदमी अगर उसको यह समझलें कि जो मिनिस्टर हो गया वह इस दुनियां से निकल गया है और यहां की हालत से वाकिफ नहीं है, हालात को जानता नहीं है, अंधा हो गया है यह बात बिलकुल गलत है। सूबे का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से मेरे पास आदमी न आये हों और न आते हों। कोई कस्बा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है और कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जिससे हमारा वास्ता न हो। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां की माली हालत को हम न जानते हों। जितनी जानकारी का और कोई मेम्बर दावा कर सकता है तो हम भी दावा कर सकते हैं कि हम भी पूरी तरह से वाकिफ हैं। अगर हम सब गांवों में नहीं जा पाये हैं तो तब भी हम वहां की हालत से वाकिफ हैं इसलिये कि मैं यहीं का रहने वाला हूं, जिले बिजनौर का रहनेवाला हूं और जितने मिनिस्टर यहां रहते हैं वे सब यहीं के रहने वाले हैं। मैं बिजनौर जिले की हालत को जानता हूं और पश्चिमी जिलों की बाबत कह सकता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर बनारस के रहने वाले हैं तो वह वहां की हालत को

कह सकते हैं और जो कुछ और बीच के हिस्सों के रहने वाले हैं वे वहां की हालत से वाकिफ हैं। तो इस तरह के सारे सूबे का जाती हाल हमको मालूम है। तो हम इस बात को क्यों समझें कि हम तो उनके दुश्मन हैं और हमारे दोस्त उनके बहुत दोस्त हैं। दूसरी बात यह है कि बकौल उन्हीं के मेरी तो गर्ज अटकी हुयी है और मैं वोट लेना चाहता हूं और मैं एलेक्शन लड़ रहा हूं और वोट की जरूरत है तो उस वक्त मैं बदअक्ल यह चाहूंगा कि दुनियां को नाराज कर दूं। दूसरा आदमी यह समझता है कि यह अच्छा कर रहे हैं। अगर अपने लिये हम कब्र खोद रहे हैं तो उनके लिये यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि मैं अपनी तरफ से ही इस सूबे में क्यों खामख्वाह टैक्स लगाने की सोचूं। तो क्या वजह है? कुछ तो नफा हमको उससे होना ही है। मैं तो कहता हूं कि इस वक्त हमारे लिये यह नुकसानदेह है और फिर इसके ऊपर ताज्जुब यह कि वह मेम्बर साहब इस वक्त हाउस में नहीं हैं लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी सेल्स टैक्स की बदौलत कामयाब हो जाय किसी जगह से तो उसको तो सेल्स टैक्स का शुक्रिया अदा करना चाहिये न कि उसके खिलाफ वह कुछ कहे। जैसे कि बिजनौर की कांस्टीट्यूएन्सी ने मुझको कामयाब कर दिया तो फिर मैं उसी बिना पर खिलाफ तकरीर करना शुरू करूं तो फिर यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

यहां के रहनेवालों की हालत का जहां तक ताल्लुक है उस हालत को देखना हमारा अपना फर्ज है और इसी वजह से नहीं कि हम बड़े कर्तव्य के अदा करने वाले हैं बल्कि खुद हमारी गर्ज उसके अन्दर है। मैं अपने आपको तबाह करूंगा, अपने दोस्त को तबाह करूंगा और अपनी औलाद को तबाह करूंगा। कोई ऐसा है कि जिसने अपनी जात से ऐसा तर्क का अख्तयार किया हो कि जो लोग उसके लिये अपनी जान देनेवाले हैं उनकी औलाद की तब ही सोचकर मैं कोई काम करूं और इसलिये सेल्स टैक्स लगा दूं? इसके क्या माने हैं? या मेरा दिमाग खराब है और लोग मुझको पकड़ कर आगरे में वहां भेज दें? मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी दलील हो सकती है इस बात की, किस बिना पर कोई पब्लिक का आदमी यह समझ सकता है कि हम बिला वजह ऐसा कर रहे हैं।

इसके बाद प्लान के बारे में दो बातें कही गयीं। एक तो यह कहा गया कि जो पहली प्लान थी उसमें जो कुछ हुआ वह कुछ कामयाब नहीं हुआ और उसका जो लक्ष्य था वह हासिल नहीं हुआ। और यह दूसरी प्लान जो है उसके मुताल्लिक भी कहा और कहा कि वह भी कुछ नहीं है। अब उस डेवलपमेंट का क्या नतीजा हुआ? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। बजट पेश करते वक्त मैंने अपनी स्पीच में से पढ़ा था। उसका एक चैप्टर था एकनामिक प्रास्पेक्ट्स इन यू० पी०, उसमें २७७ रुपये का एक लफ्ज आया था। उसमें २७७ रुपया पर कैपिटा लिखा हुआ था। मैंने यह बतलाया था कि इस वक्त सूबे के अन्दर आमदनी बढ़ कर २७७ रुपया हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—कल एक प्रस्ताव पास हो चुका है और मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया है कि उसमें कुछ समय भाषणों के लिये निर्धारित हो चुका है। इसलिये जरा संक्षेप में अपने भाषण को कर दीजिये। अभी मैं प्रस्ताव में देख लूं कि समय अमेंडमेंट के लिये मुकर्रर हुआ है या थर्ड रीडिंग के लिये। मेरा मतलब यह है कि आपको इसमें भी कुछ मुख्तसिर होना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तो उसके मुताल्लिक यह कहा गया कि वह काम ही क्या हुआ।

गल्ले के लिये मैंने कहा कि हम सेल्फ सफीशियेंट हो गये। वे कहते हैं कि नहीं हुये। मैं पूछता हूं कि उस दिन और इस वक्त तक यू०पी० ने किसी और जगह से अपने खाने के लिये गल्ला खरीदा? अगर अपने खाने के लिये नहीं खरीदा तो गल्ला कहां से आया? वह हमें कहां से मिला? बरखिलाफ इसके हमने बाहर के आदमियों को दिया। जैसा कि मैंने

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

अपनी स्पीच में बतलाया कि हमने चावल को एक और चीज को बाहर भेजा और यह गल्ले में सेल्फ सफीशियेंट होने का सबूत है।

उन्होंने २७७ रुपया आमदनी हो जाने के खिलाफ कुछ नहीं कहा सिर्फ यह कहा कि वे इस पर यकीन नहीं करते। और काम जो हो रहे हैं रिहन्ड डैम वगैरह के उनके बारे में भी उन्होंने कहा, लेकिन उसको मैं इस वक्त छोड़े देता हूं। अब यह काम जो डेवलपमेंट के हो रहे हैं उनके लिये पैसे की जरूरत है। उसी जरूरत को पूरा करने के लिये यह टैक्स लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गल्ले से १२ करोड़ मिलेंगे और सारी जो स्कीम है उससे २५ करोड़ मिलेंगे। या तो मेरे पास बैठकर कोई हिसाब कर ले, मुझसे समझ ले या मुझको समझा दे या जो शख्श इस बात का मुद्दई हो कि इतना रुपया मिलेगा, मेरे कहने से ज्यादा मिलेगा तो मैं उसको गवर्नमेंट से ठेका दिलवा दूंगा कि वह साढ़े पांच करोड़ रुपया मुझको दे दे और बाकी वह खुद ले ले। मैं उनको ठेका दिलवा दूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। यह प्रैक्टिकल टेस्ट वह कर सकते हैं। मैं उनको ठेका दिला दूंगा।

श्री अध्यक्ष—उस में भी आप को सदन से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सदन की मंजूरी के लिये भी मैं हाजिर होऊंगा। एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि ३,४,६,१०,११,१२ और १६ यह ७ क्लाजेज इस बिल के हैं कुल १७ में से जिन के ऊपर बिल बेस्ड है या सब्सटेंटिव है और इन ७ के ऊपर जो बहस यहां हुयी वह काफी थी या नहीं यह मैं दुनियां के फैसले के ऊपर छोड़ देता हूं और मैं अपनी तरफ से इसके मुताल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता कि किसी तरह से भी यहां डिस्कशन में कोई रुकावट न हीं रही या यह कि बहस को शार्ट कर दें और इस का सबूत यह है कि १-१ घंटे और सवा-सवा घंटे की तकरीरें यहां सब की आंखों के सामने हुयीं लेकिन किसी ने उन को नहीं रोका। इसलिये यह शिकायत की कि पूरा वक्त नहीं दिया गया, मेरे नजदीक तो ऐसी शिकायत होनहीं सकती।

एक जरा सी चीज और कह दूं जिसके बारे में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि आगे एक नई स्कीम आ रही है यानी सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स की स्कीम आ रही है और उसमें हम अभी सोच रहे हैं कि क्या-क्या किया जाय और किस तरह से किया जाय। उस की तैयारी करने के लिये इस बिल में ही इन्तजाम रखा गया है कि इसके पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन होना शुरू होगा, जो होना जरूरी है, वह होगा और इस के साथ-साथ वह जल्द से जल्द किसी मौके पर हाउस में भी पेश करूंगा। इस वक्त इसको इसी तरह से छोड़ दिया गया है और इसको पूरा उसी वक्त समझा जायगा जब दूसरी स्कीम यहां आ जायगी।

अब जहां तक गल्ले का ताल्लुक है मैंने उस रोज भी एक बात अर्ज की थी जबकि मैंने यह बिल पेश किया था कि मैं अभी सुनूंगा गल्ले के मुताल्लिक क्या क्या कहा गया और सोचूंगा और गवर्नमेंट को भी सुनाऊंगा और अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी गल्लेपर सेल्स टैक्स न लगे या उस पर सेल्स टैक्स न रहे तो अगर कुछ कर सकूंगा तो वह करूंगा। लेकिन अफसोस है कि कुछ साहबान ने यहां देर लगायी और मैंने जो सुना उस में से एक साहब जो इधर के ही हैं उन्होंने कोर्स ग्रेन के बारे में अमेंडमेंट दिया था कि उस को इससे मुस्तस्ना कर दिया जाय। उसकी ताईद में उधर के लोग भी बोले और कहा जा सकता है कि वह इसलिये बोले क्योंकि वे चाहते हैं थे कि तमाम गल्ले पर से ही सेल्स टैक्स हटा दिया जाय, यह अमेंडमेंट उसमें आ जाता है और कोर्स ग्रेन गल्ले में शामिल है ही इसलिये उन्होंने उस की ताईद कर दी, लेकिन मैंने किसी के मुंह से यह नहीं सुना कि गेहूं है, चना है, ज्वार है या बाजरा है, मकई है—यह कि फलां चीज को छोड़ कर दिया जाय, हालांकि मैं इस को सुनने को तवक्को रखता

था। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के मेम्बर तो मेरे पास प्रपोजल ले कर आये और उन्होंने बताया कि इन चीजों को टैक्सेज से बरी किया जाय, लेकिन मैं जिधर से मैं तवक्को करता था उधर से कोई चीज मुझे जानने को नहीं मिली।

इसके अलावा जो कुछ बातें मैंने यहां के मेम्बरान से सुनीं उसके नतीजे से मैं एक फैसले पर पहुंचा हूं और उसको मैं हाउस को बताना चाहता हूं। गल्ले में से इन चीजों पर जिन को मैं बताता हूं टैक्स नहीं रहेगा, जब यह बिल पास हो जायगा। जरा सा फर्क है उसकी माफी चाहता हूं। अलफाज जो हैं---अनाजों के नाम जो हमारे यहां हैं उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो इधर और हैं और उधर और हैं। उधर का तलफ्फुज इधर नहीं होता और मुमकिन है मेरा तलफ्फुज गलत हो। वह सामने मेम्बरान हमारे के रहेगा। इस वक्त सुन लिया जाय। अगर शुबहा पैदा हो तो उसके मुताल्लिक पूछ सकते हैं कि कौन सा अनाज है, क्या मतलब है उससे। मुझको उन्होंने ११ अनाजों की लिस्ट दी थी उसमें से मैंने मश्विरा करके गवर्नमेंट ने यह तै किया कि सावां जो होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं रहेगा, कोदों के ऊपर टैक्स नहीं रहेगा, मंडुवा के ऊपर नहीं रहेगा, किसार के ऊपर भी नहीं रहेगा, काकुन के ऊपर नहीं रहेगा और लतरी के ऊपर नहीं रहेगा। बाकियों पर कंसीडरेशन आगे को जारी है।

श्री अध्यक्ष---यह सब अनाज बुन्देलखंड में होते हैं, एक मंडुवा को छोड़ कर।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ये जितने अनाज हैं उस रोज मैंने चेंजेज इंट्रोड्यूस किये थे। उनकी तादाद १६ थी। १६ में ५ को तो बिलकुल एग्जेम्पशन उसी दिन दे दिया था और बाकी में रियायतें कर दी थी, किसी को रकम घटा दी और किसी में सूरत बदल दी। इन ११ में से एक चीज मञ्जरी मैंने छोड़ दी---इस तरह से ११ में से ७ चीजों पर छोड़ा गया है बाकी पर कंसीडरेशन है। अब हूजूर के जरिये मेम्बरान से दरख्वास्त है कि हम इस बिल को पास कर लें और यहां फायदा हो, विकास हो। गरीब आदमी आइंदा उसके जरिये आमदनी पैदा करे और उसकी हालत आज जो खराब है वह हालत बेहतर हो और स्टेट के अन्दर दौलत बरसने लगे।

श्री शिवनाथ काटजू---माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी तकरीरों में कई बार अशआर पढ़े। मैं भी एक फारसी का शेर आपके द्वारा उनके सामने रखता हूं---

'सुपुर्दम बतो माइये खेशरा, तू बे दानी हिसाबे कमो बेशरा।'

यानी अपनी पूंजी मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दी और हिसाब-किताब आप खुद समझिये। मैंने यह इसलिये निवेदन किया कि जहां तक इस टैक्स का ताल्लुक है इस सदन के सदस्य अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है और मेरे ख्याल में और भी बहुत से मेम्बरान मेरे हो हमख्याल के होंगे कि यह बिल बदर्जे मजबूरी यहां पेश किया गया। जनता के ऊपर काफी भार है और इससे अधिक और भार उनके ऊपर डालना, उनके ऊपर टैक्स लगाना उनकी कठिनाइयों को बढ़ाना है। यह हम समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे सामने यह भी एक जिम्मेदारी थी कि आज कल को ही सिर्फ न देखें बल्कि आगे भी देखें, भविष्य के निर्माण की समस्याओं को सामने रखते हुये बदर्जे मजबूरी यह बिल सरकार को लाना पड़ा और हमने सरकार का समर्थन किया। लेकिन जैसा मंत्री जी ने खुद कहा है वह उन बातों पर खुद गौर कर रहे हैं जिसके बारे में यहां सदन में रोशनी डाली गयी यानी टैक्स इवेजन और सरकारी कर्मचारियों की कनजोरियां और जो ज्यादा अबराजात होते हैं उनकी कमी करने का सवाल। मैं सिर्फ इस वक्त श्रीमान् जी, आपके द्वारा एक जरूरी बात पर रोशनी डालना चाहता हूं और वह यह है कि टैक्स लगाया जा रहा है और जैसा मैंने निवेदन किया जनता के ऊपर काफी भार है और उसके भार को वह सहन करने में

[श्री शिवनाथ काटजू]

जरूर मचलेगी, जरूर वह दिक्कत महसूस करेगी। लेकिन हमें विश्वास है कि जब वह यह जानेंगे कि आज उनको कठिनाइयां उठाने के लिये इसलिये मजबूर किया जा रहा है ताकि हम आगे चल कर अपने देश को और मजबूत बना सकें तो वे इस तकलीफ के उठाने पर राजी हो जायेंगे यह हमारा विश्वास है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि टैक्स की आड़ में और तकलीफें जनता के ऊपर न बढ़ायी जायं और उसी के ऊपर मैं खास तौर से आपके द्वारा इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं। आज यह दिख रहा है कि जहां टैक्स रुपये पर दो पैसा बढ़ा, ४ पैसा बढ़ा वहां दूकानदार ४ आना, ६ आना और कहीं-कहीं इससे भी ज्यादा टैक्स की आड़ में दामों को बढ़ा रहे हैं। यह ऐसी चीज है कि जिससे जनता की दिक्कतें बढ़ती हैं और जनता यह तो नहीं समझती कि व्यापारी लोग ही टैक्स की आड़ में कीमतों को बढ़ा रहे हैं। बल्कि वह यह समझती है कि इसकी जिम्मेदारी सेल्स टैक्स के ऊपर ही है .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बहुत संक्षेप में होना चाहिये।

श्री शिवनाथ काटजू—मैं मिसालन अर्ज करता हूं कि कल ही मुझे सदन के एक जर्नलिस्ट साहब सरदार सेठी ने कहा कि पहले डालडा का टिन १० रु० २ आने में बिकता था और जब सेल्स टैक्स लगा दिया गया तो वही टिन १२ रुपये से ऊपर दाम पर बिका। तो १२ रुपये से ऊपर उनको कीमत देनी पड़ी। मैं नहीं कह सकता कि सेल्स टैक्स कितना था और यह दाम इस प्रकार से कैसे ज्यादा बढ़े। इसी तरह से और चीजों पर, जैसे साइकिल के टायर में या तेल या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर टैक्स इतना नहीं बढ़ा जितनी कीमत व्यापारियों ने बढ़ा दी। इस बोझ को जनता बरदाश्त न कर सके। लोग उस टैक्स की आड़ में ज्यादा दाम चीजों के बढ़ा रहे हैं और मनमाना ले रहे हैं। यह इतना भार है कि मेरे खयाल में जनता उसको बरदाश्त न करे। मुझे खास तौर से सरकार की तवज्जह इस बात पर दिलानी है कि वह कोई ऐसे मजबूत कदम उठाये जिससे व्यापारियों को मालूम पड़ जाय कि इस ज्यादती को सरकार बरदाश्त नहीं करेगी कि सेल्स टैक्स की आड़ में मनमानी कीमतें बढ़ायी जायं और ज्यादा दाम वसूल किये जायं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के विधेयक को जिसे उन्होंने पेश किया है और जिसको सदन ने पास किया है समर्थन करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने जो यह बिल पास किया है.....

श्री अध्यक्ष—अभी पास नहीं किया है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—जो द्वितीय वाचन पास किया है वह यह समझकर किया है कि यह इमर्जेन्सी मेजर है। हम यह जानते हैं कि आज न केवल हमको गरीबी और बेकारी से लड़ना है, बल्कि और कुछ ऐसी घटनायें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं जिनके लिये भी हमें तैयारी करनी है। कुछ दूसरे देश इस बात के लिये भी तैयार हैं कि हमारी आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठायें और हमको एक गुट में शामिल होने के लिये बाध्य करें। इसलिये मैं कहता हूं कि यह इमर्जेन्सी समझ कर इस बिल को पास कर रहे हैं। इसलिये हम ऐसी अवस्था में उस प्रगति को तो नहीं रोकना चाहते जो कि हमारे लिये वांछनीय है, लेकिन साथ ही साथ यह भी नहीं चाहते कि जनता के ऊपर भार जरूरत से ज्यादा पड़े। अभी माननीय काटजू साहब ने जिस बात के ऊपर संकेत किया वह तो है ही कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट यह बात भी देखे कि जितना टैक्स लगाया जा रहा है, जितना जनता के द्वारा दिया जा रहा है वह पूरा पूरा सरकार के पास पहुंचने वाला है। इवेजन और चोरी को रोकना बड़ा लाजिमी है और इससे जो और कठिनाइयां पैदा इस समय हो रही हैं, उनको जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ चीजों की तरफ संकेत किया। चेक्स एंड

कंट्रोल पोस्ट्स जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कायम की जायं। सिंगिल प्वाइन्ट टैक्सेशन के लिये जो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है वह महीने भर में या डेढ़ महीने में जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिये, वरना जहां तक मेरी सूचना है, बाजारों में, गल्ले के बाजारों में बड़ा कन्फ्यूजन है और हमारे यहां से गल्ले का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होने लगा है क्योंकि सीमावर्ती जो प्रदेश हैं उनमें कोई सेल्स टैक्स नहीं है सिवाय बिहार के लेकिन वहां पर भी केवल ३ पाई है। अगर चेक पोस्ट्स सीमा पर शीघ्र ही स्थापित न हुये तो सीमावर्ती जिलों का व्यापार कहीं ऐसा न हो कि इस तीन चार महीने की देरी से नष्ट हो जाय। हमें यह आश्वासन था कि जो इंटर स्टेट सेल्स टैक्स आयेगा उससे सीमा के जो जिले हैं उनके व्यापार को राहत मिलेगी लेकिन वह मेरे ख्याल से एक परसेंट से ज्यादा होने वाला नहीं है इसलिये जहां दो पैसे का और एक आने के फर्क को वह ज्यादा कम नहीं कर पायेगा और कड़ाई के साथ जिलों से आने वाले माल पर यदि कंट्रोल नहीं हुआ और उचित प्रबंध नहीं हुआ तो यह निश्चय है कि ऐसे स्थानों का व्यापार चौपट हो जाय और उसका परिणाम यह हो कि जितना शायद हमें सेल्स टैक्स से, उसकी बढ़ोतरी से, आमदनी हो उससे ज्यादा हम इस तरह से खो बैठेंगे। तो मैं इस वजह से निवेदन करूंगा कि इन बातों के ऊपर वित्त मंत्री जी अवश्य ध्यान दें।

इसके अतिरिक्त एक बात और है। इकोनामी के सम्बन्ध में सरकार विशेष रुप से विचार करे। सिर्फ कमेटी के सिपुर्द कर देना काफी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि यह किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को देना चाहिये। अगर कोई भी मशीनरी है और कोई भी संस्था जिसमें है सबसे ज्यादा रेशनलाइजेशन की जरूरत है तो वह गवर्नमेंट है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं इस तरह से देता हूं, जिसके लिये किसी कमेटी की जांच की जरूरत नहीं है। एक कम्पोस्ट पिट बनाया जाता है उसकी चार-चार जगह रिपोर्टिंग होती है। काम एक होता है, दिखाया चार जगह जाता है। उसमें कितना वक्त, कितना रुपया, कितने आदमी लगते हैं, यह सबको मालूम है। प्लानिंग भी उसको रिपोर्ट करेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट भी रिपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चर भी करेगा, पंचायत राज भी करेगा। इस तरह से जो चारों तरफ बड़े बड़े डिपार्टमेंट खुलते जा रहे हैं वह कागज पर काम को विस्तार दे रहे हैं, इसको तो कम से कम फौरन ही रोका जा सकता है। इसलिये किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को इसके ऊपर लगाना बहुत जरूरी है जो कि इसके बारे में ठोस सुझाव दे। यह जो कमेटियां बैठती हैं यह नान एक्सपर्ट बाडीज होती हैं और उनकी बातों का किसी न किसी तरह खंडन कर दिया जाता है। सर्विसेज ने जिस ढांचे को खड़ा किया है इस वजह से सहज उसको बदलने के लिये तत्पर नहीं होतीं। तो अगर गवर्नमेंट अर्नेस्ट है इस मामले में तो वह कोई ऐक्सपर्ट बाडी इस काम के लिये मुकर्रर करे ताकि जल्दी से जल्दी इकोनामी हो, और टैक्सपेयर को कम से कम यह सन्तोष हो कि जो रुपया वह गवर्नमेंट को देता है वह पूरा पूरा सरकार के पास पहुंच रहा है और उसका सदुपयोग हो रहा है।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---मुहतरिम स्पीकर साहब, मैंने तकरीबन एक घंटे आनरेबिल फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर सुनी जिसका तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्सा लाउड स्पीकर की खराबी की वजह से या आवाज न आने की वजह से न सुन सका--आधे से कम हिस्सा जरूर सुना। मैं समझता हूं कि आज यह बिल इतना अहम था कि आनरेबिल चीफ मिनिस्टर को भी यहां मौजूद रहना चाहिये था, ताकि हम उनके सामने ६ करोड़ इन्सानों पर जो गुजर रही है, सफाई के साथ अर्ज करते। हम अवाम के नुमाइन्दे हैं, हमारा यह फर्ज है। हम जानते हैं कि यह बिल पास हो रहा है, होगा और आज पास हो जायगा और इसके असरात किस तरह मुतरत्तिब होंगे इसका अहसास सबको है और हमें अफसोस है कि इस जिम्मेदारी के होते हुये आज वह यहां तशरीफ नहीं रखते हैं। जो दलायल हाफिज साहब ने दिये, जाहिर है कि हाफिज साहब हम से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। ज्यादा टैक्स लगाना, कम टैक्स करना,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

हर तरह के सद्दोनजर को वह देखते आये हैं, जबकि स्वराज्य पार्टी यहां थी, अंग्रेजों का जमाना था और जबकि टैक्स लगाने में तरह-तरह के इमकानात थे । टैक्स लगाने से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके जरिये जो तरक्की आप करने वाले हैं वह अहतियात के साथ करें, हमको मार कर जो तरक्की आप करेंगे वह खूबे की तरक्की नहीं होगी बल्कि बरबादी होगी ।

जहां तक गल्ले का ताल्लुक है वह इतना काफी गरां हो चुका है कि मजीद बार इसके ऊपर लोग बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं । आपके गवर्नमेंट टेक्नीशियंस ने जो कुछ बताया हो उसके ऊपर दारोमदार इस बिल का मालूम होता है, लिहाजा सिवाय इसके कि हम इसकी ताईद कर दें, लेकिन जो इसके नतायज आने वाले हैं उनसे आपको बेखबर रखना मैं एक कौमी गुनाह समझता हूं । जब मैं यह कह रहा हूं तो मेरे लिये एक दिक्कत का सामना है । एक तरफ तो अवाम जिन्होंने चुनकर हमें यहां भेजा है उनके जजबात का लिहाज, दूसरे वह अदब जो गवर्नमेंट के लीडर और पार्टी लीडर या डिप्टी लीडर का होता है उसको मलहूज खातिर रखते हुये जो कहना चाहिये वह मैं कहूंगा । यह सही है कि जो कुछ हम कहते हैं उसमें आपको बचा कर कहते हैं ।—

"बचा कर दामने कातिल, यह कहते हैं तेरे बिस्मिल,
लिहाजा खातिरे जल्लाद हम नाशाद करते हैं ।"

लेकिन फिर भी हम जो अदब करना चाहते हैं उसका नतीजा यह नहीं होना चाहिये कि कानून को दिक्कत ज्यादा बढ़ जाय और अवाम को उन तकलीफों से और जजबात से बेनियाज होकर कोई बिल बनाया जाय । इसके अलावा और भी सूरतें मुमकिन हो सकती हैं जिनको अगर गवर्नमेंट सोचे और अमल करे तो लोगों को बगैर मजीद बार का अहसास हुये काफी रकम इकट्ठा हो कर आ सकती है और उससे फायदा हो सकता है । जैसे रेल से जो मुसाफिर सफर करते हैं तो फी टिकिट एक आना डेवलपमेंट टैक्स बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपकी इस बात का विधेयक से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—बहरहाल टैक्स लगाने के और तरीके हो सकते हैं और जरूरत हो तो सेन्टर से मंजूरी ली जा सकती है और यहां पर पूरा कर सकते हैं । अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मशविरा करते तो वह कर सकते थे । सुना है, उस पर टैक्स बढ़ा कर कमी को पूरा किया जा सकता है । मैं यह जरूर कहूंगा कि गल्ले के ऊपर नहीं होना चाहिए, किताबों पर नहीं चाहिए जो यह जुल्म हो रहा है . . . . .

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—किताबों पर यह जुल्म नहीं हुआ ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—आपने उसको मुस्तस्नियात में रखा है, मेरे ख्याल में यह इकट्ठा कदम उठाया है । लेकिन टैक्स जो इस तरीके से घुमा फिरा कर रखा गया है उसमें जरूरत की हर चीज पर उसका कुछ न कुछ असर पड़ता चला जा रहा है । अभी-अभी इस ऐवान के अन्दर बिल लाने से पहले जो आर्डिनेंस लगाया गया था उस पर बहुत कुछ कहा गया और मैं समझता हूं कि वह कदम फाइनेंस मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने इन्तहाई दानिशमन्दाना उठाया था । अगर उस वक्त यह आर्डिनेंस न लगता तो यकीनन बाजार की करोड़ों और लाखों चीजें इधर-उधर हो जातीं और मिल-मालिक उससे ज्यादा फायदा उठा लेते और वह तरीका जो दूकानदारों ने हड़ताल वगैरह का बतौर एहतजाज अख्तियार किया वह अवाम की हमदर्दी में नहीं किया, लेकिन मैं एक तरफ देखता हूं कि उस जमाने में आटा एक रुपया, अठारह आने और सवा रुपये सेर बिक गया, लेकिन आपने उसके ऊपर कन्ट्रोल करने का कोई सामान नहीं किया । मजदूर तड़पता रहा और अवाम जो रोज खरीद कर खाता है वह तड़पता रहा

और उसकी तरफ आपकी तवज्जह नहीं गयी। आइन्दा आपको ऐसी चीजों की तरफ तवज्जह करनी चाहिए। अगर आपकी तवज्जह नहीं गयी, तो अवाम की बेचैनी बढ़ती जायगी और अगर आप इस तरफ तवज्जह करेंगे तो आप काफी बेचैनी को कम कर सकेंगे। एक बात और अर्ज करनी है कि अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया जहां तक मैं समझ सका हूं कि गांव के लोग शक्कर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि बहुत से ऐसे खाने जो शहरों में खाये जाते हैं गांव में उसे इत्तिफाक से नहीं खाते। वह मुर्ग नहीं खाते, पुलाव नहीं खाते, फीरनी नहीं खाते, कोरमा नहीं खाते, लेकिन उसको क्यों नहीं खाते इस पर आपने तवज्जह नहीं फरमायी। उनको मिलता नहीं है। वहां भी बड़े बड़े जमींदार और बड़े आदमी रहते हैं, खाते हैं तो उसी गांव में रहने वालों में उनका भी शुमार है जो खाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। यह मिसाल यहां पर सादिक नहीं आती। इसलिए इस तरफ मिनिस्टर साहब को दोबारा गौर करना चाहिए।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि शुरू से आज तक चारों तरफ नमक पर जो टैक्स आपने लगाया था, उसके खिलाफ बड़ा एहतिजाज बुलन्द किया गया और वह चीज आपके सामने थी और आपने कहा कि जो टैक्स जिस चीज पर था उस पर गौर करेंगे। लेकिन यह सही है कि आपने नमक पर टैक्स लगाया और गल्ले पर टैक्स लगाया लेकिन उसके साथ साथ जरूरत की जितनी चीजें हैं वह सब मंहगी हो गयीं। लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने गौर नहीं किया कि बाहर की चीजों पर कितनी मंहगाई है। की आज जो साढ़े तीन रुपये सेर तक पहुंच गया था वह इस वक्त सवा पांच रुपये तक का मिलता है। डालडा पर बढ़ जाय तो बढ़ जाय, लेकिन असली घी को तो आप सस्ता कर सकते हैं उस पर भी आपने तवज्जह नहीं की। तो आपने टैक्स लगाया १ आने, ६ पाई और ३ पाई, यह तो आपकी शरह है लेकिन कभी आपने इस पर भी गौर किया कि किस तरह से और चीजों पर दो-दो, तीन-तीन रुपये तक बढ़ा दिया गया है। उसकी कमी के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की। उसका नतीजा यह है कि लोग यह सोचने लगे कि एक हिस्से की तरफ आप बेपरवाह रहे और एक हिस्से की तरफ ही आपकी तवज्जह रही और यह आपकी बेतवज्जही का ही नतीजा है। यकीनन यह आपका एक बहादुरी का कदम है कि अपने वोटों की बगैर परवाह किये हुए जो मुल्क और सूबे की भलाई के लिए आप मुनासिब समझते थे, आपने किया, लेकिन जिस हद तक आप को जाना चाहिए था और तमाम चीजों पर गौर करके ऐसी रोक करते जिससे चीजें जरूरियात की इतनी मंहगी न होतीं लेकिन उस तरफ आपकी तवज्जह नहीं गयी। जो आमदनी इस टैक्स से हो रही है वह जनता के खून की कमाई की रकम है और वह हम आपको देते हैं। हम आपसे नहीं कहते कि लेकिन आप जनता को मारेंगे इस तरह से तो आपके पास उनकी महफूजियत का कोई जरिया बाकी नहीं रहता। आप दोबारा गौर करें कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप मुस्तस्नाई कर सकते हैं ताकि हम जनता के सामने जाकर कह सकें कि सरकार ने इन-इन चीजों को मुस्तस्ना कर दिया है और सन् १९५७ करीब चन्द महीनों के बाद आने वाला है। यह बात जिनकी अक्ल है उनमें न रहे लेकिन गैरजिम्मेदाराना तरीके से फैली हुई है और उसको वह वक्तन फवक्तन जाहिर करते हैं। यह बिल गवर्नमेंट को मुबारक हो, अवाम को मुबारक हो तो एक ही शक्ल में मुबारक हो कि आप अपनी पालिसी पर नजरसानी फरमायें और उन चीजों को जिन पर आपने टैक्स लगाये हैं और उन पर बहुत ज्यादा गौर करने के बाद उनमें बहुत सी चीजों को मुस्तस्ना करें और कुछ न कुछ हल निकालें। आखिर में मैं अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप आखिरी बात करने के बाद फिर आखिरी अर्ज कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखिरी—मैं अब आखिर में इतना ही अर्ज करूंगा कि आपने भीगे हुए कपड़े को इस कदर निचोड़ा और जिसको निचोड़ने के बाद एक कतरा भी नहीं छोड़ा है और अगर आप अब आगे उसको निचोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह कपड़ा फट जाने का इमकान है और जिसमें अब एक कतरा भी बाकी नहीं रहा है और उनमें टैक्स देने की काबलियत नहीं रह गयी है।

श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैंने आपका नाम भाषण देने के लिए पुकारा है अब आपके अलहदा से किसी का ध्यान खींचने का सवाल नहीं उठता।

श्री नारायण दास--अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया था वह मोटे अनाज के सिलसिले में था और जिस वक्त उस पर विचार विमर्श इस सदन में हो रहा था तो हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि इस विषय पर सदन जो भी फैसला करेगा उस पर मैं विचार विनियम करूंगा और जिन अनाजों के लिए कहा जायगा उनको मुक्त करने की कोशिश करूंगा। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बहुत से हमारी ओर के माननीय सदस्यों ने सारे अनाजों पर से बिक्री कर हटाने के लिए संशोधन रखे थे, लेकिन मेरा संशोधन मोटे अनाजों के लिए था और उन लोगों ने मेरा समर्थन करते हुए अपना संशोधन वापस ले लिया। बहुतों ने यह कोशिश की कि पूरे अनाज पर से बिक्री कर मुक्त होना चाहिए लेकिन कोई भी सदस्य इस सदन में ऐसा नहीं था जिसने मेरे संशोधन का विरोध किया हो। इसलिए यह स्वाभाविक बात थी कि कल जब मैंने अपना संशोधन वापस लेने की बात कही तो एक तरह से मेरा संशोधन पास हो चुका था और मैं यह सोच रहा था कि जो मैंने मोटे अनाजों के नाम लिखाये हैं, जौ, चना, बेझरा, मटर, ज्वार, बाजरा, मकई वगैरह उन पर वित्त मन्त्री जी विचार करेंगे। वे ५, ७ अनाज जिनको वित्त मन्त्री जी ने बिक्री कर से मुक्त किया है, वे तो बाजार में शायद ही बिकने के लिए आते हों। इसके अलावा जिन मोटे अनाजों पर से मैंने बिक्री कर मुक्त करने के लिए कहा है उन पर जो बिक्री कर आयेगा, वह सिर्फ चन्द लाख ही हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मेरा यह विश्वास था कि इन्हीं अनाजों पर विचार किया जायगा।

मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने मझरा कहा है या बाजरा कहा है। मैंने तो कोदों, सावां, काकुन, मकरा, ज्वार, बाजरा, मकई, जौ, चना, मटर आदि कहा था। अब उसमें नाम ऐसे आ गये कि किसी जिले में उनको कुछ कहा जाता है और किसी जिले में कुछ कहा जाता है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं मन्त्री जी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि जो मेरी मोटे अनाज "कोर्स ग्रेन" वाली बात थी उस पर वे विचार करें, ताकि जब हम यहां से बाहर जायं, तो यह कहने का मौका मिले कि जो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करने वाली जनता है वह गरीब और श्रमिक जनता है और वह यही अनाज खाती है जो मोटा अनाज है। और ऐसी दशा में जब कि यह संशोधन विधेयक दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए लाया गया है, तो सफलता लायेगा कौन? मैं समझता हूं कि शहर के रहने वाले वे लोग जो बुद्धि जीवी हैं वे पंचवर्षीय योजना को सफलता नहीं ला सकते हैं। अगर कोई इसको सफलता ला सकता है तो वह है हमारे यहां का श्रमिक वर्ग, जो मजदूर है, चाहे वह खेतिहर मजदूर हों चाहे शहर के मजदूर हों। जो किसान हैं, जो गरीब हैं वही इसको सफलता ला सकते हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें। मुझे थोड़ा सा मौका उनसे मिलने का मिला था, तो उन्होंने कहा था कि मैं विचार करूंगा। अगर वे विचार करेंगे और शीघ्र मोटे अनाज को बिक्री कर से मुक्त करने की घोषणा कर देंगे तो हम जनता से कह सकेंगे कि जिस गरीब जनता ने अपने वोट दे कर इस सरकार को बनाया है उसका सरकार ने खयाल किया और मोटे अनाजों को बिक्री कर से मुक्त कर दिया।

*श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, आज कई रोज से इस पर बहस हुई और आज यह करीब-करीब खत्म होने जा रहा है। इस पर ज्यादा बहस करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन चारों तरफ से जो आवाज है यानी अनाज पर जो बिक्री कर लगाया गया है, उसके खिलाफ जनता कह रही है और मैं भी चाहता हूं कि अनाज पर से बिक्री कर को [illegible] जाय। मैं यह भी चाहता हूं कि आपका नुकसान भी न हो और जरिया बतला दूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां से आप पैसा वसूल कर लें, जिस से आपका घाटा न हो। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आजकल जो मकान और जमीन बराबर बिक रही हैं, उन पर बिक्री कर लगा दिया जाय। अगर आप एक आना रुपया भी लगा दें तो कोई मकान १६,००० रु० में बिकता है, तो एक हजार टैक्स का हो जायगा और बिक्री कर की चोरी भी नहीं होगी, क्योंकि जो मकान या जमीन बिकेगी उसकी रजिस्टरी होगी और रजिस्ट्रार रजिस्टरी करते समय टैक्स का रुपया वसूल कर लेगा। मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। मुझे पहले मौका बोलने का नहीं मिला। बड़े-बड़े शहरों में लोगों ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से जमीनें ले ली हैं और मकान नहीं बना सकते हैं या उनको बेचकर आमदनी कर रहे हैं। बराबर जमीनें बिक रही हैं, किसान भी बेच रहे हैं और मकान भी बिक रहे हैं। अगर मकानों और जमीनों पर बिक्री कर लगता है, तो जो अनाज से आमदनी कम होगी, वह इससे पूरी हो जायगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अवश्य करें।

मैं बनियों के बारे में आप से कहूंगा क्योंकि व्यापारियों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। व्यापारियों नें एक हफ्ते तक जनता को कष्ट में डाल दिया और जान बूझ कर डाला, क्योंकि वे जानते हैं कि पहली तारीख को ही तनख्वाह बंटती है तो दूसरी तारीख से उन्होंने हड़-ताल कर दी और एक हफ्ते तक जारी रखी। जो लोग रोज सौदा खरीद कर खाते थे, या पहली तारीख को तनख्वाह मिलने के बाद खरीदते थे, उनको बड़ी तकलीफ और परेशानी हुई। बाद को जाकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाज बड़े-बड़े शहरों में भेजा गया। जब गवर्नमेंट जानती थी कि व्यापारी परेशान करते हैं और जनता को भूखे मारने की उनकी कोशिश थी, तो गवर्नमेंट को पहले से ही इन्तजाम करना चाहिए था। आयन्दा गवर्नमेंट ऐसा करे, तो इसके बारे में अवश्य इन्तजाम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहते तो दुकानें खुलवा कर बिकवा सकते थे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो अपोजीशन करने वाले भाई हैं, उन्होंने तमाम चीजों की मुखालिफत की, लेकिन बनियों के बारे में कुछ नहीं कहा, जिन्होंने जनता की जान लेने की कोशिश की थी। मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि अनाज पर से इसको हटा लिया जाय और जैसा मैंने बतलाया और कोई चीज हो तो उस पर लगा दिया जाय।

*श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, यह बिक्री कर संशोधन विधेयक जिस पर आज हम इस सदन में बहस करने जा रहे हैं, यह एक कड़वी दवा है, जो आवश्यकता पड़ने पर और मजबूरी की हालत में यह सदन कभी-कभी जनता के गले से उतारता है, और जैसा कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान है, और जैसी कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं, उनको देखते हुए श्रीमन्, मुझे तो आशंका है कि यह तो कड़वी दवा का पहला डोज है और कहीं हमको और दूसरे डोज न पीने पड़ें। मैं एक बात का विश्वास आपके द्वारा सरकार को, इस सदन के माननीय सदस्यों को और खास तौर से उन माननीय सदस्यों को जो कि हमारे दाहिने बैठते हैं, दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जिस तरह से यह लोग जनता के बीच कार्य करते हैं, जिस तरह से जनता के बीच सरकारी अफसर कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी कार्य करते हैं और हम जानते हैं और इसका विश्वास करते हैं कि निर्माण के कारण या और कोई विपत्ति आने के कारण या कोई भी ऐसा कारण हो जाने पर हमारे यहां की जनता, एक, दो या तीन नहीं जितने भी कड़वे मिक्सचर के डोज आप पिलाना चाहें, वह पीने को तैयार है, यदि अपने देश का निर्माण हो। लेकिन श्रीमन्, जिस वातावरण में यह टैक्स लगाया जा रहा है, सरकारी डिपार्टमेंटों की फिजूलखर्ची के वातावरण में जो यह डेवेलपमेंट का काम हो रहा है, उसको देखते हुए कम से कम मैं उन लोगों में हूं, कि जो यह कहना चाहते हैं कि हम इस कड़वे मिक्सचर का घूंट पी तो रहे हैं, लेकिन खुशी से नहीं पी रहे हैं। श्रीमन्, डेवेलपमेंट का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि .....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप विधेयक के विषय के आगे न जाइये। यह सब बातें आप थर्ड रीडिंग में नहीं ला सकते। डेवेलप्मेंट आदि बातों का सवाल इसमें पैदा नहीं लाया जा सकता। सेल्स टैक्स विधेयक के सम्बन्ध में जो बात हो उसे ही आप यहां कहें, क्योंकि इसमें कोई और संशोधन नहीं हुआ है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---श्रीमन्, मैं उन लोगों में से हूं, जो यह समझते हैं कि इतनी आवश्यकता होते हुए भी अनाज पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था और जैसा कि मैंने पहले कई दफा आपके द्वारा सरकार के सामने यह निवेदन किया है कि सेल्स टैक्स या और जो कोई टैक्स हो, डेवेलम्मेंट कार्य के लिए, उसको आप लगाइये, उस से जनता को किसी प्रकार की जरा भी तकलीफ या कष्ट न होगा। लेकिन श्रीमन्, जब यह देखा जाता है कि अगर किसी कार्य में सरकार १०० रुपया खर्च करती है, तो वह १०० रुपया आता तो है जनता की जेब से, चाहे वह लगाना द्वारा आये, मालगुजारी द्वारा आये, या टैक्स द्वारा आये, लेकिन उस १०० रुपये के खर्च होने के बाद उसका फायदा जनता को होता है, केवल, २०, ३० या ४० रुपये का, तो ऐसा होने पर जनता अवश्य यह कहने लग जाती है कि हम टैक्स, लगान और मालगुजारी से दबे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे से जो यहां हो रहा है, उससे इतना फायदा नहीं होता जितना कि होना चाहिए था। श्रीमन्, यहां पर बिक्री कर के मामले में बड़ी झपट हुई। कहा जाता है कि विरोधी दल के लोगों ने उनका साथ दिया इसलिए उनका पोलिटिकल मोटिव था। मैं नहीं समझता कि उनका कोई पोलिटिकल मोटिव था इसका विरोध करने में। हर एक का मोटिव साफ होना चाहिए किसी काम को करने में, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जहां जहां हमने यह मोटिव देखा, जितने जलूस निकले, उनमें जहां तोड़ फोड़ हुई वहां पर, जहां मारपीट की कोशिश की गयी, वहां, करीब हर जगह ९० फी सदी वही लोग थे, जो कि आज सेल्स टैक्स का फायदा उठा कर या उस की आड़ में जो चीज ५ या ६ रुपये की बिकना चाहिए वह सात और साढ़े सात की बेचते हैं। और हमने यह देखा कि जो सदस्य हमारे दाहिने बैठते हैं, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन और भी बहुत से लोगों ने चीप पापुलैरिटी गेन करने के लिए भी उन का साथ दिया और उनको समझाने या उनको ठीक रास्ते पर लाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उनको यह समझाया जा सकता था कि आप को यह टैक्स देश के निर्माण के लिए देना ही है। लेकिन उसके बाद अब यह किया जा सकता है कि इस डेवलपमेंट के काम में किसी भी तरह की फिजूल-खर्ची न होने पाये। मैं समझता हूं कि डेवेलपमेंट के कामों में जो फिजूलखर्ची हो रही है, वह रोकी जा सकती है। मैं यह मानता हूं कि फिजूलखर्ची रोक करके या एकानोमी करके इतना रुपया इकट्ठा नहीं किया जा सकता है कि डेवेलप्मेंट के कामों के लिए टैक्स लगाने की जरूरत न पड़े, लेकिन जहां तक कि फिजूलखर्ची का सवाल है उसका एक साइकोलोजिकल महत्व है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर सरकार इस फिजूलखर्ची को रोके और यह देखे कि हमारे रुपये का उपयोग ठीक होता है या नहीं तो जनता टैक्स का उतना भार नहीं मानेगी। मैं जानना चाहूंगा कि हर एक प्लानिंग के डेवेलप्मेंट ब्लाक को जीप भेजी जाती है तो क्या डेवेलप्मेंट मिनिस्टर और दूसरे डेवेलप्मेंट आफिसर को जहां लखनऊ में बैठते हैं उनको मालूम है कि शायद ही कितने दिन वह हेडक्वार्टर में रहते हैं या ब्लाक डेवेलप्मेंट में जाते हैं। हम लोग जो यहां पर काम करते हैं, और जो नान आफिशियल काम करते हैं, वह बैलगाड़ियों पर, साइकिलों पर दौरा करते हैं, और ब्लाक डेवेलप्मेंट के लिए जीप वहां से भेजी जाय और वे ब्लाक डेवेलप्मेंट आफिसर एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करें, तो उनको इतना फायदा तो दिखाना चाहिए जितना की जीप मिलने पर होता है।

श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि अंग्रेज यहां पर हुकूमत करते थे, और यह कहा जाता है कि वह हिन्दुस्तान का रुपया और खून चूसा करते थे, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि वे हमारे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जितना दौरा करते थे, उतना दौरा अब नहीं होता है, लेकिन २२ या २४ हजार की युटिलिटी भी उनसे न ली जाय, तो यह सही नहीं कहा जा सकता। अगर हमको जरूरत है, तो हम अपने आफिसर्स को कार दें, लेकिन हम तो चाहते हैं कि डिस्पोजल सैट २ हजार

की जीप आप लें, और ३ हजार और खर्च करें, और इस तरह से उनको ५ हजार की जीप दें, जो देहात का दौरा कर सकें। मान लीजिये कि हमारे कमिश्नर को सीतापुर जाना है, तो क्यों नहीं वह ट्रेन से जायं, और फैजाबाद जाना है तो वह ट्रेन से क्यों न जायं ?

श्री अध्यक्ष—आपने तो आम बहस शुरू कर दी।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—श्रीमन्, मैं इतना और कह कर बैठ जाऊंगा कि जहां तक टैक्स का सवाल है और जहां तक देश के निर्माण का सवाल है और जहां तक त्याग का सवाल है इसके लिये हमारी जनता त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ-साथ सरकार को, सरकारी नौकरों को भी कुछ त्याग अवश्य सामने रखना होगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि सेल्स टैक्स अमेंडमेन्ट बिल पर जब सेकेंड रीडिंग हो रही थी उस समय हमारे कुछ साथियों ने यह उचित समझा कि वह उसमें हिस्सा नहीं लें। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। मुमकिन है कि उन्होंने अपनी किसी मसलहत से यह अच्छा समझा हो, मगर मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के हित में यह अच्छा होता यदि वह आखीर तक उस में हिस्सा लेते। जो भी उनके सुझाव होते उनसे हमको भी फायदा होता।

आज जब कि तीसरी रीडिंग चल रही है माननीय वित्त मंत्री जी ने कोर्स ग्रेन फूड में छूट के सम्बन्ध में यहां पर कुछ घोषणा की है। मैं नहीं जानता कि मैं उनको किन शब्दों में दाद दूं या उनके आफिसरों को दाद दूं जिनके दिमाग से इन नामों के कोर्स फूड ग्रेन की बात निकली। जो आपने घोषणा की उससे कितनी फीसदी जनता को फायदा पहुंचेगा यह तो मैं ठीक नहीं बतला सकता लेकिन जितना भी फायदा पहुंचे उसके लिये मैं मंत्री जी को आपकी मार्फत बधाई देना चाहता हूं। मगर मान्यवर, असल में हालत ऐसी है कि 'बागवां भी खुश रहे' राजी रहे सैय्याद भी। मैं समझता हूं कि ज्वार, मक्का, बाजरा भी उसमें आते हैं और मैं समझता था कि उन पर भी छूट होगी। फिर भी मेरा आज भी उनसे निवेदन है और पहले भी कह चुका हूं कि वह फिर इस बात को सोचें कि फूड ग्रेन के ऊपर अगर अब भी ३ पाई फी रुपया टैक्स लगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

काटेज इंडस्ट्री के बारे में जो मांग की गयी वह उचित मांग है उसको आप सोचें। मैंने कहा था कि इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वह और वित्त मंत्री में आपस में बैठ कर इसको तय करें कि कौन-कौन सी काटेज इंडस्ट्री को एक्जम्पट होना चाहिये। आपने यह भी कहा था कि कोई कमेटी इकनामी की बैठी हुई है और एक मशीनरी भी आप बनाने वाले हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि इकोनामी कमेटी बैठी हुई है। यह हम जानते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि सिर्फ किसी कमेटी के कागज पर बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, जब तक कि वह काम न करें। यों तो आपके सामने इस्टीमेट कमेटी है। तीन साल से वह बराबर काम रही है और उसने बहुत सी सिफारिशें कीं जो आपके सामने हैं। उनकी सिफारिशों को अगर माना जाय तो काफी इकोनामी हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस टैक्स के साथ एकानामी का बहुत बड़ा सम्बन्ध है। हमको सूबे की जनता को दिखाना चाहिये कि जहां पर हम टैक्स लगाना चाहते हैं उसके साथ-साथ हम एक-एक पाई की बचत भी करना चाहते हैं। हम यह देखते हैं कि एक तरफ तो एकोनोमी कमेटी की बात है दूसरी तरफ अफीसर्स के एलाउन्स बढ़ते हैं स्पेशल केएर्स खोले जाते हैं, मोटर्स खरीदी जाती हैं तब हमको तकलीफ होती है। इससे हमें महसूस नहीं होता

[श्री नवल किशोर]

कि कोई ठोस कदम बचत की तरफ उठाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह घोषणा की जाय कि इस इमर्जेन्ट पीरियड का ऑस्टेरिटी पीरियड समझा जाय। हमारा जो रहन-सहन का तरीका है, हमारे सरकारी कर्मचारियों का जो तरीका है, उनका जो रहन-सहन है उसमें तब्दीली की और सादगी की आवश्यकता है। हमारी सरकार की तरफ से यह अपील होनी चाहिये कि सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह में ५ या १० या १५ फीसदी तक वालेण्टरी कट करें और इस प्रकार से डेवलपमेन्ट के कामों के लिये वे कुछ बलिदान करें। जिस प्रकार से राजे महराजाओं ने अपनी राज्यों को छोड़ दिया, जमींदारों ने अपनी जमींदारी को छोड़ दिया उसी प्रकार देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित हो कर सरकारी कर्मचारियों को भी थोड़ा बहुत त्याग करने के लिये तैयार रहना चाहिये, यह बहुत ही मोटी सी बात है। हमारा बजट १४७ करोड़ रुपये का है। हम उसमें आसानी से ५ प्रतिशत कमी कर कर सकते हैं। जिससे ७ करोड़ की बचत हो सकती है, सात की नहीं तो पांच की तो हो ही सकती है यह कोई कठिन बात नहीं है। केवल इतना कह देना कि इसके लिये कोशिश की जा रही है काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि टैक्सेशन के साथ ही साथ सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिये जो स्वेक्टेक्युलर हो जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सके और देखा जा सके कि इकोनोमी की जा रही है।

जहां तक दूकानदारों का संबंध है उनको लीगल फेसिलिटी दी जानी चाहिये जैसे कि इनकमटैक्स में होता है। उनको स्टे आर्डर्स मिलने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त आपने जो सेल्स टैक्स आफीसर्स हैड क्वार्टर पर बैठा दिये हैं उससे दूकानदारों को बहुत तकलीफ होती है। तो बजाय इसके कि दूकानदार आफीसर के पास हैड क्वार्टर में जाए, उसको मौके पर जाकर सब बातों को देखने की हिदायत होनी चाहिये। इससे दूकानदारों को काफी सहूलियत हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने सरकार के सामने रक्खी हैं उन पर ध्यान दिया जायगा।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने जनाबवाला अभी मकान की जमीन की बिक्री की बात सुनी जो मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं उसके बारे में सोचूंगा। व्यापारियों की शिकायतों के बारे में भी मैंने सुना और उसके लिये जो हम कर सकते हैं वह करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पब्लिक हमारी उसके अन्दर मदद करेगी अगर उसमें किसी किस्म की मदद की जरूरत होगी।

मेरे भाई नवल किशोर जी फर्मा रहे थे कि मैंने पूरे तौर पर कुछ नहीं कहा। परसों मेरे पास ६-७ मेम्बरान आये थे और मेरे सामने यह चीजें रक्खी गयीं---उनमें ज्वार, बाजरा और मक्का का भी नाम था। मैंने यह अर्ज किया था कि मैं इसकी जांच कर रहा हूं कि कौन चीजें छूटने के काबिल हैं। जो नाम मैंने आज लिये वे वह नाम थे जिनके बारे में जांच हो चुकी है कि उनको बिक्री कर से अलग रक्खा जा सकता है। अब और जिन चीजों के नाम मैंने नहीं लिये हैं उनके बारे में अभी सोचा जा रहा है। सोचे जाने के बाद उनके बारे में कुछ कहा जायगा। इस सिलसिले में इससे ज्यादा और कुछ मैं कहना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पर विचार जारी होगा ।

खण्ड २

२—विषय या संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :— परिभाषायें

(क) "सम्बद्ध कालेज (Affiliated College)" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध (affiliated) हों ;

(कक) "घटक कालेज (Constituent College)" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसका संधारण विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा किया जाय और जो विश्वविद्यालय की उपाधि या डिप्लोमा में प्रवेश के लिये आवश्यक अध्यापन का संचालन करने के लिये प्राधिकृत हो;

(ख) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है ;

(ग) "कार्यकारिणी परिषद् (Executive Council)" तथा "विद्वत् परिषद् (Academic Council)" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और विद्वत परिषद् से है;

(घ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी से है;

(ङ) "राज्यपाल" (Governor) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(छ) "हाल" का तात्पर्य छात्रों के लिये निवास (residence) की ऐसी इकाई (unit) से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित (maintained) या अभिज्ञात (recognized) हो, और जिसमें पाठन (tutorial) तथा अन्य अनुपूरक (Supplementary) शिक्षण की व्यवस्था हो;

---

*१७ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है ।

(ज) "छात्रावास" (hostel) का तात्पर्य हाल से भिन्न विद्यार्थियों के निवास की ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात या संधारित हो ;

(झ) "प्रबन्धक" '(management) का तात्पर्य ऐसे प्रबन्ध समिति (Managing Committee) या अन्य संस्था से है जिस पर किसी कालेज के कार्यों के प्रबन्ध का भार हो;

(ञ) "प्रिंसिपल" का तात्पर्य किसी कालेज के अध्यक्ष अथवा इस पद पर कार्य करने के लिये यथोचित रूप से (duly) नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) "नियत" (सजातीय पदों सहित) का तात्पर्य परिनियमों (statu es) द्वारा नियत से है;

(ठ) "पंजीकृत स्नातक" (registered Graduate) का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत किसी स्नातक से है;

(ड) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" (Statutes, Ordinances and Regulations) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों से है;

(ढ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted), किसी उपाधि (degree), डिप्लोमा या शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से भर्ती हुआ हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी सम्बद्ध कालेज में भर्ती हुआ हो;

(ण) "अध्यापक" (teacher) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विभाग में या किसी कालेज में अध्यापन कार्य में लगे किसी ऐसे प्रोफेसर , रीडर, लेक्चरर या अन्य व्यक्ति से है, जो परिनियमों द्वारा अध्यापक घोषित किया जाय;

(त) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में या उसकी ओर से अध्यापन के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी अध्यापक से है ;

(थ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य गोरखपुर विश्वविद्यालय से है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदत्त जी का संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप को क्या उन्होंने स्वीकृति दे दी है ?

श्री तेज प्रताप सिंह--जी हां।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ के उपखंड (कक) के बाद निम्नलिखित उपखंड (ककक) व (क क क क) बढ़ा दिये जायं:

"(ककक)--स्वायत्तसम्पन्न (auton mous) कालेज का तात्पर्य ऐसे सम्बद्ध कालेज से है जिसे खंड ३३ के उपखंड (अ) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा एतदर्थ घोषित किया गया हो।

(ककक)--श्रमजीवी (workingmen) कालेज का तात्पर्य ऐसे सम्बद्ध कालेज से है जिसे खंड ३३(व) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा एतदर्थ घोषित किया गया हो।"

दूसरा संशोधन मैं यह पेश करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (ङ) के बाद एक नया उपखंड (ङङ) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय:

"(ङङ) गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी, गोरखपुर से तात्पर्य इस नाम से इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड एवं अधिकृत गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु निर्मित सोसाइटी से है।"

इस संशोधन के द्वारा हम यह चाहते हैं कि आटोनामस कालेजों को संबद्धता देने की व्यवस्था इस बिल में कर दी जाय और दूसरी व्यवस्था हो वर्किन्गमेंस कालेज की, ऐसा हम क्यों चाहते हैं ? इसी प्रकार हम जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन बिल जब यहां सन् ५३ में प्रस्तुत हुआ था उस वक्त उस संशोधन बिल में भी इसी किस्म की व्यवस्था कराई गई थी और वह चीज सरकार द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखें, एक ही मिनट रह गया है लंच के लिए उठने के लिये।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त की अध्यक्षतामें सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री तेज प्रताप सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में आटोनामस कालेज और वर्किंग मेन्स कालेज की क्यों व्यवस्था की जाय। इसके लिये मैंने एक मिसाल दी थी। सन् ५३ में जब कि माननीय शिक्षा मंत्री ने आगरा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था उस में भी ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसके द्वारा आगरा यूनीवर्सिटी में सम्बद्ध कालेजेज, आटोनामस कालेज और वर्किंग मेन्स कालेज हो सकें। तब सवाल यह पैदा होता है कि आटोनामस कालेज और वर्किंग मेन्स कालेज की व्यवस्था

[श्री तेज प्रताप सिंह]

क्यों की जाय। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने कि इस आगरा यूनीवर्सिटी संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया था और उसमें आटोनामस कालेज और वर्किंग मेन्स कालेज की व्यवस्था की थी तब वह तो स्वयं ही कन्विन्स्ड होंगे और स्वयं ही इन कारणों को समझते होंगे जिससे उन्हें इन दोनों कालेजेज की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर भी मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आटोनामस कालेज होना क्यों चाहिये। जैसी कि हमें अपेक्षा थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय एक रूरल यूनीवर्सिटी होगी और जिसकी चर्चा माननीय शिक्षा मंत्री ने खुद की थी, उसके अनुसार भी हमें यह अपेक्षा थी कि यूनीवर्सिटी को ऐसा स्वरूप देना चाहिये जिसकी वजह से रूरल एरियाज के प्राबलम्स को समझा जा सके और उनको दूर किया जा सके। आप देखते हैं कि आज हमारे प्रदेश में और प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में हमारी जनता ग्रामों में रहती है और गांवों की हालत जैसी है उससे हम सभी परिचित हैं और जब तक हम उन गांवों को अभीभांत समुन्नत नहीं करते हैं तब तक हमारी यह प्रजातंत्र की पद्धति भी सफल नहीं हो सकेगी और इसी वजह से राधाकृष्णन कमीशन जो था उसने अपनी रिपोर्ट में इस पर पर्याप्त जोर दिया था कि हमें रूरल बायस पर अपनी शिक्षा प्रणाली को करना होगा। प्राइमरी एजूकेशन और सेकेंडरी एजूकेशन को भी बेसिक पद्धति पर लाना होगा और उसके अलावा हायर एजूकेशन में भी हमें रूरल बायस पर यूनीवर्सिटीज को स्थापित करना होगा, तभी हमारे देहात की जो समस्यायें हैं उनको अच्छी तरह हल किया जा सकेगा। अब जरूरत इस बात की है कि हमारे कालेजेज और यूनीवर्सिटीज रूरल प्राबलम्स को अच्छी तरह से समझें। वहां क्या-क्या कमियां हैं और वहां क्या-क्या समस्यायें हैं और उनको किस प्रकार हल किया जाय। आप जानते हैं कि आज देहातों में जरूरत है कि काटेज इंडस्ट्रीज स्थापित हों, गृह उद्योग स्थापित किये जायं, क्योंकि एग्रिकल्चर पर ही डिपेंड करना कोई मानी नहीं रखता है और न उससे कोई आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है तो इस प्रकार से गृह उद्योग हमारे यहां जब तक कि नहीं पनपते हैं तब तक हमारे देहातों की हालत अच्छी नहीं हो सकती है। जब तक हम देहातों में वर्कशाप्स अच्छे किस्म के छोटे छोटे नहीं खोलते हैं तब तक हमारे यहां की हालत अच्छी नहीं हो सकती है और जब तक कृषि जिसको हमारे यहां के ७०-८० फीसदी लोग करते हैं उसमें भी अच्छी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उन पर रिसर्चेज नहीं होती हैं उनके अनुसार कार्य नहीं होता है तब तक उनकी हालत अच्छी नहीं हो सकती है। जमीन हमारे गांव में जो है बराबर कटती जा रही है।

एक बड़ी भयंकर समस्या हमारे सामने है उस कटाव को कैसे रोका जाय? यह समस्यायें देहात की समस्यायें हैं और कृषि की समस्यायें हैं। तो यह विषय एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमारे कालेजेज और यूनीवर्सिटीज को रिसर्च करनी चाहिये और इसके विषय में शिक्षण देना चाहिये ताकि जो विद्यार्थी वहां से निकलें वे इन सब समस्याओं का सामना कर सकें और तरक्की कर सकें। तो ऐसी बहुत सी समस्यायें हमारे देश में हैं जिनके बारे में जरूरत है कि हमारे कालेजेज और यूनीवर्सिटीज शिक्षा दें लेकिन आज का जो सेट अप है, आज कल के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें शिक्षण जिस प्रकार से चलता है वह वैसा ही चलता रहे तो क्या ये समस्यायें हल हो सकती हैं? मैं समझता हूं कि हल नहीं हो सकतीं। जनरल ऐजूकेशन जिस प्रकार हमें आज मिलती है यूनीवर्सिटीज और कालेजेज में तो यह समस्यायें न तो हम वहां समझ पाते हैं और न उनको समाधान को ही कोई प्रेक्टीकल स्वरूप दे सकते हैं उनके हल करने के लिये। तो इस तरीके

से जरूरत होती है कि हम यूनीवर्सिटीज में ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे कालेजेज को मान्यता दे सकें, उनको सम्बद्ध कर सकें जो कालेजेज इन समस्याओं के बारे में अपने यहां कोर्सेज रख सकें, उनकी शिक्षा दे सकें, अब आप देखेंगे कि जो विश्वविद्यालय जैसा कि विधेयक से मालूम होता है बनेगा उसमें केवल आम तौर के कालेजेज को ऐफीलियेशन दिया जायगा और वे कालेजेज एक खास कोर्स की ही शिक्षा दे सकेंगे और वह कोर्स जो यूनीवर्सिटी होगी वही निर्धारित करेगी तो हर कालेज में वही शिक्षा दी जायगी जो कि प्रिसक्राइब्ड होगी यूनीवर्सिटी के द्वारा तो इस प्रकार से जो कालेजेज वहां की देहाती समस्याओं को हल करने के लिये प्रयास करना शुरू करें, उनको कोई ऐफीलियेशन नहीं मिल सकेगा इस यूनीवर्सिटी में .....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री तेज प्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, जैसी की गोरखपुर विश्वविद्यालय में एफीलियेट करने की जो व्यवस्था की गई है उससे यह मुश्किल हो जायगा कि कोई कालेज अपने ढंग की देहाती समस्याओं को सुलझाने की कोई शिक्षा दे सके। उसका कोर्स डिफाइन कर दिया जायगा यूनीवर्सिटी के द्वारा और फिर वह ऐसा प्रयास न कर सकेगा जिसके द्वारा देहात की समस्याओं को हल किया जा सके उसके बारे में वह शिक्षा नहीं दे सकेगा। तो इसलिये जरूरत है कि जहां डेफीनीशन हम खंड २ में दे रहे हैं वहां आटोनामस कालेज की व्यवस्था करें, यही इसका एक मकसद है।

अब वर्किंग मेन्स कालेज के बारे में मैं कुछ बतलाना चाहता हूं। वर्किंग मेन्स कालेज की व्यवस्था इसलिये हम चाहते हैं कि आप जानते हैं कि समाज में बहुत से विद्यार्थी धनाभाव के कारण टेन्थ पास कर लेते हैं या इंटरमीडियेट पास कर लेते हैं उसके बाद सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस में लग जाते हैं अथवा कोई ट्रेड करने लग जाते हैं क्योंकि धनाभाव है। वे अपनी स्टडीज कन्टीन्यू नहीं रख सकते हैं और इसलिये ऐम्प्लायमेन्ट के चक्कर में आ करके वे कहीं सर्विस में चले जाते हैं या खुद निजी व्यवसाय करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर धनाभाव के कारण ही किसी विद्यार्थी को शिक्षा न मिले, मैं समझता हूं इस प्रकार से काफी हानि होती है। तो इसलिये यह वर्किंग मेन्स कालेज अगर खुलता है तो उनमें इन्हीं लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी। वह अपनी सर्विस भी करते रहेंगे या अपने प्राइवेट ट्रेड भी करते रहेंगे या बिजनेस करते रहेंगे और साथ ही पार्ट टाइम के लिए किसी ऐसे कालेज में भर्ती हो जायेंगे। वहां अपने डिग्री कोर्स को पूरा कर सकेंगे तो इस प्रकार से वह शिक्षा भी ले सकेंगे और अपनी उदरपूर्ति के लिये व्यवसाय भी करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि बड़ा उत्तम सुझाव है और इसमें व्यवस्था भी ऐसी रखी गई है कि जो पार्ट टाईम के लिये, थोड़े समय के लिये के लिये वह शिक्षा प्राप्त करे तो उसकी जो अवधि हो पढ़ाई की वह कुछ बढ़ा दी जाय जैसे बी० ए० के क्लासेज दो साल चलते हैं और अगर वर्किंग मेंस कालेज होगा तो जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं या सर्विसेज में हैं वह तीन साल में उसे पूरा करें क्यों कि थोड़े समय के लिये ही पढ़ते हैं। तो यह उन गरीबों के लिये व्यवस्था है जो धनाभाव के कारण शिक्षा अपनी चला नहीं पाते हैं और सर्विस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से वर्किंग मेन्स कालेज की व्यवस्था इस डैफिनीशन में कर देंगे तो इसके लिए प्राविजन आगे चल कर हो जायगा। तो यह तो हुए

[श्री तेजप्रताप सिंह]

उसके तर्क जो मैंने दिए वर्किंग मेन्स कालेज के बारे में। अब जैसा मैंने कहा था कि जब आगरा यूनिवर्सिटी का विधेयक आपने प्रस्तुत किया था तो स्वयं आपने इन सब बातों को स्वीकार किया था। इन सब दलीलों को स्वीकार करते हुए खुद आपने व्यवस्था की थी कि आटोनामस कालेज और वर्किंग मेन्स की व्यवस्था उसमें हो। और यह आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम १९५३ मेरे पास है। इसमें इसकी व्यवस्था की गई है और इसमें जिक्र भी किया गया है। इसकी धारा २० जो है उसमें खंड २४–ए बढाया गया है जिसमें यह कालेज कैसा होगा और क्या उसका कार्य होगा बहुत स्पष्ट हो जायगा। खंड २४–ए का उपखंड (१) इस प्रकार है—

"24-A. (1) It shall be lawful for the University to grant to an affiliated College, which satisfies the conditions prescribed in this behalf by the statutes the previlege of varying for the students receiving instruction in such college the courses of study prescribed by the University, and holding examinations in the courses so varied. The extent to which the courses may be varied and the manner of holding examinations conducted by such College shall be determined in each case by the University. Such a College shall be declared to be an 'Autonomous College' in the manner prescribed by the Statutes."

तो इस तरीके से आटोनामस कालेज की व्यवस्था आगरा विश्वविद्यालय में भी आपने पहले कर रखी है। कोई कालेज कोर्स में कोई वैरिएशंस करना चाहता है रद्दोबदल करना चाहता है तो वह यूनिवर्सिटी की आज्ञा लेकर के अगर वह देहाती समस्याओं के हल के लिये कोई कोर्स चलाना चाहता है तो वह चला सकता है और उसको एफिलिएशन भी मिल जायगा। इस तरीके से उसका जो देहाती समस्या के बारे में कोर्स पढ़ाने का मकसद है उसको भी पूरा कर सकेगा और यूनिवर्सिटी में अपने को एफिलिएट भी कर सकेगा।

अब आप की आज्ञा से मैं उपखंड (२) पढ़ देता हूं जिसमें कि वर्किंग मेन्स कालेज के बारे में कहा गया है–

"(2) The University may, under conditions prescribed by the Statutes, recognise and affiliated College as a "Working Men's College" for the purpose of providing courses for degrees to 'persons other-wise eligible for admission to such courses who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged in business, trade, agriculture or industry, or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a perid which shall not be less than one and a half-times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

तो इस तरीके से वर्किंग मेन्स कालेज में वे लोग जो कि लगे हुये हैं और जो होल टाइम के लिये यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकते हैं दाखिल हो सकेंगे उनके लिये ऐसे कालिजों में दाखिल होने के लिये एक व्यवस्था हो जायगी और वह अपनी शिक्षा आगे बढ़ा सकेंगे। तो इस तरीके से मैंने जो ये दो धारायें बढ़ायी हैं या उनका जो संशोधन मैंने पेश किया है कि वह बढ़ायी जायं उनके बारे में मैंने कहा। अब एक तीसरा उपखंड बढ़ाने के लिये मैंने अपना संशोधन रखा है उसके जरिये सिर्फ गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन सोसायटी को डिफाइन करने की बात है। अब उसको डिफाइन क्यों किया जाय, यह बात आती है हमारे सामने। कारण यह है कि अगर इस ऐक्ट में इस सोसाइटी

का नाम आता है तो हम किस प्रकार से समझ सकेंगे कि यह फलां सोसाइटी ही है। निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकेंगे कि यही सोसाइटी है जिससे कि मतलब इस ऐक्ट में है, यह दिक्कत हो सकती है। अब इस गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक को आप देखें तो उसमें जहां कोर्ट के बारे में चर्चा दिया हुआ है, उसमें जो कोर्ट का कांस्टीट्यूशन दिया हुआ है उसका जो वर्ग ९ है उसमें १९वीं उपधारा में १५ वें सफ पर इस सोसाइटी का जिक्र है। "अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (२) तथा धारा ४७ में किसी बात के होते हुए भी गोरखपुर युनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी द्वारा अपने में से निर्वाचित २ व्यक्ति जो प्रथम कालावधि तक पद धारण करेंगे"। इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने एक मिसाल पेश की जहां इस सोसाइटी का जिक्र किया गया है। अब यह सोसाइटी कौन होगी, इसमें झगड़ा हो सकता है और दिक्कत हो सकती है। यह आवश्यक हो जाता है कि इसको हम डिफाइन कर दें कि कौन सी सोसाइटी है तो वह दिक्कतें नहीं रहेंगी, और इस उपखंड को बढ़ाने का मकसद केवल इतना ही है कि यह दिक्कत दूर हो जाय।

तो मैंने पर्याप्त समय इस सदन का लिया और मैंने यह चेष्टा की कि ये संशोधन के रूप में इन उपखंडों को रखूं। मैं समझता हूं कि जैसा कि आगरा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में स्वयं आपने इन संशोधनों को अपने आप उपस्थित किया था तो इस संशोधन को गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी आप मान लेंगे और इस तरीके से जो एक रूरल बायस पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी उसका भी मकसद काफी हद तक हल होगा, यदि ऐसे कालेजेज उस क्षेत्र में खुलेंगे। और यह तभी खुल सकते हैं जब कि संशोधन आवें और इस प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय, अन्यथा कोई भी कालेज अपने कोर्स को वैरी नहीं कर सकेगा, बदल नहीं सकेगा और न उन समस्याओं का हल ही हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं। इन संशोधनों के द्वारा अफिलिएटेड कालेजेज और कांस्टीट्युएंट कालेजेज जिनकी व्यवस्था विधेयक में है उसके अलावा दो और प्रकार के कालेजों के रखने का सुझाव दिया गया है, एक आटोनोमस कालेज और एक वर्किंग मेन्स कालेज। जहां तक आटोनोमस कालेज का सम्बन्ध है उसकी आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर व्यवस्था है, लेकिन वहां एक खास परिस्थिति को देखते हुये वह व्यवस्था रखी गयी। आगरा युनिवर्सिटी के अन्तर्गत कुछ ऐसे कालिज थे जो बरसों से थे, जहां की पढ़ाई और जहां का स्टैन्डर्ड काफी ऊंचा था और उनके काम को देखते हुये ऐसी व्यवस्था रखी गयी। ख्याल था कि यदि उनको ज्यादा बन्धनों में जकड़ा जायगा तो सम्भव है कि उनकी पढ़ाई के ऊपर ठीक असर न हो इसलिये उनको विशेष अधिकार देने की वहां व्यवस्था की गई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर इस वक्त नौ जिलों को डाला गया और जहां तक मेरा ख्याल है कि इन नौ जिलों में ऐसा कोई कालेज नहीं है जिसके अन्दर इस प्रकार के कोई कालेज आते हों जिनका कि ख्याल आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करते समय किया गया था। गोरखपुर युनिवर्सिटी नई बन रही है और उसकी जिस प्रकार से रूप-रेखा रखी जा रही है उसके लिये दृष्टिकोण यह है कि एक तो वह टीचिंग युनिवर्सिटी रहे और उसके साथ ही साथ अफीलियेटिंग युनिवर्सिटी भी रहे। गोरखपुर युनिवर्सिटी के कन्वोकेशन हाल के १० मील के अन्तर्गत धीरे धीरे करके टीचिंग यूनिवर्सिटी का स्थापना हो जाय और इन आठ जिलों में अफीलियेटिंग कालेजेज हों। इस बिल के अन्दर अफीलियेटेड कलेजेज और कास्टीट्युयेंट कालेजेज की व्याख्या की गई है। अफीलियेटेड कालेजज वह होंगे जो इन आठ जिलों में हैं और वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर आ जायेंगे। अब तक वे आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर आते थे। अब वहां से हट कर इस युनिवर्सिटी में आ जायेंगे। कांस्टीट्युयेंट कालेजेज वे होंगे जहां टीचिंग युनिवर्सिटी का क्षेत्र फैला रहेगा और जो स्टेट की तरफ से कालेजेज होंगे उनको भी इसमें डाला गया है।

[श्री शिवनाथ काटजू]

श्रीमन्, इनके अतिरिक्त दो प्रकार के और कालेजेज रखने का संकेत किया गया है, आटोनामस कालेजेज और वर्किंग मेन्स कालेज। आटोनामस कालेज के बारे में निवेदन कर चुका हूं कि एक खास परिस्थिति को देखते हुये आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर उसकी चर्चा हुई थी। वह एक विशेष परिस्थिति थी लेकिन इन आठ जिलों के अन्दर जो इस यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आते हैं ऐसी आवश्यकता नहीं है कि कोई नया कालेज बने जिसके अधिकार अफीलियेटेड कालेजेज कांस्टीटुयेंट कालेजेज के अधिकारों से अधिक हों। वर्किंगमेंस कालेज के बारे में मैं साफ़तौर से निवेदन करूंगा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। यह समस्या लखनऊ युनिवर्सिटी में भी आयी, हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय में भी आयी कि वे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं या और काम करने वाले हैं उन्हें सुविधा दी जाय कि अपनी नौकरी पर रहते हुये भी विश्वविद्यालय में पढ़ सकें। जिस समय वे काम करते हैं उन्हीं वक्तों में यूनिवर्सिटी के अन्दर लेक्चर्स होते हैं और इससे उन्हें सुविधा नहीं होती। उन्हें यदि विशेष सुविधा दी जाय तो वे भी डिग्रियां ले सकते हैं। श्रीमन्, अगर ऐसी आवश्यकता है तो कांस्टीटुयेंट कालेजों में लेक्चर इस तरह से रख सकते हैं जिससे १० से ४ बजे तक के बीच में जो नहीं आ सकते हैं उनके लिये भी कोई विशेष व्यवस्था हो जाय। लेकिन अगर आप खौस तौर से वर्किंगमेंस कालेज बनायेंगे तो उसके साथ जो खतरा है उसकी तरफ मैं खास तौर से सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझको आज यह दीख रहा है कि हमारी युनिवर्सिटियों के अन्दर पढ़ाई का स्तर बहुत जोरों से गिर रहा है और अगर इस प्रकार का दरवाजा पुनः खोला जाय जिसका केवल उद्देश्य यह हो कि किसी प्रकार से डिग्रियां मिल जायं। तो बी० ए० और एम० ए० की डिग्रियां तो जरूर मिल जायंगी लेकिन सवाल उठता है उन बी० ए० और एम० ए० का क्या मूल्य होगा और किस स्तर के लोग उन उपाधियों को प्राप्त करेंगे। उससे न तो देश का कोई लाभ होगा और न उनका ही कोई लाभ होगा। अभी १०–१५ दिन की बात है। प्रयाग विश्वविद्यालय में बी० ए० के Economics का इम्तहान सिनेट हाल के अन्दर हो रहा था। बी० ए० में गालिबन ६०० से ऊपर लड़के थे। मैं सिनेट हाल में गया और वहां मैंने गिना ४०० लड़के थे। उसमें से २५० लड़के सवालों का जवाब हिन्दी में लिख रहे थे और १५० लड़के अंग्रेजी में लिख रहे थे। मैंने पूछा तो मुझको मालूम हुआ कि प्रयाग विश्वविद्यालय में बी० ए० फाइनल की Economics क्लास के लिये दो सेक्शनों में अंग्रेजी में शिक्षा होती है और दो में हिन्दी में होती है। लेकिन यह ढाई सौ और डेढ़ सौ की गिनती को देखते हुये यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लड़के अंग्रेजी में लेक्चर सुनते थे वे भी हिन्दी में लिख रहे थे। मैंने पूछा कि हिन्दी में इस वक्त Economics में किताबें कितनी हैं। तो मालूम हुआ कि हिन्दी में एक या दो किताबों का अनुवाद है बाकी कुछ नहीं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि जब तक हमारे यहां हिन्दी के अन्दर किताबें पूरी तरह से न हो जायं उस वक्त तक अगर यही स्थिति चलती रही तो जो बी० ए० या एम० ए० पास कर के लड़के निकलेंगे उनका ज्ञान एक या दो मामूली सी किताबों तक ही सीमित रहेगा।

हमको जो स्तर शिक्षा का रखना है वह केवल एक यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड नहीं, केवल प्रान्त का स्टैंडर्ड नहीं, केवल देश का स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड से हमको टक्कर लेनी है। अतः मुझको दिख रहा है कि जो आज यूनिवर्सिटी के अन्दर बी० ए० में में लड़के आ रहे हैं उनकी हालत यह है कि अंग्रेजी करीब-करीब गायब हो रही है और जो बड़ी बड़ी लायब्रेरी हैं यूनिवर्सिटीज के अन्दर उनसे वे कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि अधिकांश, ८०, ८५ फ़ीसदी लड़के अंग्रेजी पढ़ने और समझने का ज्ञान ही नहीं रखते। तो उनके लिये हिन्दी की किताबें आवश्यक हैं। जब यह कैफियत हो रही है उसके साथ साथ अगर आप वर्किंगमेंस कालेज जोड़ते चले जायं तो अन्त में बी० ए० और एम० ए० तो मिल जायंगे लेकिन उन विद्यार्थियों का ज्ञान क्या होगा, उनकी शिक्षा का स्टैंडर्ड

क्या होगा, वह मैं निवेदन करूंगा कि बिलकुल कोरा होता चला जाएगा। अगर इसके साथ-साथ यह भी समस्या सामने है कि जितने लड़के आ रहे हैं उनकी खपत यूनिवर्सिटी के अन्दर नहीं हो रही है। अब अगर आप इस तरह का दरवाजा और खोलते जायंगे कि सस्ती डिग्रियां विद्यार्थियों को प्राप्त हो जायं तो इससे बजाय स्टैंडर्ड को गिरने से रोकने के आप सस्ती डिग्रियों की प्राप्ति का मार्ग और सुगम कर देंगे। हां, अगर इस तरह की स्थानीय समस्यायें हों कि कुछ लोग जो काम भी करते हों और पढ़ते भी हों तो उसके लिये साधन रखे जा सकते हैं। योरुप और अमरीका में ऐसा होता है कि लड़के काम भी करते हैं और साथ ही साथ पढ़ते भी हैं और उनमें बहुत बड़ी सख्या में ऐसे भी लड़के होते हैं जो यूनिवर्सिटी शिक्षा के योग्य भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिये बजाय इसके कि आप एक सस्ते स्तर का कालेज खोलें जहां मामूली स्तर के लेक्चर्स हों और उनको डिग्रियां आप दें यह अच्छा होगा कि एफ़िलियेटेड कालिजों और कांस्टीटुएंट कालेजों में इस तरह की व्यवस्था करें कि जहां दिन में लेक्चर होते हैं वहां सुबह और शाम भी लेक्चर हों। आज लखनऊ और प्रयाग में ऐसी मांग है। तो इस तरह से अगर ज्यादा लड़के आयें तो आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उनके लिये शाम या सुबह लेक्चर हों। इससे उनको यह फायदा होगा कि वे युनिवर्सिटी के वातावरण में रह सकेंगे और जो यूनिवर्सिटी के खास अध्यापक हैं उनसे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और वे यूनिवर्सिटी शिक्षा का उचित फायदा उठा सकेंगे। लेकिन अगर आप ने वर्किंग मेन्स कालेज खोल दिये तो कोई लाभ नहीं होगा और मैं अपने मित्र से कहूंगा कि उनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी बल्कि सस्ती डिग्री प्राप्त करने का साधन आप प्रचलित करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो दो प्रकार के कालेजेज रखे गये हैं ऐफीलियेटेड और कांस्टीटुयेंट कालेजेज, वही काफी हैं और उनसे सारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय काटजू साहब का भाषण सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैंने बड़े ध्यान से उसको सुना और मेरी समझ में यह नहीं आया कि जो तर्क वह प्रस्तुत कर रहे थे वह उन्हीं के खिलाफ जा रहा था और चूंकि विरोध करना है और कुछ कह देना है इसलिये कुछ तर्क बना कर पेश कर दिया गया जिसके कोई माने नहीं थे। श्रीमन्, उन्होंने यह कहा कि वहां पर इस किस्म के इंस्टीट्यूशन्स नहीं हैं इसलिये जो प्रावीजन रखा गया है वह बेकार है, इसको न रखा जाय।

मैं समझता हूं कि आज देश में चारों तरफ से यही आवाज आ रही है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों को बढ़ाया जाय। इसकी लोगों को शिक्षा दें। लेकिन काटजू साहब इसको पसन्द नहीं करते हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह के विद्यालय न हों और जिन्दगी भर न खोले जायं। हो सकता है कि आगे चल कर हम खोलें और हम तो चाहते हैं कि इस तरह के विद्यालय खुलने चाहिये जिनमें उद्योग धंधों की शिक्षा दी जाय और इसका युनिवर्सिटी से संबंध हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन काटजू साहब ने दलील दे दी कि नहीं है तो कभी नहीं होने चाहिये जब तक दुनिया कायम रहे। यह कोई दलील मेरी समझ में नहीं आई।

दूसरे आपने रात के स्कूल चलाने के बारे में कहा। हम समझते हैं कि कभी गवर्नमेंट के लोग यह चाहते होंगे कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन काटजू साहब ने इसका भी विरोध किया है और कहा कि इस तरह की व्यवस्था कर देने से शिक्षा का स्तर गिर जायगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस में ब्रिलियेंट किस्म के लोग लिये जाते हैं और अगर ब्रिलियेंट आदमी पढ़ेगा तो कैसे शिक्षा का स्तर गिर जायगा यह वही समझ सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

तीसरी बात आप ने यह कही कि जब वह युनिवर्सिटी में गये तो २५० लड़के हिन्दी में लिख रहे थे। आप के कहने से मालूम होता था कि आप हिन्दी की मुखालिफत कर रहे हैं। आपने कहा कि १५० लड़के अंग्रेजी में लिख रहे थे बाकी सब हिन्दी में लिख रहे थे। मैं तो यह चाहता हूं कि सभी लड़के हिन्दी में लिखें। आप यह समझते हैं कि यदि किसी की अंग्रेजी अच्छी है तो उसका स्टैन्डर्ड अच्छा है ऐसे व्यक्ति को जो हिन्दुस्तान में रहता हो हम क्या कहें। यह वही स्वयं समझ लें। इंगलैन्ड की बात होती तब तो ठीक था लेकिन हिन्दुस्तान में रह कर इस बात को सोचना कि जब तक कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में ज्यादा निपुण नहीं है और हिन्दी में लिखता है तो स्टैन्डर्ड शिक्षा का गिरता जा रहा है। यह तो यहां पर रह कर इंगलैन्ड के स्वप्न देखना है। तो मैं नम्र निवेदन करूंगा कि काटजू साहब अपने इन ख्यालातों को बदलें और जरा हिन्दी की तरफ ध्यान दें। हिन्दी में लिखना कोई पाप नहीं है। हिन्दी की शिक्षा को ऊपर उठाना, मैं समझता हूं कि उचित ही है।

श्री शिवनाथ काटजू--श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरा यूनिवर्सिटी से कुछ विशेष सम्बन्ध है, मैं अध्यापक भी हूं .....

श्री अधिष्ठाता--मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किस हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री शिवनाथ काटजू--मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--वह आप बाद में दे सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगन्नाथ मल्ल--तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हिन्दी की ज्यादा योग्यता रखना, विद्वता रखना कोई सस्ती डिग्री नहीं कही जा सकती और यह बात काटजू साहब को जाननी चाहिये।

दूसरा जो संशोधन है वह यह है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी की परिभाषा इसमें दी नहीं हुई है और उसका नाम बिल में कई जगह पर आया है। इसलिये यह जरूरी है कि उसकी परिभाषा रखी जाय। इसलिये मैं जो संशोधन माननीय तेजप्रताप जी ने सदन के सम्मुख रखा है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको कबूल करेगा।

श्री शिवनाथ काटजू--मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैंने हिन्दी का विरोध नहीं किया। मैंने तो कहा था कि हिन्दी का स्तर आजकल इतना बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ-साथ अंग्रेजी गायब हो गई है और इसकी वजह से उनकी मजबूरियां ऐसी हो गई हैं कि जब तक उनको हिन्दी में पुस्तकें न मिलें वह कुछ पढ़ ही नहीं सकते।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने पेश किया है एक आटोनोमस कालेज और वर्किंग-मेंन्स कालेज के सम्बन्ध में, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो बन रही है वह नौ जिलों के लिये बन रही है। यह नौ पूर्वी जिले ऐसे हैं जिनमें सिवाय गोरखपुर के और किसी जिले में सम्भवतः डिग्री कालेज नहीं। वहां की परिस्थिति और आगरा युनिवर्सिटी की परिस्थिति में जमीन आसमान का अन्तर है। आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत से कालेज हैं, करीब ५० के और उसमें एक मेरठ कालेज इस तरह का है कि जिसको आटोनोमस होने की आवश्यकता है। उस कालेज में ६, ७ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहां की और यहां की परिस्थिति में बहुत बड़ा अन्तर है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी

केवल इस ख्याल से कायम की जा रही है कि यह ९ जिले जो पिछड़े हुये हैं उनमें शिक्षा बढ़े और जब वहां की परिस्थिति ऐसी हो जाय कि वहां आटोनोमस कालेज खोलने की आवश्यकता हो तो उस समय विचार कर लिया जायेगा। आज जमाना बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। आज की जो परिस्थिति है वह १० साल में बिलकुल बदल जाती है। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में आगरा यूनिवर्सिटी की नकल करना गोरखपुर के लिये, जैसा वहां रखा गया है वैसा ही यहां रखना, ठीक नहीं जान पड़ता। यहां पर तो यह आवश्यक है कि यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी बने और जो ये ९ जिले हैं उनको यूनिवर्सिटी में शामिल करते हुये वहां के जो कालेज हैं वे उससे संबंधित हों, और जो कालेज गोरखपुर में हैं वहां वह टीचिंग यूनिवर्सिटी हो जाय। इस प्रकार की इसमें भावना है। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां पर आटोनामस कालेज की कोई आवश्यकता नहीं है। रहा वर्किंगमेंन्स कालेज का सवाल। इन जिलों में ऐसी परिस्थति भी नहीं है कि वहां पर सरकारी नौकर हों या ऐसे लोग हों जो अपने रोजगार में व्यस्त हों और उनको रात्रि में या किसी दूसरे समय शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता हो। यह यूनिवर्सिटी एक ऐसे क्षेत्र में कायम की जा रही है कि जहां इन दोनों तरह के कालेजों की आवश्यकता बिलकुल भी नहीं है। हां, जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा कि औद्योगिक कालेजज हो। अगर वह ऐसा रखते कि इस यूनिवर्सिटी में औद्योगिक कालेज हों और वह इससे सम्बन्धित हों तो मैं अवश्य उनका स्वागत करता। परन्तु जहां तक मैं इसको पढ़ता हूं कि खंड ७ में साफ दिया हुआ है कि क्या-क्या हो सकता है। खंड ७ में दिया है कि "विद्या की ऐसी शाखाओं में शिक्षण का प्रबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनुसंधान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना", यानी यहां पर ऐसी शिक्षा दी जायगी। या वह शिक्षा बिलकुल इस तरह की होगी यानी साहित्यिक होगी या टेक्नीकल होगी या औद्योगिक होगी। यह सब यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया गया है। इसमें कहीं नहीं दिया गया है कि शिक्षा किस प्रकार की होगी। यह सब यूनिवर्सिटी को अधिकार है। वह ऐसे कालेजेज को संबंधित कर सकती है। इसलिये आप का आशय इससे पूरा हो जाता है और यूनिवर्सिटी को उसको अधिकार दिया गया है। आज ऐसे कालेज होने चाहिये जिनमें अधिक अधिकार दिये जांय और यूनिवर्सिटी के मातहत हों। वह अपने आप परीक्षायें लें। इन नौ जिलों में ऐसे कालेज नहीं हैं। मैं कह सकता हूं कि अगले १० वर्ष तक यह नहीं होने वाला है। अगर होगा तो उस समय इस कानून में परिवर्तन किया जा सकेगा। इसलिये परिस्थितियों को देखते हुये इन नौ जिलों में आटोनोमस व वर्किंगमेंस कालेज खोले जाना उचित नहीं है।

जहां तक एक संशोधन यह है कि फाउंडेशन सोसायटी की परिभाषा की जाय। इसको मैं उचित समझता हूं। जब हमने फाउंडेशन सोसायटी को अधिकार दिया है तो उसकी परिभाषा भी होनी चाहिये। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, श्री तेजप्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे ऐसा लगा कि आटोनामस कालेज के बारे में उनको भ्रम है। एक मिसाल आगरा यूनिवर्सिटी की दी जो मैं समझता हूं कि उचित नहीं थी। आगरा यूनिवर्सिटी एक जमाने से चली आती है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें ६४-६५ कालेजेज हैं। जैसे कानपुर और मेरठ में ऐसे बड़े कालेजेज हैं कि उनकी मांग है कि उनको विश्व विद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाय। जिस समय आगरा यूनिवर्सिटी में इनकी बात आयी थी तो मुझे ऐसा याद पड़ता है कि उनको यह भी अख्तियार दिया गया था कि वह जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं उनमें तब्दीली कर सकते हैं और अपनी डिग्री दे सकते हैं। इसके माने यह है कि हमारे दिमाग में यह चीज थी कि जो कालेज काफी ऊंचे स्टैन्डर्ड पर पहुंच चुके हैं उनको आज नहीं तो कल हमें विश्वविद्यालय में बदलना पड़ेगा। उनके लिये हमने मौका देने के

[श्री नवलकिशोर]
लिये यह प्राविजन रखा था कि उनको आटोनोमस कालेज बनाया जाय यानी यूनिवर्सिटी और कालिज के बीच का मिड वे यह था। हालांकि उसके पास होने के बाद कोई भी ऐसा कालेज नहीं बन पाया। आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो बच्चा है बल्कि पैदा होने वाला है तो इस बच्चे के ऊपर इतना बोझा लादना मैं समझता हूं कि उचित मालूम नहीं होता है।

मेरे भाई जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि उद्योग धंधों और कृषि का विकास हो। ठीक है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं है। मगर आटोनोमस कालेज के माने यह नहीं हैं कि उनमें छोटे-छोटे कोर्सेज खोले जायें बल्कि किसी भी स्टडी को लें तो उसमें हाई स्टैन्डर्ड का विशेष रूप से शिक्षा हो। इसके अलावा हमको यह भी देखना चाहिये कि इस यूनिवर्सिटी की रूपरेखा क्या है। हमने इस में खंड ५ में कहा है कि दस मील की रेडियस में कोई कालेज नहीं खोला जायगा और इस तरह से सभी पोस्ट ग्रेजुएट्स की शिक्षा को हम इस यूनिवर्सिटी तक ही केन्द्रित करना चाहते हैं और अगर श्रीमन्, आप आज्ञा दें तो एफिलियेटेड कालेज के बारे में जो आगरा यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स हैं उनको पढ़ दूं। उनमें लिखा है :—

"No applications shall be entertained unless the college satisfies the following conditions:—"

वह ७ हैं मैं उसमें से एक ही पढ़े देता हूं।

"It has, unless, it is a single faculty, college of agriculture or engineering or medical or veterinary science, well established dipartments of teaching in at least two faculties giving instructions upto the post graduate stage in at least six subjects."

उसमें से यह एक कन्डीशन है और बहुत सी हैं। मैं नहीं जानता कि इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई कालिज इन जिलों में है यदि नहीं तब आटोनामस कालिज की बात रखना उचित नहीं है—जहां तक वर्किंग कालेज की बात है उसके बारे में भी आगरा यूनिवर्सिटी के साथ कानपुर और आगरा जैसे औद्योगिक शहर हैं जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी है और काफी लोग वहां इस तरह के काम करते हैं तो यह सोचा गया था कि उनके ज्ञान को सप्लीमेंट करने के लिये कुछ ईवनिंग क्लासेज वगैरा खोले जायं लेकिन वह चीज भी अभी तक वहां कार्यान्वित नहीं हो पायी है, तो उन सब बातों को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अभी रखना कि जिस की अभी शुरूआत भी नहीं हुयी है, जबकि वह खुली भी नहीं है और न वहां इस तरह के कोई विद्यार्थी ही हैं ठीक नहीं लगता जब अधिक विद्यार्थी आ जायं और वह एक एसटेबलिश्ड टीचिंग यूनिवर्सिटी हो जाय उस समय यह चीजें लायी जा सकती हैं। इसलिये इस चीज को आगरा यूनिवर्सिटी की तरह अभी से लागू करना उचित नहीं है और अभी तो यह चीज वहां भी कार्यान्वित नहीं हो पायी है।

जहां तक फाउन्डेशन सोसाइटी की बात है उसमें कोई बड़ी सिद्धांत वगैरा की बात नहीं है और एक चीज यह भी है कि यूनिवर्सिटी के स्टेबलिश होने के बाद उस सोसाइटी का कोई महत्व नहीं रहता और उस वक्त वह डिजाल्व भी हो जायगी। फिर भी अगर आप समझते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण से उस का होना जरूरी है तो सरकार अपने कानूनी सलाहकारों से उसके बारे में पूछे और चाहे तो उसे रख दे।

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर सीताराम)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का विरोध करता हूं। अभी माननीय नवल किशोर जी ने, जैन साहब ने और काटजू साहब ने इस संशोधन के सम्बन्ध में जिस विचार धारा को प्रस्तुत किया है उसके सुनने के बाद मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती फिर भी जहां तक आटोनामस कालेजेज का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं यह कहना उचित समझता हूं कि जैसा कि माननीय तेज प्रताप सिंह ने कहा कि छोटे-छोटे स्माल स्केल इंडस्ट्री कोर्सेज खोले जायं और इस तरह की सुविधा दी जाय जिससे आम जनता के बच्चे पढ़ सकें। आटोनोमस कालेजेज में इस तरह की शिक्षा का प्राविजन करना मैं समझता हूं उचित नहीं है क्योंकि वहां तो एक तरह

की स्पेशलाइज्ड शिक्षा दी जाती है जिसमें कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज रखे जाते हैं आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के सम्बन्ध में २४ ए जो सेक्शन है उसमें लिखा है और आटोनोमस कालेजेज के सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी बातें रख देना चाहता हूं :

> "It has, unless, it is a single faculty, college of a agriculture or engineering or medical or veterinary science, well established departments of teaching in at least two faculties giving instructions upto the post graduate stage in atleast six subjects."

इसके पश्चात् अगर आप देखें तो फिर इसमें कहा गया है कि वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज लायब्रेरीज और टीचिंग स्टाफ भी होना चाहिये। इसके अलावा आटोनोमस कालेजेज के बारे में यह भी कहा गया है कि वहां प्रिंसिपल जो हो वह आउटस्टैंडिंग मैरिट का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी रखता हो। इस तरह की बातें जो हैं आटोनोमस कालेजेज के दायरे में लागू होती हैं।

जहां तक कि आगरा यूनिवर्सिटी के सेक्शन २४-ए का प्रश्न है इन सब बातों को देखते हुये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि माननीय सदस्य का जो संशोधन है मेरी इन सब बातों के बाद वह अपने आप कट जाता है। आटोनोमस कालेजेज की वह स्टैंडिंग है मैं तो देखता हूं कि दुनिया के अन्यान्य देशों में आटोनोमस कालेजेज को काफी अपने डिप्लोमाज या डिग्रीज देने की पावर होती है। जब आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसमें आटोनोमस कालेजेज की व्यवस्था इसलिये की गयी थी कि आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत से कालेजेज ऐसे हैं जिनकी स्टैंडिंग इस प्रान्त में काफी अच्छी है। इसलिये गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कहना कि आटोनोमस कालेजेज की व्यवस्था की जाय यह सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होता है इसके अन्तर्गत जो ९ जिले रक्खे गये हैं उनमें गाजीपुर और बस्ती जिलों में तो डिग्री कालेजेज नहीं हैं। लेकिन बाकी और जो जिले हैं उनमें गोरखपुर में दो डिग्री कालेजेज हैं जैसे महाराणा प्रताप डिग्री कालेज और और सेंट एंड्रूज कालेज वास्तव में कुछ अच्छे कालेजों में कहे जा सकते हैं लेकिन फिर भी उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि महाराणा प्रताप कालेज जो है वह एक कांस्टिट्युएंट कालेज बनाया जा रहा है। इस तरह से आटोनोमस कालेज की व्यवस्था जो है वह यहां पर नहीं हो सकती है। साथ ही साथ आगे विधेयक में यह प्रस्तुत किया गया है कि एम० ए० और एम०एस-सी० क्लासेज को पढ़ाने का अधिकार डिग्री कालेजेज को नहीं होगा। इस तरह से आटोनोमस कालेजेज का भी यहां पर यह प्रश्न हल नहीं होता।

दूसरी बात वर्किंग मेन्स कालेज के बारे में कही गयी है। वर्किंग मेन्स कालेज जैसा कि आगरा यूनिवर्सिटी में रक्खा गया उसमें यह बात अवश्य थी कि प्रान्त के फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कानपुर, आगरा, मेरठ या बरेली हैं जहां पर काफी संख्या में वर्किंग मैन पाये जाते हैं और उनको यह सुविधा हो कि अपने कामों पर रहते हुये भी उनमें जा कर विद्योपार्जन कर सकें इसलिये उसमें यह व्यवस्था की गयी, लेकिन जहां तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रश्न है सिवा गोरखपुर शहर को छोड़ कर उसमें और जो ९ जिले सम्मिलित किये गये हैं वहां पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जहां पर कि आबादी २० हजार, ३० हजार या ४० हजार से अधिक हो। ऐसी परिस्थिति में आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आजमगढ़ में भी, गोंडा बलिया और देवरिया में भी डिग्री कालेजेज हैं जहां पर आदमी या वर्किंग मेन जाकर अवकाश के अनुसार शिक्षा पा सकते हैं। साथ ही साथ गोरखपुर में अवश्य यह बात है कि वहां पर मजदूरों की संख्या अवश्य अधिक है जैसे फैक्ट्री के मजदूर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं वे सुविधानुसार विद्योपार्जन कर सकते हैं। इसलिये वर्किंग मेन्स कालेज की व्यवस्था यहां पर नहीं की जा सकती।

तीसरी बात यह कही गयी है—गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी के बारे में डेफिनीशन के बारे में कहा गया है कि उसको रख दिया जाय। इस सम्बन्ध में कहना है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फांउडेशन सोसाइटी जो है ऐसी सिर्फ एक ही सोसाइटी है उसमें जो

[डाक्टर सीताराम]

कोर्ट के मेम्बर रक्खे जायेंगे वे अनिश्चित काल के लिये नहीं होंगे बल्कि पहले फर्स्ट टर्म के लिये होंगे और फिर जब सारा काम ट्रांसफर हो जायगा तो वह आटोमेटिकली डिजाल्व हो जायगी। साथ ही कानून में उस चीज की व्याख्या की जाती है जो एक से अधिक हुआ करती हैं लेकिन जहां तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी का सम्बन्ध है इस नाम की एक ही सोसाइटी है। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार मैं तीनों अमेंडमेंट्स का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य उसे वापस ले लें।

*श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय उप-मंत्री जी के भाषण को सुना। लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नहीं मालूम हुयी जिससे कि इस संशोधन पर विशेष ऐसी बात कही गयी हो कि यह अपनी जगह पर स्टैन्ड न करते हों। जैसा कि जनरल डिस्कशन में कहा गया था कि वास्तव में यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिये था कि जो कि भारतीयता के अनुकूल हो और हमारी आवश्यकता के अनुकूल हो। अगर ऐसी व्यवस्था यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही है, उसको हम रूरल यूनिवर्सिटी बनायें या कोई आवश्यकतानुसार दूसरा रूप उसको दें तो ऐसी परिस्थिति में यह जो संशोधन है कि स्वायत्त सम्पन्न कालेज वहां यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध हो, अति आवश्यक है। क्योंकि यह हो सकता है कि कोई कालेज इस प्रकार के अध्ययन का प्रबन्ध करे जिसे यूनिवर्सिटी प्रेसक्राइब न करे। तो अगर इस प्रकार की परिभाषा नहीं रखी जाती है तो कोई भी कालेज इस प्रकार की वहां पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकता है।

दूसरे जो संशोधन वर्किंग मेन्स कालेज का है यह भी वहां की स्थानीय परिस्थिति को देखते हुये अति आवश्यक है क्योंकि वहां की जनता बड़ी ही पिछड़ी हुयी है और आजकल गवर्नमेंट के आर्डर्स भी ऐसे निकल गये हैं कि कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट यूनिवर्सिटी की शिक्षा या किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि यह व्यवस्था वहां कर दी जाय कि इस प्रकार के कालेज भी वहां हों तो ऐसे लोगों के लिये एक सुविधा हो जायगी जो कि यूनिवर्सिटी में अध्ययन करना चाहते हैं। जहां तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी की बात है यह सही है कि वह कुछ दिनों के लिये है और बाद में कब तक रहेगी और क्या वह बढ़ेगी या नहीं इसके लिये व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब तक इसमें व्यवस्था की गयी है तब तक के लिये कानूनी अड़चन तो हो ही सकती है। ऐसी परिस्थिति में अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका कोई खराब असर उसकी परिभाषा पर या इस कानून पर नहीं पड़ता है। तो मेरी समझ में यह जो संशोधन है बहुत ही उपयुक्त है और जहां तक इस बात की भी दलील दी गयी है कि आगरा यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की परिभाषायें हैं और उनको यह स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। परिभाषा होते हुये भी उन्होंने इस प्रकार के कालेजों की स्थापना नहीं की है। लेकिन आज जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और हमारी सरकार इस बात को जानती है कि शिक्षा की अति आवश्यकता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि यूनिवर्सिटी में वर्किंगमेन्स कालेज भी हो और आटोनामस कालेज भी, क्योंकि अगर स्वायत्त सम्पन्न कालेज की स्थापना की व्यवस्था नहीं करते हैं तो इससे सरकार की केन्द्रीयकरण की भावना का परिचय मिलता है।

दूसरी बात यह है कि सरकार स्वतंत्रता की प्रेमी नहीं है। वह चाहती है कि डिक्टेटरशाही हर एक क्षेत्र में कायम की जाय। और मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था न होने देना बड़ी अदूरदर्शिता की बात होगी और यह जो पुरानी परिपाटी अंग्रेजों ने यहां स्थापित की थी उसी लकीर को पीटते जाना होगा। मैं तो यह कहूंगा कि वे इतने समझदार थे, उन्होंने कम से कम इस प्रकार की परिभाषायें तो रखीं। उनको रूप नहीं दे सके यह अलग बात है। लेकिन उन्होंने कम से कम इस प्रकार की परिभाषायें तो रखीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताकि यदि कोई कालेज स्वतंत्ररूप से किसी विषय का अध्ययन करने की व्यवस्था करना चाहता है तो कर सके। तो मेरा ऐसा विचार है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री अगर यहां होते तो हो सकता था वह इन सब संशोधनों को स्वीकार कर लेते। लेकिन चूंकि वह यहां हैं नहीं और हमारे माननीय उप-मंत्री जी उनकी अनुपस्थिति में इस प्रकार के संशोधनों को स्वीकार करने का मैं समझता हूं कि साहस नहीं कर सकते हैं इसलिये उनके लिये मजबूरी हो सकती है लेकिन हमारे लिये आवश्यक है हम इस प्रकार की परिभाषाओं की इसमें व्यवस्था करें ताकि आगे ऐसी परिस्थितियों में जिनमें आवश्यक हो हम इस प्रकार के कालेजों की स्थापना कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तेज प्रताप सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उपमंत्री जी कह रहे थे कि हम आटोनामस कालेज इसलिये नहीं रखना चाहते कि न तो वहां अच्छी तरह से सम्पन्न लेबोरेटरीज होंगी और न हीं लाइब्रेरी होंगी। तो किस प्रकार बिना लेबोरेटरीज के और लाइब्रेरीज के हम टेकनिकल कोर्सेज में शिक्षा दे पायेंगे। आपकी आज्ञा हो तो यह जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट है उसके पेज ५८३ पर दिया हुआ है इस सम्बन्ध में उसे पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता--किस बारे में दिया हुआ है ?

श्री तेज प्रताप सिंह--यही लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज के बगैर भी काम चला सकते हैं, उस सम्बन्ध में।

"Some of the great scientific and practical developments of modern times have been the work of men who had neither university degrees nor scientific equipment. The Wright Brothers built their first airplane in a bicycle repair shop while some world famous scientists were declaring that such flight was impossible."

श्री अधिष्ठाता--इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री तेज प्रताप सिंह--इसका अर्थ यही है कि जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स हुये हैं संसारमें और जिन्होंने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है उनको न तो यूनिवर्सिटी एजूकेशन प्राप्त थी न कोई स्कूलिंग प्राप्त थी न उनके पास कोई लेबोरेटरी थी और न कोई लाइब्रेरीज की ही सुविधा थी और उनके जो अन्वेषण हुये वह बहुत ही ऊंचे हुये। यद्यपि बहुत से लोगों को यह आशंका थी कि यह कोई बहुत अच्छे अन्वेषण नहीं हो सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता--आपका तर्क यह है कि यूनिवर्सिटी में बगैर लाइब्रेरी और लेबोरेटरी के साइंस की शिक्षा दी जा सकती है ?

श्री तेज प्रताप सिंह--यह खुद कहते हैं। हमारे बड़े-बड़े विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं। आगे यह भी कहा है--

"James Watt, Robert Owen and George Stephenson, pioneers of the industrial age, were men of little or no schooling and without scientific laboratories. The day is not past for such pioneering."

तो इससे शिक्षा हमें लेनी चाहिये। अगर हमारा देश गरीब है लेबोरेटरीज नहीं है तो हम कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं, कोई अन्वेषण नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपका जो एक पैसिमिस्टिक आउटलुक है और जिसकी कि भर्त्सना की गई है इसी की वजहसे हमारी गरीबी नहीं दूर हो रही है। हमें तो उत्साह के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ना चाहिये। चाहे थोड़े

[श्री तेज प्रताप सिंह]

ही बहुत साधन हों, तो भी हम तरक्की कर सकते हैं और दूसरे देशों ने इस तरह तरक्की की है। तो यह जो होपलेसनेस व्याप्त है आज हमारे देश में यह दूर होनी चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि इसके बगैर भी कोई कालेज आटोनामस कालेज हो सकता है और वह टेकनिकल कोर्स को ले सकता है और देश की उससे सेवा कर सकता है। और यह आपका मकसद भी है कि हमारी सबकी तरक्की हो और ऐसे कोर्सेज खुल सकें। अब रह जाता है कि आगरा में आपने व्यवस्था की आटोनामस कालेज की और वर्किंग मेन्स कालेजेज की। ऐसी आपने आशा की थी कि यह चीज अच्छी थी तभी तो आप उसको संशोधन में ले आये। लेकिन फिर भी वहां खुल नहीं सके, ऐसा किसी माननीय सदस्य ने कहा। शायद माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि वह खुल नहीं सके। तो मैं समझता हूं कि उनके न खुलने का कारण जैसा कि इसके नाम से सिद्ध होता है, 'आटोनामस कालेज' यह है कि आप आटोनामी के कुछ विरुद्ध हैं। आपके जो ख्यालात हैं और इरादा है वह आटोनामी के विरुद्ध हैं। आप कोई आटोनामस कालिज या कोई संस्था खड़ी नहीं रखना चाहते हैं जो अपने ढंग से शिक्षा दे सके और अपने ढंग से देश की सेवा कर सकें तो उसका कारण तो यह है। माननीय काटजू साहब ने बहुत सही ध्यान हम सब का दिलाया कि स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है। मैं उनसे अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि स्टैन्डर्ड क्यों गिरता जा रहा है। आखिर उस स्टैन्डर्ड के गिरने के ऊपर और उसको रोकने के लिये ही तो वह एजूकेशन कमीशन बैठाया गया था। उन्होंने अपनी सिफारिशें उस सम्बन्ध में दी हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को यूनिटरी और रेजीडेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिये। कोई एफिलियेशन नहीं होना चाहिये यूनिवर्सिटी में। क्योंकि अगर अफिलिएशंस हम देते हैं तो इतना विषद और व्यापक वह दायरा हो जाता है कि कार्य ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाता है। और स्टेण्डर्ड लाजमी तौर से गिरता जा रहा है। तो या तो सिफारिश को मानकर चलते रहो लेकिन वैसा भी आपने नहीं किया जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संशोधन विधेयक यहां पर प्रस्तुत था तो हम लोगों ने बराबर यह मांग की थी कि वहां पर कोई अफिलिएशन की व्यवस्था न रखें, कांस्टीट्यूएंट कालिज की व्यवस्था न रखें, उसे प्योरली यूनिटरी और रेजीडेंशयल करैक्टर का रख दें और आपने नहीं माना और यह कहते रहे कि डेमाक्रेसी का जमाना है, लोगों की मांगें हैं और उनमें उत्साह है और वह पढ़ना चाहते हैं, इसलिये हमको कालिजेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिये। लोग कालिजेज खोलते जाते हैं उनको अगर संबद्ध नहीं करेंगे किसी यूनिवर्सिटी से तो हम उनकी आकाक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो उधर यह दलील दी गयी और इधर इन बातों को न मानना और न यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की सिफारिशों को मानना, यह दोनों बातें साथ चल रही हैं आपकी, यह समझ में नहीं आता है।

मैं समझता हूं कि माननीय काटजू साहब को जो स्टैन्डर्ड की फिक्र है, जोकि सही है, तो उनको इस बात को मानना चाहिये और कहना चाहिये कि आपका जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें अफिलिएशंस न दिये जायं और वह प्योरली यूनिटरी और रेजीडेंशयल करेक्टर का हो—कोई भी अफिलिएशन किसी कालिज को न दिया जाय, तब स्टैन्डर्ड जरूर रख सकते हैं। आप स्टैन्डर्ड भी अच्छा रखना चाहें और लोगों की बढ़ती हुयी आकांक्षाओं को भी पूरा करना चाहें तो दोनों चीजें साथ नहीं चल सकतीं। यहां आपने इसी वजह से ऐसा किया है और करना चाहिये ताकि आगरा विश्वविद्यालय का भार दूर हो और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की मांग जो पहले से चली आ रही है वह पूरी हो। दूसरे यह भी कुछ कहा गया कि इस तरीके से थर्ड रेट के स्टूडेन्ट्स हमारे देश में, प्रदेश में भर दिये जायं तो बेकारी बढ़ती जायगी। मेरा ख्याल है कि अगर माननीय काटजू साहब इस पर गौर करें तो यह मानेंगे कि आटोनामस कालिज जोकि टेक्नीकल कोर्सेज में एजूकेशन देंगे और जिनका कि मैंने जिक्र पहले भाषण में किया था, उसी प्रकार से ही उनके जरिये हमारी बेकारी दूर हो सकती है। विचार करने की बात है कि किस तरह से कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे यहां खुलें। और वह खुल तभी सकती हैं जब हम इन आटोनामस कालेजों में उनमें रिसर्च करके उसकी शिक्षा विद्यार्थियों को दें और तभी यह बेकारी दूर

हो सकेगी। और अगर इनकी व्यवस्था हम कालिजेज में नहीं करते हैं तो बेकारी दूर हो नहीं सकती है। वह तभी दूर हो सकती है जब आप हमारे संशोधन को मान लें कि आटोनामस कालेज कोई खुल सकें और वह सम्बद्ध भी हमारी इस यूनिवर्सिटी से हो सकें। मैं चाहता हूं कि अगर आटोनामस कालेज जल्दी नहीं भी खुल सकता है तब भी आपको यह क्लाज यहां विधेयक में रख लेनी चाहिये ताकि आगे अड़चन न आवे। सरकार को और इंडिविजुवल्स को भी जोकि देश-प्रेम रखते हैं उन्हें निश्चित रूप से यह सोचना पड़ेगा कोई ऐसा शीघ्र कदम उठाया जाय कि हमारी जो रूरल प्राबलम्स हैं और जो देहाती समस्यायें और कमियां हैं उनको दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिये। तो जब लोग उधर अग्रसर होंगे तो इधर फिर यह दिक्कत पैदा होगी कि उनको कोई धारा नहीं मिलेगी इस प्रकार की। इसलिये अगर आप ऐसी व्यवस्था अभी से रख लेते हैं तो हो सकता है कि आगरा यूनिवर्सिटी की तरह से यह प्राविजन बेकार रहे, लेकिन आगे लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आपको तो उधर अच्छी तरह से कोशिश करनी ही पड़ेगी एक दिन। उसको देखते हुये मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मान लेना ही चाहिये। माननीय काटजू साहब ने यह भी कहा कि हमारा स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है और यदि वर्किंग मेन्स कालेज की व्यवस्था आपने कर दी तो लोग सर्विस भी करते रहेंगे और इधर डिग्रीज भी प्राप्त करते रहेंगे। यह सही है कि जब कोई आदमी दत्तचित्त हो कर स्टडीज में लगता है तभी उसका स्टैन्डर्ड अच्छा हो सकता है और जब दत्तचित होकर आदमी पढ़ेंगे तब यूनिवर्सिटी का स्टैन्डर्ड भी ऊंचा हो सकता है, यह बात बिलकुल सत्य है और इससे भिन्न मेरी राय नहीं है। लेकिन जब बीच का रास्ता आप अख्तियार करते हैं तब यह लाजिमी हो जाता है कि जो इच्छुक हैं शिक्षा लेने के और डिग्री प्राप्त करने के उनके लिये भी आप व्यवस्था रखें। और इस तरह की व्यवस्था आपने एक जगह रखी है। फिर जब प्योरली अफीलियेटिंग करेक्टर का यह विश्वविद्यालय बनाया है और इस विश्वविद्यालय की वैसी रूपरेखा रखी है तो यह बहुत ही उचित है कि स्टैन्डर्ड पर ज्यादा ध्यान न दे कर इस बात का भी समावेश आप उसमें करें। इस रिपोर्ट का जिसमें यूनिटरी करेक्टर की यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर जोर दिया है उसका ख्याल रखते हुये हमें चाहिये कि कम से कम दो तीन यूनिवर्सिटीज यूनिटरी करेक्टर की हमारे सूबे में हों। होना यह चाहिये कि जो यूनिटरी और रेजीडेंशल करेक्टर की हैं और उनका एफीलियेशन से सम्बन्ध नहीं है। उन्हें और अच्छा बनाया जाय और इस बात पर जोर दिया जाय कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो हैं वे प्योरली यूनिटरी करेक्टर की रखी जायं और उनकी रक्षा तथा तरक्की की जाय। इन शब्दों के साथ में अब भी यही समझता हूं कि मेरे संशोधन की आवश्यकता है और उसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

डाक्टर सीताराम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो पहले ही कह चुका हूं और उसके पश्चात् कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु माननीय तेजप्रताप सिंह ने अभी ो तीन साइंटिस्ट्स के नाम सुनाये जैसे जेम्स, वाट, राबर्ट, ओवेदन और जार्ज स्टीवेन्सन। जब आप इन महानुभावों के बारे में देखते हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये या तो अमेरिकन्स हैं या इंगलिशमैन। आप ने यह भी बतलाया कि इन साइंटिस्ट्स ने दुनिया में वह काम किये हैं और उस समय किये हैं जब कि उनके पास लाइब्रेरीज या पुस्तकों की कोई व्यवस्था नहीं थी। हो सकता है उस समय ऐसी बात रही हो लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य की सेवा में निवेदन करता हूं कि दुनिया के इन महान् देशों में जहां ये बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स हैं, इतनी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज और साधन पी० एच० डी० के स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं उनकी इतनी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज हैं जितनी बड़ी हमारे यहां कालेजेज में भी लाइब्रेरीज नहीं होतीं उनसे भी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं। यह कम्पेटीशन का युग है। जब विश्वविद्यालय या डिग्री कालेजेज की आप स्थापना करना चाहते हैं तो जब तक लाइब्रेरीज न हों तब तक आपका काम अधिक चलने का नहीं है। अभी माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने रूरल बायस की बात कही कि इस तरह का बायस नहीं मिल रहा है। लेकिन हम यह कह देना चाहते हैं कि जो एम्स ऐण्ड अब्जेक्ट्स यहां यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का है उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि ग्रामीण जनता का

[डाक्टर सीताराम]

आवश्यकताओं के अनुसार यूनिवर्सिटी को पूरी स्वतंत्रता होगी कि जिस तरह से वहां की जनता की भलाई के लिये जो भी विषय उचित हों वह पढ़ाये जायं और उनको हो वह कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो यह अमेंडमेन्ट्स रखे गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं और मैं पहले भी इन सब की पूर्णरूपेण व्याख्या भी कर चुका हूं।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं आप के सामने माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के दोनों संशोधनों को जो माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने पेश किये थे मत के लिये रखता हूं।

(एक क्षण ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (क क) के बाद निम्नलिखित उपखंड (क कक) व (कककक) बढ़ा दिये जायं :—

"(कक क) स्वायत्तसम्पन्न (autonomous) कालेज का तात्पर्य ऐसे सम्बद्ध कालेज से है जिसे खंड ३३ के उपखंड (अ) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा एतदर्थ घोषित किया गया हो,

(कककक) श्रमजीवी (working men) कालेज का तात्पर्य ऐसे सम्बद्ध कालेज से है जिसे खंड ३३ (ब) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा एतदर्थ घोषित किया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ङ) के बाद एक नया उपखंड (ङङ) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय :—

"(ङ ङ) गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी, गोरखपुर से तात्पर्य इस नाम से इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड एवं अधिकृत गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु निर्मित सोसाइटी से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नवल किशोर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उपखंड (च) निकाल दिया जाय।

डाक्टर सीताराम—यह स्वीकार है।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मैं माननीय नवल किशोर जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। श्रीमन्, आप देखेंगे कि उपखंड २ का (च) जो है उसमें सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है, इस तरह से इस अधिनियम में है। अब माननीय नवल किशोर जी का तात्पर्य क्या है इस संशोधन से? निकाल देने का उनका प्रयोजन यह है कि अगर निकाल दिया जाय तो उसके स्थान पर जैसा कि उन्होंने छठे नम्बर पर जो संशोधन दिया है कि खंड २ के उपखंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ठ ठ) रख दिया जाय कि राज्य सरकार का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसको स्वीकार कराने के लिये आपने यह संशोधन रखा है कि खड २ का उपखंड (च) निकाल दिया जाय। श्रीमन्, यह कितना अनावश्यक है और हमें ताज्जुब हुआ कि माननीय शिक्षा उपमन्त्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया। आप इस विधेयक को देखें कि इसका क्या नाम है। गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ इसका नाम है। इसी में उसके नीचे लिखा हुआ है कि "यह आवश्यक है कि गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित और निर्मित किया जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है"। यह साफ है कि यह अधिनियम गोरखपुर से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के बारे में है। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि "यह अधिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।" यह भी डिक्लेरेशन है। और जो मन्शा है इस उपखंड की वह यह है कि "विषय या संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में....।" किस अधिनियम में? गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ में, जो इस सदन में प्रस्तुत है। तो यह साफ है कि गोरखपुर जिस राज्य में स्थित है उसी राज्य से संबंधित यह अधिनियम भी है। और माननीय नवलकिशोर जी की "राज्य सरकार" की परिभाषा भी हो तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा असंगत सा हो जायगा। क्योंकि श्रीमन्, अगर आप देखें तो अगर बिहार में या कहीं और यूनिवर्सिटी बन रही होती तो बिहार सरकार या केन्द्रीय सरकार हो सकता लेकिन जब यू०पी० में खुलती है तो फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो यू०पी० सरकार होगी ही। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम आपोज़ीशन की इस बात को मान कर जैसा विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है कम से कम उसे वैसा ही रहने देंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)---जो संशोधन नवल किशोर जी ने पेश किया है इसको मैं समझता हूं कि जिस रूप में उन्होंने पेश किया है उस रूप में पेश करना आवश्यक न था और मैं समझता हूं कि यदि पूरे उपखंड को निकालने के बजाय उनका संशोधन यह होता कि "सरकार" के स्थान पर "राज्य सरकार" लिख दिया जाय तो ठीक होता। बात यह है कि जिस प्रकार से हमारा यह विधेयक बना है वह पहले तो अंग्रेजी में बनता है, उसके बाद हिन्दी में अनुवाद किया जाता है। तो अगर अंग्रेजी के विधेयक को देखा जाय तो उसमें अंग्रेजी में (२ एफ) में दिया है कि "गवर्नमेंट मीन्स दि यू०पी० गवर्नमेंट" इस का अर्थ हो गया राज्य सरकार से, तो मैं समझता हूं कि बजाय इस पूरे खंड के निकालने के यह उचित होगा कि एक संशोधन लाया जाय।

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने आगे दिया है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मेरा संशोधन यह है कि (च) को संशोधित रूप में रख दिया जाय कि राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। यह हो जाय तो मकसद पूरा हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह उनको स्वीकार होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं समझता हूं कि (च) को बदलने से तमाम सीरियल को बदलना होगा। इसलिये यहीं रख दें तो अच्छा होगा। कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है।

श्री नवलकिशोर---अधिष्ठाता महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि बजाय 'सरकार' के 'राज्य सरकार' रख दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---आप लिख कर भेज दें।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, क्या बीच में इस तरह से असेम्बली का समय सेसंस में रह सकता है या ऐसे ही कार्यवाही जारी रखी जाय? मेरा सुझाव है कि इस तरह से बैठे न रह कर हमारा काम जारी रहे।

श्री अधिष्ठाता---काम तो जारी है।

(एक क्षण के अन्ततर)

माननीय नवलकिशोर जी, आप अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री नवल किशोर—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (च) के स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाय—

"(च) राज्य सरकार का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ञ) में पंक्ति १ के शब्द "अथवा" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "व्यक्ति" तक पूरा वाक्य निकाल दिया जाय।

इस संशोधन के बाद यह उपखंड इस प्रकार रह जायगा कि "प्रिंसिपल का तात्पर्य किसी कालेज के अध्यक्ष से है।" जो बीच के शब्द "अथवा इस पद पर कार्य करने के लिये यथोचित रूप से नियुक्त व्यक्ति से है" यह पूरा वाक्य निकल जायगा।

इसमें कोई संशोधन का प्रश्न नहीं है। वास्तव में जो बात है वह यह है कि जहां प्रिंसिपल से अर्थ है वहां चेष्टा की गई है कि जो प्रिंसिपल का कार्य ग्रहण करता हो। जिस प्रकार इसकी भाषा है इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ऐसा न हो जाय किसी कालेज में प्रिंसिपल हो और उसका रेलीगेट दूसरे व्यक्ति को समझा जाय, वह यथोचित रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया हो। दो ही सूरतें पैदा होती हैं। सरकार का भी मतलब यह है कि प्रिंसिपल वहां से आये। फर्ज कीजिये कि प्रिंसिपल छुट्टी पर गया है तो वहां आफिशियेटिंग प्रिंसिपल होगा। तो यह मानी हुई बात है कि प्रिंसिपल या आफिशियेटिंग प्रिंसिपल एक ही चीज है। जहां प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हुई है वहां आफिशियेटिंग प्रिंसिपल हो सकता है। तो यह बात भी वही है। तो जिस तरह से यह उपखंड मैंने रखा है अगर केवल उतना ही रखा जाय तो भी सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। और न इसमें कोई सैद्धांतिक बात ही पैदा होती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन मेरा संशोधन स्वीकार करेगा।

डाक्टर सीताराम—"प्रिंसिपल का तात्पर्य किसी कालेज के अध्यक्ष अथवा इस पद पर कार्य करने के लिये यथोचित रूप से नियुक्त व्यक्ति से है" इसमें जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि पंक्ति १ के शब्द "अथवा" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "व्यक्ति" तक पूरा वाक्य निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती और अगर इसको ऐसे ही रहने दिया जाय तो दोनों मतलब सर्व हो जाते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उपमंत्री जी ने कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहा....

श्री अधिष्ठाता—उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो दिया हुआ है वह ज्यादा साफ है।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। आप देखेंगे कि यह दिया हुआ है कि प्रिंसिपल का तात्पर्य इस पद पर कार्य करने के लिये यथोचित रूप से नियुक्त व्यक्ति से है। तो आप देखें कि अध्यक्ष जो इसका होगा, किसी कालेज का, वह यथोचित रूप से ही नियुक्त होगा। क्या अनुचित रूप से भी कोई अध्यक्ष नियुक्त हो जायगा?

श्री अधिष्ठाता—उनका तात्पर्य यह है कि जो आफिशियेटिंग प्रिंसिपल होगा उसको भी अध्यक्ष ही कहा जायगा।

श्री तेज प्रताप सिंह—तो उसके लिये तो इसी ढंग से दूसरी धारा आनी चाहिये थी। यहां तो यह है कि अध्यक्ष पद के लिये यथोचित रूप से जिसकी नियुक्ति हो जाय उसको माना जायगा। तो इसके माने यह हो सकते हैं कि अनुचित रूप से जो व्यक्ति होगा उसको हम नहीं मानेंगे। अगर आफिशियेटिंग के लिये था तो वैसा क्लाज आना चाहिये था कि कोई कालेज का प्रिंसिपल हो और अनुचित रूत से हो गया हो और उसको हमें रोकना है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर यथोचित रूप से वह नियुक्त किया गया है तो उसके सम्बन्ध में यह चीज नहीं आती। अब बात सिर्फ यह आती है कि अगर प्रिंसिपल लीव पर है तो जैसा कि बालेन्दुशाह जी ने कहा, वहां आफिशियेटिंग प्रिंसिपल होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में प्रेसीडेंट होते हैं और जब वह छुट्टी पर होते हैं और उस समय जो दूसरा व्यक्ति चार्ज में रहता है तो जो निमंत्रण आदि आते हैं तो उनमें वही व्यक्ति जाता है, चेयरमैन की जगह, और यह माना जाता है कि वह उस पद पर है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनावश्यक है। यह तो हुई उसके अनावश्यक होने की बात, जिसको माननीय बालेन्दुशाह जी निकालना चाहते हैं, लेकिन इसका एक और अर्थ हो जाता है जिससे मैं समझता हूं कि बड़ा अनर्थ हो सकता है। मानिये कि एक प्रिंसिपल वहां है लेकिन मैनेजिंग कमेटी यदि किसी खास व्यक्ति को वहां भेजना चाहती है तो वह उसको डयूली नियुक्त करके ऐसा घोषित करेगी और उसको भेज देगी। यह बात मैं समझता हूं कि अनुचित होगी। प्रिंसिपल को ही यह राइट होना चाहिये कि वह वहां जा सके। तो मैं समझता हूं कि यह अनर्थ रोकने के लिये आवश्यक होगा कि महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी का संशोधन मान लिया जाय।

***श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात सुनता रहा और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैं उस उदाहरण को तो समुचित नहीं समझता जो माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने दिया है कि क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड में यह प्राविजन है कि प्रेसीडेंट अगर न रहे तो वाइस प्रेसीडेंट ऐक्ट करेगा। लेकिन हमारी दूसरी परिस्थिति है मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट है तथा दूसरे भी ऐक्ट हैं उनमें चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या कमिश्नर हो या चीफ सेक्रेटरी हो अगर उस जगह पर कोई नहीं होता तो उनके स्थान पर यदि कोई डयूली अप्वाइंटेड है, वह भी उस परिभाषा में समझा जाता है। तो जो संशोधन है अगर उससे यह मतलब ग्रहण हो जाता है और उसका वही मतलब होता है जो विधेयक की रूपरेखा में है तब तो जो चीज आगे रक्खी गयी है वह बेकार है और उससे अनावश्यक भ्रम पैदा हो सकता है। इसके माने यह हैं कि अगर कहीं दूसरी जगह इस विधेयक में इस तरह की सफाई नहीं रखी गयी तो उससे भ्रम हो सकता है। इसलिये इस चीज को मैं रिडंडेंट समझता हूं। यदि हमारे माने में कोई फर्क नहीं पड़ता है तब तो आगे के शब्द रिडंडेंट ही मालूम पड़ते हैं, लेकिन अगर उन शब्दों के न होने से कुछ फर्क हो जाता है तब मुझे उनके रक्खे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नवल किशोर—अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि दोनों की मंशा बिल्कुल साफ है, मैं समझता हूं कि जो नियम इस बारे में होंगे उनकी भाषा बिल्कुल साफ है। इस सिलसिले में एक बात यह कही गयी कि प्रिन्सिपल कोई और हो और किसी दूसरे व्यक्ति को वहां का मैनेजमेंट नियुक्त करे। मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल एब्सर्ड है कि कोई मैनेजमेंट ऐसा कह दे कि यह प्रिन्सिपल, प्रिंसिपल नहीं है। अगर कोई ऐसी मैनेजिंग कमेटी है तो वह बिल्कुल निकम्मी है। अतः इस तरह के स्पेक्युलेशन लगा कर किसी कानून में तरमीम करना ठीक नहीं है। प्रिन्सिपल वही होगा जो एक प्रिन्सिपल मुकर्रिर किया जायगा अथवा उसकी जगह कोई और ऐक्ट कर रहा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मेरे उत्तर देने से पूर्व मंत्री महोदय यदि एक स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा होगा ।

श्री अधिष्ठाता—उनको जो स्पष्टीकरण देना था वह दे चुके हैं अब आप अपनी बात कह दें । उनको जो कुछ कहना होगा वह बाद में कह देंगे ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन शब्दों को संशोधन द्वारा दूर किये जाने का मैंने सुझाव दिया है वह अगर उनको हटा दिया जाय तो सरकार की जो मंशा है उसमें बाधा पहुंचती है या नहीं ? यदि बाधा नहीं पहुंचती है तो यह स्पष्ट है कि यह शब्द अनावश्यक हैं । यह मैंने शुरू में ही कह दिया था कि अगर प्रिन्सिपल नहीं होगा तो जो उसके स्थान में काम कर रहा होगा वह प्रिन्सिपल समझा जायगा । जिन शब्दों को मैंने निकाला है अगर उनके निकालने से यह मंशा पूरी नहीं होती तो सरकार उन शब्दों को रख सकती है । मैंने यह संशोधन केवल आसानी के लिये रक्खा है । इसमें माननीय हृदय नारायण जो जिनको इसकी बहुत जानकारी हो सकती है, उन्होंने इसमें अपना एक नोट आफ डिसेंट दिया है । वह उसमें लिखते हैं —

> "1. The words "or.:.....such" should be deleted from sub-section (J) of section 2 as the alternative is likely to create difficulties and troubles for the colleges."

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि यदि सरकार की जो इच्छा है उसकी पूर्ति में कोई हानि, आशंका या डर नहीं है, इसको स्वीकार कर लिया जाय । बेकार के शब्द रखना बेकार है । इसमें केवल इन्टरप्रिटेशन का फर्क हो सकता है सम्भवतः कोई अगली सरकार कुछ और समझे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई अथारिटीज जो आगे हों वह दूसरी बात समझें । इसलिये यह आवश्यक है कि इस वाक्य को यहां से निकाल दिया जाय ।

डाक्टर सीताराम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो कह चुका हूं कि इसकी अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर माननीय बालेन्दुशाह के संशोधन को मान लिया जाय तो उससे अहित होगा क्योंकि प्रिन्सिपल की गैरहाजिरी में जो उसकी जगह पर काम करने वाला होगा उसके लिये प्राविजन न करें तो वह उचित न होगा । इस प्राविजन की इसलिये आवश्यकता पड़ी कि इसके आ जाने से मतलब स्पष्ट हो जाता है । इसलिये इसको रहने दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ञ) में पंक्ति १ के शब्द "अथवा" से लेकर पंक्ति २ के शब्द "व्यक्ति" तक पूरा वाक्य निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन खंड २ के उपखंड (ढ) की पंक्ति ६ के शब्द "किन्तु" से लेकर पंक्ति ७ के शब्द "हुआ हो" तक निकाल दिया जाय, और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी सम्बद्ध कालेज में भर्ती हुआ हो ।"

इसमें मैं समझता हूं कि सिद्धांत का प्रश्न उठता है । जो खंड (ढ) है वह इस प्रकार है कि "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथा-विधि स्थापित किसी उपाधि, डिग्री, डिप्लोमा, या शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से भर्ती हुआ हो किन्तु इसके अन्तर्गत

ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी कालेज में भर्ती हुआ हो ।" तो यह परिभाषा जिस रूप में बिल में रखी गयी है उसका मतलब मेरे संशोधन से बिल्कुल उल्टा हो जायगा, यह मैं स्वीकार करता हूं। प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय का छात्र कौन हो ? इसके लिये यह आवश्यक है कि हम यह सोचें कि विश्वविद्यालय आखिर क्या चीज है, चांसलर महोदय, वाइस चांसलर महोदय या गोरखपुर में जो विश्वविद्यालय स्थापित होगा या वहां जो कांस्टीट्यूशन स्थापित होगा क्या यह यूनिवर्सिटी उसी में सीमित होगी ? जो लड़के जौनपुर के कालेज में पढ़ रहे हैं और हर एक विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित डिसिप्लिनरी मेजर्स से बाध्य है वह भी हर तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ही विद्यार्थी माना जायगा । जो जूरिस्डिक्शन है उपकुलपति का वह हमारे एफिलियेटिंग कालेजेज तक पहुंचता है---शिक्षा के सम्बन्ध में करीक्युलम एफिलियेटेड कालेजेज का यूनीवर्सिटी कर रही है । जो अध्यापक हैं यूनिवर्सिटी उनकी जांच करके उनको एप्रूव करेगी । जो एफिलियेटेड कालेजेज यूनिवर्सिटी में बनाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी द्वारा बताया जायगा कि आप इस विषय में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो फिर जब एक विद्यार्थी जौनपुर में एक कालेज में शुरू से अन्त तक पढ़ कर जब वह वहां से निकल कर डिग्री का पर्चा ले जायगा और उसमें लिखा होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से उसको बी०ए० की डिग्री प्रदान की जाती है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि उसको किस प्रकार जहां तक इस परिभाषा का सम्बन्ध है मंत्री महोदय इरेज कर सकते हैं कि वह गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं है ।

शासकीय प्रश्नों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि दूर-दूर जो कालेजेज हैं उनकी जिम्मेदारी इस अवसर पर आज जबकि एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है वह विश्वविद्यालय के हाथ में न सौंपी जाय, कोई बुराई हो तो विश्वविद्यालय के ऊपर उसकी चोट न पहुंचे । अगर इस प्रकार के विचार हैं तो वे गलत हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री का ऐसा विचार नहीं होगा। प्रश्न वास्तविक रूप से देखना होगा कि आखिर वह विद्यार्थी किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है ? अगर वह विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं है तो आखिर किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है ? यह तो मानी हुयी बात है कि जब वह आगरा , इलाहाबाद, या लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं है तो किस विश्वविद्यालय का है । इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें स्टैंडिंग प्रश्न है लेकिन जो विधेयक है उसके सिद्धांत में या उससे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । जो हर कालेज में जो विद्यार्थी है वह भी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी माना जायगा ।

डाक्टर सीताराम---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने यह कहा है कि खंड २ के उपखंड (ढ) में पंक्ति ६ के शब्द "किन्तु" से लेकर पंक्ति ७ के शब्द" हुआ हो" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी सम्बद्ध कालेज से भर्ती हुआ हो। सम्बद्ध कालेज का तात्पर्य है एफिलियेटेड कालेज । जहां तक विश्वविद्यालय के छात्र की परिभाषा का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं पढ़ देना आवश्यक समझता हूं, "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted) किसी उपाधि (degree) डिप्लेमा, या शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठयक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से भर्ती हुआ हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी कालेज में भर्ती हुआ हो ।" इसका तात्पर्य यह है कि यूनिवर्सिटी का छात्र वही है जो कि यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त, यानी उस १० मील के रेडियस के अन्दर शिक्षा प्राप्त करता हो। लेकिन विश्वविद्यालय का छात्र वह नहीं कहा जायगा जो ऐफीलियेटेड यानी सम्बद्ध कालेजेज में विद्या प्राप्त करता हो। यह बिल्कुल सीधी सी बात है । इसमें अधिक समय लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः मैं बालेन्दुशाह जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, मैं संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर मैं उपमंत्री का भाषण सुनता रहा और उससे यह प्रकट हुआ कि जो इतना महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न माननीय बालेन्दुशाह जी द्वारा उठाया गया वह वास्तविकता में एक खिलौना था जिस पर कि इस सदन को अधिक समय नष्ट करना अनुचित था और कोई उसमें महत्व नहीं था। मान्यवर, जो सिद्धांत अभी इस सदन के सम्मुख रखा गया उसके पीछे बहुत ही सार है और यदि सोचा जाय तो यह देखा जायगा कि एक ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन आया है जिस पर कि सदन गम्भीरतापूर्वक विचार करे। यह ठीक है एक संकीर्णता यदि नहीं कहा जा सकता तो इतना तो, अधिक इसके बारे में न कह कर, अवश्य कहूंगा कि यह सीमित किया जा रहा है जो उसका अधिकार क्षेत्र जो उसका जूरिस्डिक्शन है वह केवल १० मील ही के अन्दर सीमित रखा जा रहा है। एफीलियेटेड कालेजेज श्रीमन्, आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र हुआ है केवल यदि उन पुरानी बातों को हम याद रखते हैं और यह देखना चाहते हैं कि सिर्फ १० मील के रेडियस के अन्दर जो छात्र विद्या पा रहे हैं वही केवल यूनिवर्सिटी के छात्र कहलाये जायं और वह जो ऐफीलियेटेड कालेजेज में हैं, और यह भी कहता हूं कि बहुत से कालेजेज की पढ़ाई यूनिवर्सिटी या कान्स्टीट्युएंट कालेज से खराब भी नहीं कही जा सकती है और जिससे उपमंत्री इन्कार नहीं कर सकते, जहां पर ऐसे भी हैं जो उस सीमा तक नहीं पहुंच पाते। मान्यवर इन बातों को देखते हुए आज गोरखपुर यूनीवर्सिटी ऐसी नहीं बनायी जा रही है जो कि आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद की नकल की जा रही है, बल्कि स्वतंत्र भारत में हम आशा करते थे कि माननीय उप मंत्री जी यूनिवर्सिटी में नवीनता रखेंगे, संकीर्णता का कहीं प्रादुर्भाव नहीं हो पाया और एक विशेषता होगी जिससे आज तक जो दूसरों को सुविधा प्राप्त नहीं थी वह इससे होगी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है हमें खेद है कि एक संकीर्णता के आधार पर या उस कनवेंशन, कस्टम जो कुछ भी समझा जाय, मैं उसे ट्रेडीशन भले ही मान सकता हूं, उसके वशीभूत हो कर यह संशोधन ठुकराया जा रहा है और उन ऐफीलियेटेड कालेजेज के छात्रों को यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं कहा जा रहा है। मैं समझता हूं कि उस पर उतना ध्यान भी नहीं दिया गया जितना उपमंत्री जी को देना चाहिये था यदि यह यूनिवर्सिटी की प्रोटो टाइप होती तो यह ठीक था लेकिन जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक दूसरी फिजा होनी चाहिये थी और यदि उन ऐफीलियेटेड कालेजेज के छात्रों को यह सुविधा प्रदान की जाय, यदि वह भी यूनिवर्सिटी के छात्र कहलाये जा सकें तो मैं समझता हूं उनके लिये एक गौरव की बात होगी। और जब प्रदेश की सरकार एक जगह नहीं हर जगह ऐक्सपेरीमेंट करने को तैयार है तो यदि यह माना जाय कि मैं केवल तर्क ही के लिये कह रहा हूं, यदि वह उससे सहमत न हों, उसमें दोष देखते हों तो केवल एक ऐक्सपेरीमेंट के लिये देखा जा सकता है। अगर हर विधेयक लाया जा सकता है, जिससे हरसाल एक संशोधन हर ऐक्ट में लाया जाता है, जैसा कि मैंने कहा.....

"फार दी सेक आफ आर्ग्यूमेंट" केवल वादविवाद के हेतु आप यह स्वीकार कर लें तो एक एक्सपेरीमेंट के लिये इसको कीजिये और देखिये कि सचमुच इससे कुछ ऐसा लाभ पहुंचता है कि नहीं और उन छात्रों में विशेष जागृति होती है कि नहीं। इन शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह उसको स्वीकार करेंगे।

श्री नवल किशोर---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी के संशोधन का मुझे विरोध करना पड़ रहा है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि यह सिद्धांत का प्रश्न है कि विश्वविद्यालय का छात्र किसको माना जाय? वह चाहते हैं कि जितने एफिलिएटेड कालेजेज हैं उनमें जो स्टूडेंट भर्ती हों उनको भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट माना जाय। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा और सम्भव भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी कहा गया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को हम यह चाहते थे, ऐसा बनाना चाहते थे कि वह इलाहाबाद और लखनऊ से भिन्न हो। मैं यह अर्ज करूंगा कि क्या बनाना चाहते थे यह दूसरी बात है, जो उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शक्ल हमारे सामने है वह देखना है। मान लीजिये कि आपका संशोधन मान लें तो जो विद्यार्थी जौनपुर के अन्दर भर्ती होगा किसी कालेज में या जो विद्यार्थी आपका बलरामपुर कालेज में भर्ती होगा उसको आप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मानेंगे? जबकि वहां के वाइस चांसलर का कोई उनसे सम्पर्क नहीं होगा? डिसिप्लिन को मेंटेन करने का जो वाइस चांसलर का फर्ज होगा, मैं नहीं समझता कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किस तरह जिम्मेदार हो सकता है उस स्टूडेंट के लिये जो कि जौनपुर में है या बलरामपुर में है। उन्होंने खंड १३ के उपखंड (४) को कोट किया कि—"उपकुलपति विश्वविद्यालय घटक कालेजों तथा सम्बद्ध कालेजों के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तर-दायी होगा।" इसके माने उन्होंने गलत समझे। असल में "सामान्य नियंत्रण मीन्स जनरल कंट्रोल" उसका कोई डे टूडे ऐडमिनिस्ट्रेशन में हाथ नहीं होगा। उन कालेजों के इंतजाम पर उसका सामान्य कंट्रोल रहेगा मगर विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये वह उत्तरदायी होगा। उसके लिये स्पेसीफिक दिया हुआ है कि वह विश्वविद्यालय के अन्दर अनुशासन कायम रखे। अगर उनके संशोधन को स्वीकार कर लें तो वाइस चांसलर के लिये बड़ा कठिन हो जायगा कि वह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर जो भिन्न कालेजेज हैं उनके अन्दर जो स्टूडेन्ट्स हैं उनके ऊपर अनुशासन कायम रख सके। इसके अलावा इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट की परिभाषा बहुत सीमिति रखी है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय बालेन्दु शाह जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न जो इस समय सदन के सामने है यह मूथम कमेटी की रिपोर्ट के समय भी आया था और जिस वक्त कि इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट्स का संशोधन हो रहा था उस वक्त भी वादविवाद में यह प्रश्न आया था। जहां पर कि ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो कि टीचिंग-कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वहां कुछ न कुछ भेद रखना ही पड़ेगा। वह विद्यार्थी जो कि टीचिंग यूनिवर्सिटी के अन्दर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनमें जो एफिलियेटेड कालेजों के अन्दर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके अन्दर किसी-किसी प्रकार का भेद आवश्यक हो जाता है। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की व्याख्या की गयी है उसके अन्दर उन्हीं को रखा गया है जो कि गोरखपुर में टीचिंग यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आते हैं और वह विद्यार्थी जो कि एफिलियेटेड कालेजेज के विद्यार्थी होंगे वह इस व्याख्या से बाहर माने गये हैं। अगर इस विधेयक के खंड ३३ को आप देखें तो उसमें एफिलियेटेड कालेजेज के सम्बन्ध में कहा गया है और अफिलियेटेड कालेजेज को अपने कालेजेज के इन्तजाम के अन्दर विशेष रूप से अधिकार दिये गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो विद्यार्थी एफिलियेटेड कालेजेज के विद्यार्थी होंगे वह उन्हीं कालेजों के विद्यार्थी माने जायेंगे। अगर कोई आजमगढ़ के किसी कालेज का विद्यार्थी है तो उसको जिस कालेज में वह पढ़ता है उसी कालेज का ही छात्र माना जायगा। और वह विद्यार्थी जो गोरखपुर में वाइस चांसलर के विशेष कंट्रोल के अन्दर आता है वह एक दूसरी श्रेणी में आ जाता है, इसलिये यहां व्याख्या में भेद रखा गया और यह स्वाभाविक है। इसको मिलाना मेरे विचार में उचित नहीं होगा, इसलिये मैं अपने माननीय मित्र महाराजकुमार साहब के संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री रामेश्वर लाल**—मान्यवर, इस संशोधन द्वारा माननीय महाराजकुमार बालेन्दु-शाह जी ने एक बड़ा मूल प्रश्न सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह है कि हम किसी स्थान, मकान या किसी इंस्टीट्यूशन को प्रमुखता या प्राथमिकता दें या नहीं? हो सकता है कि माननीय मंत्री जी और माननीय नवल किशोर जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उसे सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य जोकि प्रचलित परिपाटी को देखते हुये अपना समर्थन प्रकट करें मगर हमने इसके कुफल भी देखे हैं कि जब हम किसी संस्था को विशेष प्राथमिकता देना प्रारंभ कर देते हैं। हमने देखा है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां के निकले हुए विद्यार्थियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

को सरकार, चाहें वह राज्य सरकार हों या केन्द्रीय सरकार या वह जिले की ही सरकार क्यों न हो, प्राथमिकता देती हैं और उनका महत्व का स्थान भी कानूनी नहीं तो सामाजिक तौर पर माना। जाने लगता है तो इसका यह कुफल होता है कि विद्यार्थी समाज विशेषतया अपनी मजबूरियों में उन्हीं संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करना श्रेयस्कर समझता है, जहां वह समझता है कि उस संस्था को प्रमुखता दी जा रही है, समाज द्वारा या सरकार द्वारा। श्रीमन्, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस विधेयक में मुझे वह नहीं मिल रहा है। मुझे याद है कि यह लिखा है कि विश्व-विद्यालय में क्लास और कास्ट का स्थान नहीं होगा, लेकिन यह भी वहीं है कि इसका तात्पर्य यह नहीं होगा---ऐसा इसी बिल में है---कि हर एक व्यक्ति जो उसमें ऐडमीशन पाना चाहे वह ऐडमिट कर लिया जाय। तो मैं यह समझता हूं कि यह सही बात है कि सरकार किसी भी तरह से इतनी सामर्थ्य नहीं रख सकती कि गोरखपुर में एक यूनिवर्सिटी खोले और पूर्वी जिलों के उन ताड़ित, पीड़ित, शोषित जिलों के विद्यार्थियों के लिये, जो गरीब घरों से बहुसंख्यक आते हैं। उन सब के लिये गोरखपुर में शिक्षा दिलाने के लिये वहीं भर्ती कर दे, ऐसा असम्भव प्रतीत होता है। फिर कोई रास्ता माननीय मंत्री जी को निकालना चाहिये और वह रास्ता माननीय बालेन्दुशाह जी ने माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया है, उसको उन्हें मानना चाहिये, तो कारण नहीं दीखता कि हम क्यों न जौनपुर में देवरिया में या किसी जिले में पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय का विद्यार्थी मानें? मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कठिनाई माननीय मंत्री जी के सामने आयेंगी। मैं जानता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जोकि १० मील के रेडियस के अन्दर माननीय मंत्री जी ने बतलायी, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये सिवाय इसके कि कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा हो, कुछ विशेष प्रकार के अध्यापक हों, और कोई विशेष सुविधा विद्यार्थियों को देने नहीं जा रहे हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो इच्छा पूर्वी जिलों में रहने वाले विधान सभा के सदस्यों की और वहां के गण्यमान्य लोगों की थी, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे जैसे भी हों, उनकी इच्छा की प्रतिमूर्ति यह विधेयक नहीं है। हमें खेद है, किन्तु हम चाहते हैं कि जो भी हमारी इच्छायें रहीं, उनको यहां आप सजीव रूप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो कीजिये कि ९ जिलों के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के दिमाग पर यह मानसिक चोट न हो कि गोरखपुर के विद्यार्थियों के साथ उनकी कुछ विशेष रिआयतें होंगी, और मैं जानता हूं कि जो विद्यार्थी गरीब घरानों से आते हैं, पैसे के अभाव में या सिफारिश के अभाव में---मैं योग्यता के अभाव में कहने के लिये तैयार नहीं हूं--- मैंने देखा है कि विद्यार्थी चक्कर काटते हैं ऐडमीशन के लिये यूनिवर्सिटी के और मेडिकल कालिज के, लेकिन वह उसमें नहीं हो पाते, और हमने यह भी देखा है कि उन विद्यार्थियों का आगरा में ऐडमिशन हुआ तो उसी तरह से गोरखपुर में भी उसी की पुनरावृत्ति हो तो इसमें माननीय मंत्री जी को कोई एतराज तो होना नहीं चाहिये। आज ऐसा समय है जब ९ जिलों के जो संबंधित कालेजेज हैं उनके सारे विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मान लिये जायं तो वह होड़ समाप्त हो जाय जो कि आज लोग समझेंगे कि हम गोरखपुर में ही नाम लिखायेंगे और देवरिया के कालेज में नहीं पढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे उपमंत्री जी पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं वे पूर्वी जिलों की जनता की भावनाओं को, वहां की विद्यार्थियों की इच्छाओं को, वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और सारी चीजों से भलीभांति परिचित हैं और वे गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी करने जा रहे हैं। तब इस तरह की विशेष सुविधा भी वे देने की कृपा करेंगे और माननीय बालेन्दुशाह जी के संशोधन को स्वीकार करेंगे तथा इन ९ जिलों के विद्यार्थियों का हित सम्पादन करेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस गम्भीरता के साथ इस संशोधन का विरोध किया गया है उसको देखकर और उसे सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही गयी हैं। डिसिप्लिन का प्रश्न उठाया गया है और वाइस चांसलर का प्रश्न भी उठाया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

हमारे माननीय नवल किशोर जी ने जो डिसिप्लिन का प्रश्न उठाया उस सम्बन्ध में तो यही कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह विधेयक बनाया जा रहा है उसके बाद डिसिप्लिन का नाम लेना तो व्यर्थ है, यह तो एक प्रकार की गुस्ताखी है। यह एक ऐफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी बन रही है। ५१ जिलों में से ९ जिलों के लड़कों पर वाइस चांसलर डिसिप्लिन नहीं कर पायेंगे, लेकिन ऐफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी की कर पायेंगे यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। इससे प्रश्न यह नहीं है कि वाइस चांसलर को कठिनाई होगी या नहीं होगी। मैं पूछता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिस यूनिवर्सिटी को जिस रूप में आप बना रहे हैं हालांकि हम सब उसके रूप में सहमत नहीं हैं मगर सरकार उस पर बड़ा अहंकार करती है कि वह एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित कर रही है। मैं चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी होने के बाद जो विद्यार्थी ९ जिलों में रहेंगे उनकी शिक्षा में परिवर्तन हो। आज तक वे विद्यार्थी जो बी०ए० की डिग्री पास करते थे उनको एक पर्चा मिलता था जिस पर्चे के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती थी। उस पर्चे के ऊपर लिखा रहता था "आगरा यूनिवर्सिटी"। अब उसके स्थान पर "गोरखपुर यूनिवर्सिटी" लिखा होगा। इसके अलावा कौन सी बड़ी भारी बात हमारे शिक्षा मंत्री ने या हमारे शिक्षा विभाग ने की है? गोरखपुर जिला छोड़िये जहां के स्टुडेंट्स यूनिवर्सिटी के हैं, जहां कि आपके फेवरिट स्टूडेन्ट्स पढ़ेंगे, जिनके लिये ही आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, लेकिन जो बाकी ८ जिले हैं वहां आज भी विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी या बुरी जैसी भी पढ़ाई हो, जो लड़का जौनपुर के कालेज में पढ़ रहा है। गोरखपुर से ऐफिलियेटेड होने के बाद उसका क्या लाभ होगा? वाइस चान्सलर को तो आपने कहा कि उसको कठिनाई होगी, उसके पास काम बहुत ज्यादा होगा किन्तु आपने विद्यार्थी का सोचा, जिसके नाम पर आप एक नयी यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं, उसका क्या लाभ होगा? मैंने मंत्री महोदय से कहा था कि आप इसको एक ईस्टर्न ब्रान्च रख दीजिये आगरा यूनिवर्सिटी की तो जैसा उनका स्वाभाविक रूप है बात को उड़ा दिया, उत्तर तो दिया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अगर ईस्टर्न ब्रान्च रखते हैं तो उसमें तो टीचिंग भी होगी। वह तो ठीक है, लेकिन उसका विशेषकर रूप एफिलियेटिंग है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो समझता हूं कि डिसिप्लिन की बात करना जहां कि यूनिवर्सिटी एक ऐफिलियेटिंग रूप में स्थापित की जा रही हो, एक व्यर्थ की बात है। यदि मंत्री महोदय और हमारे मित्र नवल किशोर जी वास्तव में विद्यार्थियों के बीच डिसिप्लिन चाहते हैं तो उनको चाहिये कि इस विधेयक का रूप बदलें और इसको एक टीचिंग और रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी का रूप दें और जैसा मैंने पहले भी सुझाव दिया था यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक एक यूनिवर्सिटी में ५-५, ६-६ और १०-१० हजार विद्यार्थी हों। अच्छी व्यवस्था तो विलायत में पायी जाती है। मैं समझता हूं हमारे मित्र जानते होंगे। वहां पर कालेज बड़े होते जाते हैं और एक दिन आता है जब उसे यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है। उसको यूनिवर्सिटी कालेज कहते हैं, कांस्टीट्युएंट कालेज नहीं कहा जाता है। ठीक है, उस शहर में एक यूनिवर्सिटी पैदा हो गयी। यह नहीं है कि एक जमींदारी बंट रही है। आगरा यूनिवर्सिटी की जमींदारी में से आपने ९ जिले निकाल दिये और गोरखपुर को दे दिये। कल मेरठ यूनिवर्सिटी चिल्लायेगी तो आप ८ जिले निकाल कर उसको दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता---जमींदारी कायम करने का कोई सवाल नहीं है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---यह प्रश्न इसलिये उठ रहा है कि यदि मेरे संशोधन को नहीं स्वीकार करते हैं तो यही हो रहा है। फिर मैंने जो एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं मिला। मैं जौनपुर के एक कालेज का विद्यार्थी हूं। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होऊं इससे मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? यदि मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिये पढ़ रहा हूं तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होऊं, जौनपुर के कालेज से बी० ए० की डिग्री प्राप्त कर रहा हूं। जब मैं पास करूंगा तो मुझे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का छपा हुआ कागज

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

मिलेगा । मगर जब मैं कहता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी के एक ऐफिलियेटेड कालेज में हूं तो मुझे भी वही सुविधायें मिलनी चाहियें तो आप कहते हैं कि तुम दूर रहते हो, तुम दस मील की सीमा से बाहर के हो इसलिये तुम्हारे लिये किवाड़ बन्द हैं तो यह तो एक अनहोनी सी बात हो रही है । यूनिवर्सिटी की आपने सीमा निर्धारित कर दी है । यह जो आपने नौ जिलों में जूरिस्डिक्शन दे दिया है तो उनमें जितने कालेजेज हैं या भविष्य में होंगे उनको तो आप रिकग्नाइज करते हैं कि वह यूनिवर्सिटी का एक अंग है लेकिन जितने विद्यार्थी वहां हैं उनको रिकग्नाइज नहीं करते हैं । मैं समझता हूं कि शुरू से आखिर तक यह एक एनोमाली हो रही है , यह बात ठीक नहीं है । वह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और उनको रिकग्नीशन दिया जाय। इस यूनिवर्सिटी के खुलने के बाद इन नौ जिलों में भी असर पड़ेगा । आगरा के जूरिस्क्शन तोड़ने के बाद और नई यूनिवर्सिटी को जूरिस्डिक्शन देने के बाद लडकों में भी असर पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं इसको वापस नहीं लूंगा और मंत्री महोदय पुनः इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ।

डाक्टर सीताराम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बालेन्दुशाह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया, मैं उसका पुनः विरोध करता हूं । माननीय सदस्य ने इसको ध्यानपूर्वक नहीं जांचा कि ऐफीलियेटेड कालेजेज जो होंगे उनके छात्र किस तरह से विश्वविद्यालय के छात्र कहे जायंगे ? ऐफीलियेटेड कालेजेज का मैनेजमेन्ट अलग है । जहां तक अनुशासन का प्रश्न है , यह किसी भी संस्था के लिये यह आवश्यक होता है कि अनुशासन अच्छा हो क्योंकि अनुशासनहीन विद्यार्थी अपने लिये नहीं बल्कि समाज और देश के लिये कलंक का विषय होता है । जहां तक अनुशासन का प्रश्न है किसी ऐफीलियेटेड कालेज का विद्यार्थी विश्वविद्यालय का छात्र नहीं कहा जा सकता है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मैं क्योंकि उधर का रहने वाला हूं इसलिये इस समस्या पर विचार कर इस संशोधन को स्वीकार करूं । मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि मैं इस क्षेत्र का हूं और कहना अनुचित न होगा कि जिस तरह से हम जनता की मांग और कठिनाइयों का ध्यान रखते हुये जनतंत्रीय मार्ग को, प्रशस्त करते हुये आगे बढ़ रहे हैं । जितने उद्‌गार उनके दिल में हैं उससे कम हमारे दिल में नहीं है । फिर भी हम कहना चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात कांग्रेस सरकार ने जो सेवायें की हैं वह अति वांछनीय है जिसके लिये यह जिले आभारी रहेंगे । इन चंद शब्दों के साथ मैं बालेन्दुशाह जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ढ) में पंक्ति ६ के शब्द "किन्तु" से लेकर पंक्ति ७ के शब्द "हुआ हो" तक निकाल दिये जायं, और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी सम्बद्ध कालेज में भर्ती हुआ हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री नवल किशोर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ण) तथा (त) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जांय—

"(ण) 'अध्यापक' (टीचर्स) के अन्तर्गत प्रोफेसर, रीडर, तथा लेक्चरर तथा अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वविद्यालय में अथवा किसी सम्बद्ध कालेज या घटक (constituent) कालेज में शिक्षण (instruction) देते हों।

(त) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्भारित किसी घटक (constituent) कालेज में अध्यापन के प्रयोजनार्थ अथवा अनुसंधान कार्यों को सम्पन्न करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और उसे विश्वविद्यालय से ही वेतन मिलता हो।"

श्रीमन्, यह जो मूल अधिनियम में परिभाषायें थीं मैंने उनकी भाषा जो है उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया है और उसको स्पष्ट कर दिया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

डाक्टर सीताराम—मुझे यह दोनों संशोधन स्वीकार हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे भी स्वीकार है क्योंकि मैं हठवादिता में विश्वास नहीं करता।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ण) तथा (त) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं:

"(ण) 'अध्यापक' (teachers) के अन्तर्गत प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चरर तथा अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वविद्यालय में अथवा किसी सम्बद्ध कालेज या घटक (Constituent) कालेज में शिक्षण (instruction) देते हों।

(त) 'विश्वविद्यालय का अध्यापक' का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्भारित किसी घटक (Constituent) कालेज में अध्यापन के प्रयोजनार्थ अथवा अनुसन्धान कार्यों को सम्पन्न करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और उसे विश्वविद्यालय से ही वेतन मिलता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

विश्वविद्यालय

३—(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (Chancellor) तथा प्रथम उपकुलपति (Vice-chancellor) तथा कोर्ट, कार्य कारिणी परिषद् तथा विद्वत परिषद् के प्रथम सदस्य, तथा वे समस्त व्यक्ति, जो एतद्-पश्चात् (hereafter) ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे उक्त पद पर या सदस्य बने रहे, एतद्द्वारा (hereby) "गोरखपुर विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) संगठित किये जाते हैं।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकारी (perpetual scucession) होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा और उसी नाम से उस पर वाद प्रस्तुत किया जायगा।

(३) अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ अध्ययन (study) की विभिन्न शाखाओं में शिक्षण देने, मौलिक अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्र में स्थित कालेजों के कार्यों के निर्देशन एवं नियंत्रण की व्यवस्था करने के निमित्त विश्वविद्यालय निगमित समझा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

अधिकारों का क्षेत्रीय प्रयोग ।

४---इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन, की गई किसी अन्य व्यवस्था को छोड़ कर, विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय गोरखपुर, देवरिया, बस्ती ,आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच तथा जौनपुर के जिलों में सम्मिलित क्षेत्र में प्रयुक्त होंगे, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इसमें कोई अन्य जिला या उसका भाग बढ़ा सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एतदर्थ कोई भी विज्ञप्ति राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदन के बिना जारी नहीं की जायगी।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ तथा उसके प्रतिबन्ध के संबन्ध में यह संशोधन पेश करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की पंक्ति ४ में शब्द "किन्तु" से लेकर पंक्ति ६ के शब्द "सकती है" तक निकाल दिये जायं । और खंड ४ का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह खंड चार जो है यह नयी बनने वाली गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अधिकारों के क्षेत्रीय प्रयोग के बारे में है । इस धारा के अनुसार इस विश्वविद्यालय का जो जुरिस्डिक्शन है वह ९ जिलों का बताया गया है और अंत में यह एक प्राविजो सा रख दिया गया है कि यदि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके चाहे तो इसमें कोई अन्य जिला या उसका भाग बढ़ा सकती है और इसमें प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी विज्ञप्ति राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदन के बिना जारी नहीं की जायगी ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न एक ही उठता है और वह यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी को भी अब यह ज्ञात हो गया होगा कि इस रूपरेखा की यूनिवर्सिटी में यहां सबकी स्वीकृति नहीं है । यानी कि एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटीज से लाभ उठाया जा सकता है, कहीं-कहीं उसकी आवश्यकता भी होती है, किन्तु यह कहना कि सभी लोग इस सदन में और प्रदेश में यह समझते हैं कि एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी से ही केवल मात्र बनें, मैं समझता हूं कि यह माननीय मंत्री महोदय भी अब नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने काफी लोगों ने यहां भी और बाहर भी यह विचार प्रकट कर रक्खे हैं कि वे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के पक्ष में हैं तथा उसके घोर विरोधी हैं । मैं स्वयं उन घोर विरोधियों में से एक हूं । इसी विधेयक में इस बात की व्यवस्था भी की जा रही है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो ९ जिलों के सम्बन्ध में एक एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी यदि आवश्यकता हुई तो भविष्य में उसके एफिलिएशन की सीमा को बढ़ा दिया जायगा । और उसको बढ़ने का मौका दिया जायगा । मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में यह एक अनुचित

चीज है । मैं इस समय एफिलिएटिंग और रेजीडेंशियल या टीचिंग यूनिवर्सिटी के विवाद में न जाऊंगा, लेकिन मंत्री महोदय स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि काफी लोगों की राय यह है , काफी से मतलब चाहे यह न हो कि बहुमत में ऐसे लोग हैं परन्तु इतना अवश्य है कि ऐसे लोग भी बहुत हैं जो यह चाहते हैं कि जितनी भी युनिवर्सिटियां हैं वे सब रेजीडेंशियल हों। इसलिये मैंने जितने वाक्य को निकालने का सुझाव दिया है उसमें कोई आपत्ति माननीय मन्त्री जी को नहीं होनी चाहिये। पहले ही इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन तो दे रक्खा है कि जुरिसडिक्शन बढ़ाने के लिये इस सदन की मंजूरी ली जायगी, किन्तु फिर भी इस समय किन्हीं कारणों से चाहे यह एफीलीएटिंग यूनिवर्सिटी बनायी गयी हो तो कम से कम उसको केवल ६ ही जिलों तक सीमित रखने की कृपा करें। हमारे जो पूर्वी इलाक के मेम्बरान हैं, जिनमें से चन्द एक मेरे बगल में भी बैठे हुए हैं, वे तो कदाचित् यह चाहेंगे कि आगरा युनिवर्सिटी को बन्द ही कर दिया जाय और गोरखपुर युनिवर्सिटी को बढ़ा दिया जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि यह उचित न होगा।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों की युनिवर्सिटी के बारे में पहाड़ी जिले के लोग ज्यादा दखल दे रहे हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—शिक्षा के सम्बन्ध में दखल दे रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने दोस्त से इस बारे में सहमत नहीं हूं कि अगर और जिले भी इस युनिवर्सिटी में मिलना चाहें और राज्य सरकार को सुझाव दें तो भी उनको न मिलाया जाय। अगर कोई कालेज वहां मिलना चाहता है तो कोई वजह नहीं कि वह सुविधा उसको न दी जाय कि वह उसमें अपने आपको मिलाये। दूसरी बात यह है कि हमें ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आगरा युनिवर्सिटी तोड़ दी जाय या गोरखपुर यूनिवर्सिटी तोड़ दी जाय या गोरखपुर युनिवर्सिटी को बढ़ाया जाय या आगरा युनिवर्सिटी को बढ़ाया जाय। हमारी तो इच्छा है कि दोनों यूनिवर्सिटियां कंपीटीशन करें और अपने यहां शिक्षा का अच्छे से अच्छा प्रबन्ध करें और हमारे कालेजेज को छूट हो कि जहां अच्छी पढ़ाई होती हो उसके साथ अपने को रक्खें, मैं समझता हूं कि इससे शिक्षा की उन्नति होगी। मान लिया टेहरी गढ़वाल का ही जिला है। अगर वहां के लोग यह समझते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी में शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है और इस कारण से अगर वे गोरखपुर युनिवर्सिटी में आते हैं और वहां के सदस्य राज्य सरकार से यह कहते हैं कि शिक्षा के लिये टेहरी-गढ़वाल को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में शामिल कर दिया जाय तो मैं समझता हूं इसके विरुद्ध अगर कोई बात की जाती है तो वह ठीक नहीं है। हमें तो यह अधिकार होना चाहिये कि यदि सरकार मन माने ढंग से कोई कार्य कर देती है तो हम उससे वाजिब बात को करा लेंगे। इसलिये हमें इस संशोधन को मंजूर नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

जहां तक आप का यह ख्याल है कि छोटी-छोटी यूनिवर्सिटियां खुलेंगी हमें उससे कोई एतराज नहीं है कि वह आगरा युनिवर्सिटी या गोरखपुर यूनिवर्सिटी कितनी ही युनिवर्सिटी खोलें, हर जिले में भी वह अगर एक यूनिवर्सिटी खोल सकें तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वहां की जनता में ऐसी शक्ति है कि वह अपने जिले में टीचिंग यूनिवर्सिटी बना सकती है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जहां के लोग यूनिवर्सिटी न बना सकते हों और वह चाहते हों कि हमको गोरखपुर युनिवर्सिटी में रहने दिया जाय तो वहां के लोगों से यह अधिकार छीन लेना और जब कि वहां की जनता चाहती हो तो उसकी मर्जी के खिलाफ ऐसी चीज रखना उचित न होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मेरे दोस्त विचार कर के अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

शनिवार, १९ मई, १९५६ को सदन की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में संकल्प की अग्रिम सूचना

श्री अधिष्ठाता---मैं एक एनाउन्समेंट कर दूं कि कल सरकार एक प्रस्ताव सदन में लाना चाहती है जिसका तात्पर्य यह है कि शनिवार, १९ मई को भी सदन की बैठक हो । इस प्रस्ताव को सरकार कल पेश करेगी ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ खंड ४ (क्रमागत)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय बालेन्दुशाह के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैंने यह देखा कि इसमें पूर्व और पच्छिम का भेद-भाव नजर आता है लेकिन वास्तविकता यह नहीं थी । जिस अभिप्राय से उन्होंने .....

श्री अधिष्ठाता---इसमें फैजाबाद नहीं आयेगा ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मुझे कोई शिकायत नहीं है अगर फैजाबाद न आयेगा, फैजाबाद को लखनऊ में ही अच्छी सुविधा है । तो जैसा कि मैं कह रहा था कि वास्तविकता यह है कि जिससे कि कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जनता की जो मांग है उसको कोई भी सरकार ठुकरा नहीं सकती, चाहे वह इधर की सरकार हो या उधर की सरकार हो । जनता की जो मांग है उसको ठुकरा कर कोई सरकार सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर नहीं रह सकती, लिहाजा जो मांग है उसके विरोध में मैं नहीं हूं और न युनिवर्सिटीज के खोले जाने के ही विरोध में मैं हूं, मैं तो उससे सहमत हूं लेकिन मेरा तर्क इस सम्बन्ध में यह है कि हम पहले केवल इतने थोड़े जिलों को ही लें जिनको हम मैनेज कर सकें और जिनका हम प्रबन्ध वहां कर सकें । आगरा युनिवर्सिटी में जो दोष हमें दिखलाई पड़ते हैं उनका एक मुख्य कारण यह भी है कि उस पर बोझ लाद दिया गया है कि वहां का प्रबन्ध मुश्किल हो गया है और मैं समझता हूं कि अगर वहां का भी बोझ कुछ हल्का किया जाय तो किसी को आपत्ति न होगी । इसलिये उन गलतियों की पुनरावृत्ति जो आगरा युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हो चुकी है कोई बुद्धिमानी न होगी और यह सर्वथा अनुचित और अवांछनीय होगा । इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । मैं पूर्व और पश्चिम के प्रश्न पर नहीं जाता---वह तो एक संकीर्णता उत्पन्न करता है और पूर्व या पश्चिम में कहीं भी कोई रहता है तो उसकी गिनती प्रदेश की जनता में ही है और शिक्षा का कहीं भी विस्तार होता है तो वह एक नागरिक के लिये एक उत्साह और हर्ष का विषय है । इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय उपमन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अगर इस संशोधन को स्वीकार किया जाता है तो सरकार की कोई क्षति नहीं होगी .....

श्री अधिष्ठाता---अब आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
१७ मई, १९५६ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर)

तारीख १ जनवरी, १९५६ से १५ अप्रैल, १९५६ तक जिला गोंडा में हुये कत्लों का विवरण।

नाम थाना		कत्लों की संख्या	किस हथियार द्वारा कत्ल हुआ
१	उतरौला	१	गला घोंट कर
२	मनकापुर	१	फरसे तथा गंडासे द्वारा
३	कोतवाली	१	भाले द्वारा
४	परसपुर	१	भाला व लाठी द्वारा
५	थानेपुर	१	भाला व लाठी द्वारा
६	इंटियाठोक	१	लाठी द्वारा
७	छपिया	१	लाठी द्वारा
८	नवाबगंज	२	एक लाठी द्वारा तथा दूसरा करौली द्वारा
९	पचपेड़वा	१	गंड़ासे द्वारा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

क्र० सं०	विशेषाधिकारी का नाम	विशेषाधिकारी की नियुक्ति की तिथि	विशेष टिप्पणी
१	श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव	२९ नवम्बर, १९५५	विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव की शाखा
२	श्री गंगाधर कृष्ण मेमे	२० अगस्त, १९५१	,, फाइनेन्स ,,
३	श्री विष्णु भास्कर गोखले	१ अप्रैल, १९५५	,, ,, ,,
४	श्री सुरेन्द्र नारायण माजुमदार चौधरी ..	५ नवम्बर, १९५५	,, ,, ,,
५	श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा	१२ मई, १९५५	,, होम ,,
६	डा० एम० डी० खन्ना	२४ जून, १९५५	,, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट
७	श्री म० कुमार ..	१६ जनवरी, १९५६	,, सूचना संघ का कार्यालय
८	श्री राजेन्द्र लाल ..	२० मई, १९५४	,, ,, ,,
९	श्री राम लाल गुप्ता ..	१ दिसम्बर, १९५५	,, प्लानिंग डिपार्टमेंट

(अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के नाम जो कि विशेषाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त किये गये)

क्र० सं०	विशेषाधिकारी का नाम	विशेषाधिकारी की पुनर्नियुक्ति की तिथि	विशेष टिप्पणी
१	श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा	९ फरवरी, १९५६	विशेषाधिकारी चीफ सेक्रेटरीज ब्रान्च-
२	श्री श्रीकृष्ण माथुर	२ नवम्बर, १९५५	वित्त मंत्री के स्टाफ में विशेषा- धिकारी
३	श्री कुमारी पी० एम०डेविड	२१ नवम्बर, १९५५	सार्वजनिक निर्माण मंत्री ,,
४	श्री जय नारायण मेहरोत्रा	२९ जुलाई, १९५५	सूचना मंत्री ,, ,,
५	श्री रमेशचन्द्र	१९ जुलाई, १९५५	शिक्षा मंत्री ,, ,,

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६२ एस० ए०—१९५६—७९६।